Par. S. 17. I. 11. 52
285

खंड १

संख्या ११

सोमवार,

२ जून, १९५२

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

पहला सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

विषय-सूची

सदस्यों द्वारा शपथ-ग्रहण	[पृष्ठ भाग ५६१]
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	[पृष्ठ भाग ५६१—६०६]
प्रश्नों के लिखित उत्तर	[पृष्ठ भाग ६०६—६३२]

(मूल्य ४ आने)

272 PSD

लोक सभा

सोमवार, २ जून, १९५२

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री पुरुषोत्तम दास टंडन (ज़िला इलाहाबाद—पश्चिम)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

खाद्य-साहाय्य

*३३७. **डा० राम सुभग सिंह:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५०-५१ और १९५१-५२ में विभिन्न राज्यों को खाद्य साहाय्य के रूप में कुल कितना धन दिया गया था ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २६**]

डा० राम सुभग सिंह: खाद्य साहाय्य को बन्द कर देने के फ़लस्वरूप राशन के अनाजों के मूल्यों में कितने प्रति शत वृद्धि हुई है और मैं जान सकता हूं कि क्या यह वृद्धि देश में समान रूप से हुई है ?

श्री किदवई: कुछ दिन पहले मैं ने विभिन्न ज़िलों में विभिन्न वस्तुओं के मूल्यों में हुई वृद्धि के बारे में एक विवरण सदन पटल पर रखा था और उसे पढ़ कर सुनाया भी था। मैं माननीय सदस्य का ध्यान इस विवरण की ओर दिलाता हूं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: क्या माननीय मंत्री यह बतला सकेंगे कि विभिन्न राज्यों में खाद्य साहाय्य बन्द कर देने के कारण निकासी में कितनी कमी हुई है ?

श्री किदवई: मेरे पास आंकड़े तो नहीं हैं, परन्तु यह प्रत्येक राज्य में भिन्न भिन्न है। कुछ राज्यों में मूल्य उतने ही हैं जितने कि साहाय्य बन्द करने से पूर्व थे। अन्य राज्यों में मूल्यों में बहुत कम वृद्धि हुई है। कुछ राज्यों में मूल्य ५० प्रति शत बढ़ गये हैं और इन राज्यों में निकासी कम हो गई है। उदाहरण के लिये इस समय दिल्ली में निकासी साहाय्य हटा लेने के पूर्व के स्तर से घट कर ८० प्रति शत हो गई है।

डा० राम सुभग सिंह: साहाय्य के हटा लिये जाने के फलस्वरूप किन किन राज्यों ने खाद्यान्न सम्बन्धी अपनी मांगें घटा दी हैं ?

श्री किदवई: यह आवश्यक नहीं है कि साहाय्य के हटा लिये जाने के फलस्वरूप ही उन्होंने ऐसा किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक राज्य में या प्रायः सभी राज्यों में स्थानीय रूप से उत्पादित अनाज

मंडियों में अधिकाधिक आ रहा है, अतः ऐसे राज्यों ने अपनी मांगें घटा दी हैं।

श्री एस० एन० दास: दी गयी कुल साहाय्य में से कितना भाग नागरिक जन संख्या को दिया गया था और कितना ग्रामीण जन संख्या को ?

श्री किदवई: सन् १९५१ में साहाय्य २२ औद्योगिक नगरों तक सीमित था। इस के अतिरिक्त कुछ साहाय्य प्राप्त मोटा अनाज कम मूल्यों पर दिया गया था। ट्रावनकोर-कोचीन को कुछ विशेष साहाय्य दिया गया था।

डा० राम सुभग सिंह: खाद्य साहाय्य के हटा लेने से अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन की प्रगति पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

श्री किदवई: कुछ लोग कहते हैं कि चंकि बाज़ार का भाव अधिक है, अतः सम्भवतः इस से किसान को अधिकाधिक उत्पादन करने का प्रोत्साहन मिलेगा।

श्री बादशाह गुप्त: किन राज्यों को अधिकतम साहाय्य मिला है और किन को नन्यूनतम ?

श्री किदवई: बम्बई को अधिकतम राशि मिली और आसाम को कुछ भी नहीं मिला है ?

श्री बी० आर० भगत: कितनी जन-संख्या अब भी साहाय्य से लाभ उठा रही है ?

श्री किदवई: जो लोग बाहर से मंगाया गया मिलो (लाल ज्वार) खरीद रहे हैं वह अब भी साहाय्य से लाभ उठा रहे हैं।

सुदूर-पूर्वी यात्रा आयोग

*३३८. **श्री हुक्म सिंह:** (क) क्या यातायात मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या एशियाई तथा सुदूर पूर्वी यात्रा आयोग सम्मेलन की कोई बैठक हुई है ?

(ख) यदि हुई है, तो किन किन देशों ने इस में भाग लिया था और क्या निर्णय किये गये थे ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): (क) जी हां, सरकारी यात्रा संस्थाओं के अन्तर्राष्ट्रीय संघ के एशियाई तथा सुदूर पूर्वी यात्रा आयोग की पहली बैठक २४ और २५ मार्च, १९५२ को नई दिल्ली में हुई थी।

(ख) इन देशों के प्रतिनिधि तथा निरीक्षक बैठक में उपस्थित थे:

आस्ट्रेलिया, कम्बोडिया, लंका, भारत, जापान, फ़िलिपाइन, वीयट-नाम, ब्रह्मा, थाईलैंड। इस बैठक में जो निर्णय तथा सिफ़ारिशें की गई थीं, वह आयोग के प्रतिवेदन में बतालई गई हैं और इस प्रतिवेदन की एक प्रति सदन पटल पर रखी जाती है [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २७**]

श्री हुक्म सिंह: इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि कौन था ?

श्री एल० बी० शास्त्री: यातायात मंत्रालय के संयुक्त सचिव, श्री चक्रवर्ती।

श्री हुक्म सिंह: क्या विशेषज्ञ आयोग में प्रादेशिक आधार पर लिये जाते हैं या किसी अन्य आधार पर ?

श्री एल० बी० शास्त्री: अन्य बातों को भी ध्यान में रखा जाता है।

श्री हुक्म सिंह: इस आयोग के मुख्य कृत्य क्या हैं ?

श्री एल० बी० शास्त्री: इस के कई कृत्य हैं, जैसे उस भूखंड के देशों में पर्यटन की वर्तमान दशा की जानकारी का संग्रह करना और प्रचार कार्य करना, सीमान्त नियमों को सरल बनाना और इन का प्रमापीकरण करना, सीमान्त नियमों के बारे में

जानकारी प्रकाशित करना और होटल कर्मचारियों को प्रशिक्षण सुविधायें देना आदि ।

श्री हुक्म सिंह : क्या आयोग द्वारा की गई कार्यवाही तथा निर्णयों के बारे में कोई प्रतिवेदन प्रकाशित किया गया था ?

श्री एल० बी० शास्त्री : प्रतिवेदन सदन पटल पर रखा जा चुका है।

श्री गुरुपादस्वामी : मैं जान सकता हूं कि क्या यात्रा आयोग किसी अन्तर्राजकीय स्तर पर आधारित है या किसी अराजकीय स्तर पर ?

श्री एल० बी० शास्त्री : इस आयोग में दूसरों के अतिरिक्त विभिन्न सरकारी पर्यटन संस्थाओं के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हैं, किन्तु अधिकांशतया यह एक ग़ैर-सरकारी संस्था है ।

अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन

*३३९. **श्री हुक्म सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या "अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन के अन्तर्गत वर्ष, १९५१-५२ के लिये नियत खाद्यान्न के अतिरिक्त उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है ; तथा

(ख) वर्ष १९५१-५२ के अतिरिक्त उत्पादन के लिये कितनी राशि की मंजूरी दी गई थी और वस्तुत: कितनी व्यय की गई ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) माननीय सदस्य का ध्यान २८-५-५२ को पूछे गये प्रश्न संख्या २३७ के भाग (क) तथा (ख) के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर की ओर दिलाया जाता है ।

(ख) सन् १९५१-५२ में, अनुदानों तथा ऋणों के रूप में, भारत सरकार द्वारा कुल १७·८२ करोड़ रुपये की राशि की मंजूरी दी गई थी । वास्तविक व्यय के बारे में जानकारी ३० जून, १९५२ के कुछ समय बाद उपलब्ध हो सकेगी, क्योंकि, जैसा कि मैं ने २८ मई, १९५२ को प्रश्न संख्या २३७ के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर में कहा था, कि योजनायें अभी जारी हैं ।

श्री हुक्म सिंह : कितनी राशि अनुदानों के रूप में दी गई थी और कितनी राशि ऋणों के रूप में ?

श्री किदवई : १०,१८,९६,९२५ रुपये अनुदानों के रूप में दिये गये थे और ६,६५,४२,१७१ रुपये ऋणों के रूप में ।

श्री हुक्म सिंह : अधिक अन्न उपजाओ आंदोलन के अन्तर्गत इस वर्ष कुल कितने नल-कूप लगाये गये हैं ?

श्री किदवई : मुझे पूर्वसूचना की आवश्यकता है ।

श्री हुक्म सिंह : क्या यह सत्य है कि एक फ़र्म को ९६५ नल कूप लगाने का ठेका दिया गया था, किन्तु उस ने सारे वर्ष में केवल ५७ नल कूप लगाये ?

श्री किदवई : जैसा कि मैं ने कहा, मुझे इस प्रश्न के बारे में, कि यह अनुदान विभिन्न योजनाओं पर किस प्रकार व्यय किया जायेगा पूर्वसूचना चाहिये ।

जनाब अमजद अली : मैं जान सकता हूं कि क्या यह अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन देश भर में समान रूप से सफल रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो अपनी अपनी राय का प्रश्न है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इस वर्ष अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के लिये किन किन मुख्य उपायों को काम में लाया गया था ?

अध्यक्ष महोदय: मुख्य उपाय ?

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: जी हां, उदाहरणत: नल कूप आदि ।

श्री किदवई: मेरे विचार से माननीय सदस्या यह जानना चाहती हैं कि गत वर्ष इस अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन में किन मुख्य साधनों का प्रयोग किया गया था। मेरा ख्याल है कि अधिकांश धन उन स्थानों पर सिंचाई का पानी देने के लिये व्यय किया जाना था जहां पानी उपलब्ध नहीं था ।

श्री नम्बियार: मैं जान सकता हूं कि क्या मद्रास के दक्षिणी ज़िलों में, जहां अब सिंचाई के लिये मद्रास सरकार द्वारा बिजली नहीं दी जाती है बिजली दी जायेगी ।

श्री किदवई: यह बिजली की उपलब्धता और मद्रास सरकार के निर्णय पर निर्भर है ।

श्री वैलायुधन: मैं जान सकता हूं कि क्या अधिक पटसन के साथ साथ अधिक खाद्यान्न उगाने की संयोजित योजना अब छोड़ दी गई है और क्या माननीय मंत्री ने एक नई योजना बनाई है ?

श्री किदवई: श्रीमान्, यह प्रश्न अधिक अन्न उपजाओं आन्दोलन के लिये विभिन्न राज्यों को दिये गये धन के बारे में था और मैं ने इस का उत्तर दे दिया है ।

श्री जांगड़े: क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि क्या अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के बहाने मालगुज़ारों ने जंगलों को बरबाद कर दिया है और उन जंगलों को बरबाद करने के बाद उस में काश्त कुछ भी नहीं करते हैं ?

अध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति । मेरे विचार से यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है ।

श्री हुक्म सिंह: अधिक अन्न उपजाने के लिये वास्तविक कृषक को, अनुदान तथा ऋण देने के अतिरिक्त, और क्या वास्तविक प्रेरणा दी गई थी ?

श्री किदवई: अपनी आय बढ़ाने की इच्छा उस के लिये सदैव ही एक प्रेरणा है ।

अध्यक्ष महोदय: वह यह जानना चाहते हैं कि इस के लिये क्या विशिष्ट कार्यवाही की गई थी ?

श्री किदवई: उसे नई भूमि में खेती करने में सहायता दी गई थी ।

मुकेरियां-पठानकोट रेलवे लाइन

*३४०. **श्री हुक्म सिंह:** (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पंजाब में मुकेरियां-पठानकोट रेलवे लाइन के निर्माण पर कुल कितना धन व्यय हुआ ?

(ख) क्या इस मार्ग पर काश्मीर जाने वाले यात्रियों के लिये कोई तेज़ गाड़ी चलाने का भी विचार है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): (क) मुकेरियां-पठानकोट लाइन के निर्माण पर अनुमानत: लगभग ३·७७ करोड़ रुपया व्यय होगा : इस में से, २·६७ करोड़ रुपये ३१ दिसम्बर, १९५१ तक व्यय किये गये ।

(ख) दिल्ली और पठानकोट के मध्य काश्मीर मेल इस रास्ते से जाती है ।

श्री हुक्म सिंह: क्या रेलवे लाइन का कोई भाग बनाया जाना अभी बाक़ी है या केवल रेलवे स्टेशन का बनाया जाना तथा अन्य सुविधायें दी जानी ही शेष हैं ?

श्री एल० बी० शास्त्री। मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

श्री हुक्म सिंह: इस रास्ते से जाने से यात्री को कितने मील की यात्रा बच जायेगी ?

श्री एल० बी० शास्त्री: मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

चीनी धान

*३४१. **डा० राम सुभग सिंह: खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत में चीनी धान की विभिन्न क़िस्मों की कृषि करने के बारे में कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): जी हां ।

डा० राम सुभग सिंह: मैं जान सकता हूं कि इस वर्ष किन किन राज्यों में चीनी धान उगाने का प्रयोग किया जायेगा ?

श्री किदवई: यह प्रयोग काश्मीर, बम्बई, मद्रास, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश, मैसूर और दिल्ली के राज्यों में किया जा रहा है ।

डा० राम सुभग सिंह : मैं जान सकता हूं कि हमारे देशी धान की तुलना में चीनी धान की औसत उपज क्या है ?

श्री किदवई: यह अभी प्रयोगाधीन है, किन्तु देखा गया है कि कुछ क़िस्मों से स्थानीय बीजों की अपेक्षा अधिक उपज होती है । एक क़िस्म के बीज का बिहार में प्रयोग किया गया है । उसे कृषकों में वितरित किया जा रहा है दूसरी क़िस्मों के बारे में और प्रयोग किये जा रहे हैं और कुछ समय बाद उन के परिणाम ज्ञात हो जायेंगे ।

श्री एस० एन० दास : इस चीनी धान की विशेषतायें क्या हैं ?

श्री किदवई: विभिन्न क़िस्में प्रयोगाधीन हैं, और कहा जाता है कि जब यह भारत में चलाई जायेंगी, तो प्रति एकड़ उपज अधिक होगी ।

सेठ गोविन्द दास: इस का तजुर्बा सरकारी फ़ार्मों में कहां कहां किया गया है और कहां कहां के किसानों को यह बांटा गया है ?

श्री किदवई: मैं ने अभी स्टेट्स (राज्यों) का ज़िक्र किया कि जहां सरकारी फ़ार्मों में तजुर्बा किया गया है और बाज़ बाज़ जगह ख़ुसूसन (विशेषतया) बिहार में ऐसा तजुर्बा हो चुका है और किसानों में सीड (बीज) बांटा जा रहा है ।

खाद्यान्नों का आयात

*३४२. **डा० राम सुभग सिंह: क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) १ जनवरी, १९५२ से बाहर से भारत में कुल कितना खाद्यान्न आया है; तथा

(ख) उसी अवधि में देश में कुल कितने खाद्यान्न का समाहार हुआ ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) १-१-५२ से १५-५-५२ तक की अवधि में २१·६ लाख टन खाद्यान्न बाहर से भारत आया ।

(ख) १-१-५२ से १७-५-५२ तक की अवधि में, भारत में २२·९ लाख टन खाद्यान्न का आन्तरिक रूप से समाहार किया गया ।

डा० राम सुभग सिंह : मैं जान सकता हूं कि सन् १९५१ की तत्स्थानी अवधि में कितना खाद्यान्न आयात किया गया था और कितना आन्तरिक रूप से समाहृत किया गया था ?

श्री किदवई: सन् १९५१ के सम्बन्ध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं—यदि माननीय

सदस्य यह जानकारी चाहते हैं, तो वह एक पृथक् प्रश्न की सूचना दे सकते हैं।

डा० राम सुभग सिंह: मैं जान सकता हूं कि इस वर्ष किन कारणों से खाद्यान्न के आन्तरिक समाहार में कमी हुई है ?

श्री किदवई: इस वर्ष समाहार में कमी नहीं हुई है।

श्री राधेलाल व्यास: क्या मैं यह जान सकता हूं कि अभी तक बाहर से जो अनाज यहां आया है और जो स्टेट्स (राज्यों) में संग्रह किया गया है उस में से सैंट्रल रिज़र्व (केन्द्रीय संचय) में कितना रखा गया है ?

श्री किदवई: सिवाय इस के कि राशनिंग एरिया (क्षेत्र) में जो माहवार खर्च होता है बाक़ी सब रिज़र्व में है।

डा० जयसूर्य: समाहार का आन्तरिक उत्पादन से क्या अनुपात है ?

श्री किदवई: यह प्रत्येक राज्य में भिन्न भिन्न है। बम्बई और मद्रास जैसे कुछ राज्यों में समाहार के लिये अधिक कार्य साधक तथा कार्यक्षम व्यवस्था है।

डा० जयसूर्य: सारे भारत की औसत क्या है ?

श्री किदवई: अन्य राज्यों में जहां व्यवस्था इतनी उत्तम नहीं है, स्थानीय उत्पादन की अपेक्षा समाहार कम है।

अध्यक्ष महोदय: क्या वह सारे भारत की औसत बतला सकते हैं ?

श्री किदवई: मेरे विचार में यह सम्भव नहीं है।

त्रावनकोर-कोचीन राज्य में रेलवे लाइनें

*३४३. **श्री वैलायुधन:** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे

(क) क्या त्रावनकोर-कोचीन राज्य में प्रस्तावित रेलवेज़ के लिये लाइनें अन्तिम रूप से निश्चत कर दी गई है; तथा

(ख) क्या निर्माण कार्य तत्काल आरम्भ हो जायेगा ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): (क) क्वीलोन-एरनाकुलम रेलवे के निर्माण की स्वीकृति दे दी गई है।

(ख) पहले स्थान का परिमापन कार्य करने का प्रबन्ध किया जा रहा है। एक-रेखण को अन्तिम रूप देने और प्राक्कलन के मंजूर हो जाने के बाद निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

श्री वैलायुधन: अपने प्रश्न के भाग (क) के सम्बंध में, मैं जान सकता हूं कि क्या परिमापन कार्य समाप्त हो चुका है या नहीं ?

श्री एल० बी० शास्त्री: इस का प्रारंभिक भाग समाप्त किया जा चुका है, किन्तु अन्तिम परिमापन में कुछ समय और लगेगा।

श्री वैलायुधन: मैं जान सकता हूं कि वास्तविक निर्माण कार्य कब शुरू होगा ?

श्री एल० बी० शास्त्री: हमें आशा है, सन् १९५२-५३ में।

श्री वैलायुधन: मैं जान सकता हूं कि क्या इस रेलवे के निर्माण के लिये अपेक्षित आवश्यक सामग्री का आर्डर दे दिया गया है ?

श्री एल० बी० शास्त्री: मुझे ज्ञात नहीं कि वास्तविक आर्डर दे दिया गया है या नहीं, किन्तु कम से कम आवश्यक सामग्री प्राप्त करने में कोई अड़चन नहीं होगी।

श्री पुन्नूस: मैं जान सकता हूं कि क्या प्रस्तावित लाइन तटीय पट्टी में से हो कर गुज़रेगी या केन्द्रीय त्रावनकोर में से।

श्री एल० बी० शास्त्री: मुझे पूर्वसूचना चाहिये।

श्री पी० टी० चाको: मैं जान सकता हूं कि इस वर्ष आय-व्ययक में जितना धन आवंटित किया गया है, उस से कौन कौन से कार्य समाप्त किये जाने की आशा है ?

अध्यक्ष महोदय: यह एक बहुत व्यापक प्रश्न है । मूल प्रश्न केवल त्रावनकोर-कोचीन राज्य के बारे में है ।

श्री पी० टी० चाको: जी नहीं, श्रीमान्, मैं केवल क्वीलोन-एरनाकुलम रेलवे के बारे में पूछ रहा हूं । इस वर्ष आय-व्ययक में जितने धन की व्यवस्था की गई है, उस से कौन कौन से कार्य समाप्त किये जाने की आशा है ?

श्री एल० बी० शास्त्री: केवल प्रारम्भिक परिमापन कार्य के लिये ही धन की व्यवस्था की गई है । कुल प्राक्कलित व्यय ८ करोड़ २३ लाख रुपये होगा । अतः आय-व्ययक में केवल प्रारम्भिक तथा अन्तिम परिमापन के लिये प्रावधान है ।

श्री वैलायुधन: केवल परिमापन कार्य करन में ही इस दो वर्ष के विलम्ब का कारण क्या है ? इस में और कितना समय लगेगा ?

श्री एल० बी० शास्त्री: जैसा कि मैं ने माननीय सदस्य को बतलाया है, सब काम पूर्ण किया जा चुका है । केवल एक चीज़ जिस का करना बाक़ी है, स्थान का अन्तिम परिमापन है । यह इस वर्ष हो जायेगा और इस के पश्चात् निर्माण कार्य शुरू हो जायेगा ।

कई माननीय सदस्य उठे—

अध्यक्ष महोदय : मैं अगले प्रश्न को लेता हूं ।

अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी (भर्ती)

*३४४. **श्री एस० एन० दास :** क्या संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) ग्रामीण डाकखानों को चलाने के लिये अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों की नियुक्ति के लिये किस प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है;

(ख) सन् १९५१–५२ में विभिन्न श्रेणियों के कुल कितने कर्मचारी नियुक्त किये गये थे और इन की क्षेत्रवार संख्या; तथा

(ग) क्या उपरोक्त नियुक्तियों के लिये प्रार्थना पत्र मांगें गये थे और क्या किसी प्राधिकारी द्वारा कोई परीक्षायें ली गई थीं ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) साधारणतया अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी उसी ग्राम के, जहां पर उन्हें नियुक्त करने का विचार होता है; स्थानीय निवासियों में से चुने जाते हैं । सामान्यतया इन व्यक्तियों को या तो प्रार्थना पत्र मांग कर या ज़िला या ग्राम प्राधिकारियों द्वारा नियुक्त किया जाता है । ऐसे व्यक्ति, जिन के आय के स्वतन्त्र साधन हों, जैसे सरकारी निवृत्ति वेतन प्राप्त व्यक्ति, अध्यापक आदि, चुने जाते हैं ।

(ख) सन् १९५१-५२ में हलकों में नियुक्त किये गये अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों की कुल संख्या यह है :

हलके का नाम	कर्मचारियों की संख्या
आसाम	२८०
बम्बई	१०५०
कलकत्ता	१५८१
दिल्ली	३५
केन्द्रीय हल्का	७०२
बिहार	१८८७
मद्रास	३६६०
उड़ीसा	२९७
उत्तर प्रदेश	७८६
पंजाब	५५७
हैदराबाद	८४८

इन को विभिन्न श्रेणियों में बांटे जाने के बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) कुछ हालतों में प्रार्थना पत्र लिये गये थे । अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों की भर्ती के लिये कोई परीक्षायें नहीं ली जाती हैं ।

श्री एस० एन० दास: मैं जान सकता हूं कि जब इन अतिरिक्त विभागीय डाकघरों का दर्जा बढ़ा कर उप डाकघर बना दिया जाता है तो क्या उन में काम करने वाले व्यक्तियों की सेवायें जारी रखी जाती हैं या उन्हें निकाल दिया जाता है ?

श्री जगजीवन राम: पोस्ट मास्टर विभागीय पदाली से नियुक्त किये जाते हैं । अन्य कर्मचारी सामान्यतया खपा लिये जाते हैं ।

श्री एस० एन० दास: क्या माननीय मंत्री का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि इन पदों पर नियुक्ति के समय सामान्यतया कुछ प्रकार के अवैध परितोषण लिये जाते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अवैध परितोषण ?

श्री एस० एन० दास: जी हां, श्रीमान् ।

श्री जगजीवन राम : यह चीज़ मेरे ध्यान में नहीं आई है । यदि मेरे माननीय मित्र कोई विशिष्ट उदाहरण दें, तो मैं उस की जांच करूंगा ।

श्री एस० एन० दास: मैं जान सकता हूं कि क्या सामान्य पदों पर नियुक्तियां करते समय, इन कर्मचारियों के अनुभव को, जब वह इन पदों के लिये प्रार्थनापत्र देते हैं, विशेष रूप से ध्यान में रखा जाता है ?

श्री जगजीवन राम: वरिष्ट कर्मचारियों की नियुक्ति खुली प्रतियोगिता द्वारा की जाती है और यह भी इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं । यदि वह सफल हो जायें तो उन्हें नियुक्त किया जाता है ।

श्री टी० के० चौधरी: इन अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों की वेतन श्रेणी क्या है ?

श्री जगजीवन राम : जैसा कि मैं ने कहा है, इन अतिरिक्त विभागीय नौकरियों के लिये केवल उन व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है जिन के जीविका के कुछ स्वतन्त्र साधन होते हैं । उन से अपना सारा समय इस काम पर लगाने की आशा नहीं की जाती है । अधिक से अधिक, उन्हें पांच घंटे काम करना होता है, किन्तु साधारणतया वह प्रतिदिन दो या तीन घंटे काम करते हैं । उन्हें यह भत्ते दिये जाते हैं:

शाखा पोस्टमास्टर्ज—१० रुपये से २५ रुपये तक ; विभागीय सब-पोस्टमास्टर —४० रुपये तक । अतिरिक्त विभागीय सब-पोस्टमास्टर को २५ रुपये महंगाई भत्ता मिलता है और अन्य अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को १० रुपया मिलता है ।

श्री एन० टी० दास : मैं जान सकता हूं कि उन अनुसूचित जाति के लोगों की, जिन्हें इन पदों पर नियुक्त किया गया है, प्रतिशतता क्या है ?

श्री जगजीवन राम : इस के लिये पृथक् पूर्वसूचना की आवश्यकता है ।

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन): श्रीमान्, यह ध्वनि विस्तारक मशीन मेरे लिये एक यातना सिद्ध हो रही है । मैं नहीं समझता कि मैं इस दण्ड का भागी हूं । यह चिल्ला रहा है । मेरा सुझाव है कि इसे

आगे वाली बेंच पर लगा दिया जाये, ताकि डा० काटजू भी इस कोलाहल का कुछ भाग पा सकें ।

अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार से वह मेरा ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहते हैं कि सरकारी बेंचों पर बहुत बात-चीत हो रही है, जिस से सदन में विघ्न पड़ता है ।

श्री जगजीवन राम : दूसरी बेंच पर विशेष रूप से ।

अध्यक्ष महोदय : मैं तो सभी बेंचों पर यही देख रहा हूं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: मैं जान सकती हूं कि इन लोगों को "अतिरिक्त विभागीय" कर्मचारियों में क्यों सम्मिलित किया जाता है ? क्या यह इसलिये है कि वह स्थायी नहीं हैं ? क्या उन की नौकरी की कोई सुरक्षा है ?

अध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति । वह पहले ही बतला चुकें हैं कि इन लोगों के जीविका के अन्य साधन होते हैं । और इन्हें केवल खंड काल कर्मचारियों के रूप में भर्ती किया जाता है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: तो यह स्थायी कर्मचारी नहीं होते हैं ?

अध्यक्ष महोदय: यह कर्मचारी वृन्द में तो सम्मिलित हैं, किन्तु यह पार्ट-टाइम काम करते हैं ।

श्री जगजीवन राम: मैं ने कहा कि इस श्रेणी को निवृत्ति सरकारी कर्मचारियों—निवृत्ति वेतन प्राप्त करने वाले—अध्यापकों तथा अन्य व्यक्तियों, जिनकी जीविका के कुछ स्वतन्त्र साधन होते हैं, में से नियुक्त किया जाता है ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

ट्रैक्टर (गणना)

*३४५. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में कृषि कार्यों के लिये काम में लाये जाने वाले ट्रैक्टरों की कोई गणना की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो कब और कितने ट्रैक्टर निजी स्वामियों के थे, तथा

(ग) काम में लाये गये ट्रैक्टरों की क़िसम क्या थीं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) । सन् १९५१ में । सभी राज्यों से अभी आंकड़े प्राप्त नहीं हुये हैं । जो आंकड़े प्राप्त हो चुके हैं, उन्हें सदन-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २८**]

श्री एस० सी० सामन्त: माननीय मंत्री ने कहा है कि गणना सन् १९५१ में की गई थी, किन्तु मैं देखता हूं कि विवरण में पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब का कोई उल्लेख नहीं है । क्या मैं इस का कारण जान सकता हूं ?

श्री किदवई : गणना तो अवश्य हुई थी, किन्तु अनुस्मारकों के लिये जाने पर भी यह राज्य अपने विवरण न भेज सके ।

श्री एस० सी० सामन्त: मैं जान सकता हूं कि ट्रैक्टरों के प्रयोग से अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन को किस प्रकार सहायता मिली है और इस से देश में कृषि सम्बन्धी कितनी बेकारी बढ़ी है ?

श्री किदवई : यह ट्रैक्टर नई भूमि में कृषि कार्य करने के लिये काम में लाये जाते हैं, अतः काम पर लगे हुये लोगों के बेकार

होने का प्रश्न ही नहीं है।

इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये कि ट्रैक्टरों का काम कितना प्रभावोत्पादक रहा है, मुझे समय चाहिये और मैं ने जो कुछ दूसरों से सुना है उस के आधार पर उत्तर नहीं देना चाहता।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या माननीय मंत्री हमें उन ट्रैक्टरों की संख्या बतला सकते हैं, जो राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार दोनों के द्वारा आयात किये गये हैं ?

श्री किदवई: मेरे विचार से अधिकांश राज्य सरकारें अपने ट्रैक्टर केन्द्रीय सरकार द्वारा लेती हैं। सदन पटल पर रखे गये विवरण से माननीय सदस्य को ज्ञात होगा कि प्रत्येक राज्य कितने ट्रैक्टरों का स्वामी है।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि केन्द्रीय ट्रैक्टर संस्था द्वारा आयात किये गये ट्रैक्टरों की क़िस्में क्या हैं ?

श्री किदवई: यह भी सदन पटल पर रखे गये विवरण में बतलाया गया है।

श्री एन० एस० नायर : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को विदित है कि ट्रैक्टरों द्वारा कृषि कार्य आरम्भ करने से लाखों मूल कृषकों की, जो कि बैलों का प्रयोग करते थे रोटी छिन गई है और परिणामतः इस से देश में पशु खाद स्थिति भी बिगड़ गई है ?

श्री किदवई : यह तो अपनी अपनी राय है। यदि अधिक भूमि में कृषि की जानी है—चाहे अधिक अन्न उगाने के लिये या अधिक चारा उगाने के लिये—तो घास को तो काटना ही पड़ेगा और पशुओं को वह विशेष घास नहीं मिल सकेगी।

श्री तुषार चटर्जी: श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि किन किन देशों से ट्रैक्टर आयात किये जाते हैं और क्या रूस से कोई ट्रैक्टर आयात किये जाते हैं या नहीं ?

श्री किदवई: ट्रैक्टरों की जो क़िस्में आयात की गई हैं, उन्हें सदन पटल पर रखे गये विवरण में बतलाया गया है। यह बतालने के लिये कि वह कहां से आये हैं, मुझे पूर्व-सूचना चाहिये।

त्रावनकोर-कोचीन में मीन-क्षेत्रों का विकास

*३४६. **कुमारी ऑनी मस्करीन :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने सन् १९४८-४९, १९४९-५०, १९५०-५१, १९५१-५२ और १९५२-५३ में त्रावनकोर-कोचीन में मीन-क्षेत्रों के विकास के लिये कोई धन राशियां निर्धारित की हैं ?

(ख) यह राशियां कितनी हैं ?

(ग) क्या सरकार ने इन राशियों के बारे में और इस बारे में कि यह किस प्रकार व्यय की जाती है, कोई जांच की है ?

(घ) क्या सरकार को उक्त राज्य सरकार से व्यय के बारे में कोई सूचना प्राप्त हुई है ?

(ङ) क्या सरकार ने त्रावनकोर-कोचीन राज्य में पश्चिमी तट के मीन-क्षेत्रों को कोई वित्तीय सहायता दी है ?

(च) यदि दी है, तो यह राशि कितनी है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) तथा (ख)। जी हां। सन् १९४८-४९ में आयेरामथेंगू में एक वेला-संगम मत्स्य पालन केन्द्र, एक गहरे पानी में मछली पकड़ने का स्टेशन, आदर्श मत्स्य शोधन केन्द्र और एक रसायन विभाग की स्थापना की व्यवस्था करने के लिये ३८,३५३ रुपये के अनुदान की मंजूरी दी गई थी। सन् १९४९-५०, १९५०-५१ और १९५२-५३

में कोई अनुदान नहीं मांगे गये थे । सन् १९५१-५२ में ३५,००० रुपये के एक अनुदान की, जो कि एक मत्स्य शोधन योजना के प्राक्कलित व्यय का आधा भाग है, मंजूरी दी गई थी ।

(ग) तथा (घ) । इन अनुदानों की शर्तों के अनुसार, सन् १९४८-४९ में मंजूर की गई योजनाओं के सम्बन्ध में सूचनायें प्राप्त हो चुकी हैं । इन योजनाओं पर राज्य सरकारों द्वारा किये गये वास्तविक व्यय के आधार पर, वह ३८,३५३ रुपये के स्वीकृत अनुदान में से ७,००० रुपये का साहाय्य ले सकती हैं । सन् १९५१-५२ में मंजूर की गई योजनाओं के सम्बन्ध में उसी प्रकार की सूचनाओं की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ङ) जी नहीं ।

(च) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

कुमारी ऑनी मस्करीन: मैं जान सकती हूं कि क्या सरकार को पश्चिमी तट के मीन-क्षेत्रों के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ?

श्री किदवई: विभाग को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त हुई है, यह तो मैं नहीं जानता किन्तु मेरे ध्यान में तो ऐसी कोई शिकायत नहीं लाई गई है ।

कुमारी ऑनी मस्करीन: मैं जान सकती हूं कि क्या वह धन, जो निर्धारित किया गया था किन्तु दिया नहीं गया था, इस के बाद विभाग को दिया जायेगा ?

श्री किदवई: जैसा कि मैं ने कहा है, स्वीकृत योजनाओं के सम्बन्ध में सूचनायें प्राप्त हो चुकी हैं । वास्तविक व्यय के आधार पर, वह साहाय्य ले सकेंगे ।

कुमारी ऑनी मस्करीन: मैं जान सकती हूं कि क्या सरकार ने इन विषयों में जांच करने को कोई आदेश दिया है ?

श्री किदवई: मुझे यह विदित नहीं है ।

श्री पी० टी० चाको: मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने मछलियों की उपयुक्त क़िस्मों का पुनः संग्रह करने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

श्री किदवई: मीन-क्षेत्र विभाग कई वर्षों से काम कर रहा है । मैं अभी तक इस के सब कार्यों से परिचित नहीं हो सका है । यदि माननीय सदस्य किसी विशिष्ट विषय के बारे में जानना चाहते हैं, तो वह एक प्रश्न पूछ सकते हैं ।

लम्बे रेशे वाली रूई

*३४७. **डा० पी० एस० देशमुख**: (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार ने गत दो वर्षों में भारत में लम्बे रेशे की रूई की कृषि को प्रोत्साहन देने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

(ख) विभिन्न रूई उगाने वाले राज्यों में, सन् १९५०-५१ और १९५१-५२ में कितने एकड़ भूमि में लम्बे रेशे की रूई की कृषि की गई है ?

(ग) इन में से कितने एकड़ भूमि में सिंचाई की जाती है ?

(घ) प्रत्येक अवस्था म प्रति एकड़ उत्पादन क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) भारतीय केन्द्रीय रूई समिति के सहयोग से भारत सरकार ने, गत दो वर्षों में लम्बे रेशे की (अर्थात् ७/८" और इससे अधिक की) रूई की कृषि को प्रोत्साहन देने के लिये, यह कार्यवाही की है :—

(१) लम्बे रेशे के रूई की कृषि को बढ़ाने के लिये अनुसन्धान के फलस्वरूप विकसित की गई बीज को बढ़ाने और वित-

रित करने की योजनाओं का अर्थ-प्रबन्ध करना ;

(२) इस प्रकार की रूई का अधिक मूल्य निर्धारित करना ;

(३) हाल में विकसित की गई कुछ बढ़िया क़िस्मों पर मूल्य-नियंत्रण न रखना ;

(४) कुछ किस्मों के लिये विशेष अधिः मूल्य देना ; तथा

(५) इस प्रकार की लम्बे रेशे की रूई से हुये सूत के लिये, जिसे कपड़ा बनाने के काम में लाया जाता है, अधिः मूल्य देना ।

(ख) सन् १९५०-५१ में इतनी भूमि में लम्बे रेशे की रूई बोई गई :

	एकड़
बम्बई	१२,१५,०००
मद्रास	३,६९,०००
मध्य प्रदेश	४,७५,०००
पंजाब व पैप्सू	५,०००
हैदराबाद	९,४०,०००
मैसूर	३९,०००

सन् १९५१-५२ की जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है । इसे यथासम्भव शीघ्र सदन पटल पर रख दिया जायेगा ।

(ग) जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। यथासम्भव शीघ्र इसे सदन पटल पर रख दिया जायेगा ।

(घ) सन् १९५०-५१ में प्रति एकड़ औसत उत्पादन लगभग ८० पौंड था । सन् १९५१-५२ के बारे में जानकारी यथा सम्भव शीघ्र सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

डा० पी० एस० देशमुख: क्या सींची हुई रूई की कृषि को अधिकाधिक प्रोत्साहन देने का विचार है और यदि है, तो क्या कृषकों को सिंचाई द्वारा रूई उगाने के लिये कोई विशेष सहायता दी जा रही है ?

श्री किदवई: सभी राज्यों में, जहां अधिकाधिक उत्पादन के लिये ऐसा करना आवश्यक है, सिंचाई की सुविधा देने की व्यवस्था की जा रही है । किन्हीं विशेष योजनाओं के सम्बन्ध में मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

चौ० रणवीर सिंह: क्या सरकार को विदित है कि हिसार और रोहतक जिलों में उत्पादित लम्बे रेशे की रूई की खरीद खरीदारों द्वारा स्थगित कर दी गयी थी ? यदि हां, तो इस के क्या कारण थे ?

श्री किदवई: मुझे यह विदित नहीं है ।

श्री बेली राम दास: आसाम राज्य में, विशेषतया गारो पहाड़ी जिलों में, जहां बहुत रूई उगाई जाती है, लम्बे रेशे की रूई के बीजों को प्रचलित करने के लिये, सरकार द्वारा, यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

श्री किदवई: भूमि एकड़ों की जो सूची मैं ने दी है, उस में आसाम सम्मिलित नहीं है । सम्भवतः आसाम का जलवायु रूई की पैदावार के लिये उपयुक्त नहीं है । मैं इस की जांच करूंगा ।

डा० पी० एस० देशमुख: क्या माननीय मंत्री को लम्बे रेशे की रूई उगाने वालों की यह शिकायत विदित है कि उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल रहे हैं ।

श्री किदवई: उत्पादक को यह शिकायत तो सदा होती ही है ।

श्री के० जी० देशमुख: मैं जान सकता हूं कि लम्बे रेशे की रूई की सूची में रूई की कौन कौन सी किस्में सम्मिलित हैं ?

श्री किदवई: मैं अभी रूई का विशेषज्ञ नहीं बना ।

खरीफ़ की फ़सलें

*३४८. **डा० पी० एस० देशमुख:** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा सूचित की गई सन् १९५१–५२ में खरीफ़ खाद्यान्न फ़सलों के बारे में, स्थिति क्या थी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): उपलब्ध जानकारी सम्बन्धी एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २९**]

डा० पी० एस० देशमुख: विवरण में चौदह राज्यों की सूचनायें दी गई हैं। इन में से चार राज्यों में बाढ़ तथा सूखे के कारण हुई हानि का उल्लेख किया गया है। मैं जान सकता हूं कि क्या यह जानने के लिये कि बाढ़ द्वारा कितनी हानि हुई है और सूखे द्वारा कितनी हानि हुई है, कोई गणना की गई है ?

श्री किदवई: यदि माननीय सदस्य पूर्व-सूचना दें तो मैं विस्तृत विवरण दे सकूंगा।

अध्यक्ष महोदय: अगला प्रश्न :

श्री बी० आर० भगत: श्रीमान्, क्या मैं यह सुझाव दे सकता हूं कि प्रश्न संख्या ३४९ के साथ प्रश्न संख्या ३५१ को भी, जो कि उसी विषय के बारे में है, ले लिया जाये।

अध्यक्ष महोदय: क्या माननीय मंत्री को दोनों प्रश्नों का एक साथ उत्तर देने में सुविधा रहेगी ?

श्री एल० बी० शास्त्री: जी हां, श्रीमान्।

चित्तरंजन इंजन फ़ैक्टरी

*३४९. **श्री पी० टी० चाको:** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या चित्तरंजन फ़ैक्टरी में उत्पादन आरम्भ हो चुका है ; तथा

(ख) यदि नहीं, तो इस में कब तक उत्पादन के आरम्भ होने की आशा है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): (क) जी हां।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

चित्तरंजन इंजन फ़ैक्टरी

*३५१. **श्री बी० आर० भगत:** (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या चित्तरंजन इंजन फ़ैक्टरी में उत्पादन पूर्व निर्धारित लक्ष्य के अनुसार होता रहा है और यदि नहीं, तो क्यों ?

(ख) चित्तरंजन में इंजन के भागों का शीघ्रता से निर्माण करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): (क) जी नहीं, इस का मुख्य कारण यह है कि इंजन निर्माण कम्पनी, इंगलैंड से, जिस के साथ एक टैकनिकल सहायता समझौता हुआ है, कुछ भाग देर से आये हैं।

(ख) चित्तरंजन में बनाये जाने वाले भागों की संख्या तथा विस्तार प्रति वर्ष एक सावधानी से तैयार की गई योजना के अनुसार बढ़ाई जाती है। इस समय ७० प्रतिशत भागों को बनाया जा रहा है। और आशा की जाती है कि सन् १९५४ तक १०० प्रतिशत निर्माण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जायेगा।

श्री पी० टी० चाको: मैं जान सकता हूं कि इस समय संयन्त्रों की उत्पादन क्षमता क्या है ?

श्री एल० बी० शास्त्री: आशा की जाती है कि चित्तरंजन में एक पूरी पाली का उत्पादन लक्ष्य १२० पूरे इंजन और ५० अतिरिक्त बायलर हैं।

श्री बी० आर० भगत: मैं जान सकता हूं कि ब्रिटेन के निर्माण समवाय से किये गये पंचवर्षीय समझौते की शर्तें क्या हैं और क्या उस ने समझौते में निर्धारित शर्तों के अनुसार सहायता दी है ?

श्री एल० बी० शास्त्री: ब्रिटेन की इंजन निर्माण कम्पनी के साथ किये गये टेकनिकल सहायता समझौते के अन्तर्गत, कम्पनी को प्रतिवर्ष कुछ प्रति शत भाग देने थे। किन्तु वह निर्धारित लक्ष्य तक न पहुंच सकी। अतः सरकार के लिये इस लक्ष्य में संशोधन करना आवश्यक हो गया, और हम आशा करते हैं कि नवीनतम समझौते के अनुसार अब हमें सब भाग ब्रिटेन से प्राप्त हो सकेंगे।

श्री बी० आर० भगत: मैं जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार का इस कम्पनी से, इस के समझौते की शर्तों को पूरा न कर सकने के प्रश्न पर, पत्र-व्यवहार करने का विचार है ?

श्री एल० बी० शास्त्री: ब्रिटेन की अपनी विशेष कठिनाई थी। स्थिति मुख्यतया फौलाद की कमी के कारण बिगड़ गई थी। किन्तु इंजन निर्माण कम्पनी और भारत सरकार के मध्य स्थिति सदा पुनर्विलोकन तथा चर्चा के अधीन है।

श्री एम० एल० द्विवेदी: क्या माननीय मंत्री बतालने की कृपा करेंगे कि चित्तरंजन में अभी तक कितने इंजन बन चुके हैं, और जो इंजन बने हैं क्या वह अच्छे साबित हुये हैं।

श्री एल० बी० शास्त्री: जी हां। अभी तक २७ इंजन बन चुके हैं और वह ईस्ट इंडियन रेलवे पर अच्छा काम कर रहे हैं।

श्री के० के० बसु: मैं जान सकता हूं कि ब्रिटेन की कम्पनी द्वारा कार्यक्रम के अनुसमझौते के पूरा न किये जा सकने के कारण राष्ट्रीय कोष को कितनी हानि उठानी पड़ी है ?

श्री एल० बी० शास्त्री: मुझे खेद है कि यह जानकारी मेरे पास नहीं है।

कुमारी ऑनी मस्करीन: मैं जान सकती हूं क क्या यह फ़ैक्टरी 'सिल्वर ऐरो' नाम का कोई इंजन तैयार करता है ?

अध्यक्ष महोदय: मैं इस प्रश्न का आशय नहीं समझ सका।

श्री बी० एस० मूर्ति: मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ब्रिटेन की कम्पनी से हमारा नुक़सान पूरा करने के लिये आग्रह करेगी ?

अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार से, राष्ट्रीय हानि के बारे में यह प्रश्न पूछा गया था और इस का उत्तर भी दिया जा चुका है।

पंडित एम० बी० भार्गव: मैं जान सकता हूं कि इस फैक्टरी में प्रत्येक इंजन का औसत निर्माण व्यय क्या है और यह आयात किये गये इंजन के व्यय की तुलना में कितना है ?

श्री एल० बी० शास्त्री: मुझे इस के लिये पूर्वसूचना चाहिये।

श्री नम्बियार: मैं जान सकता हूं कि क्या चित्तरंजन फैक्टरी की सहायता के लिये सरकार के पास धातु कर्मिक उद्योग को आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है ?

अध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति। यह कार्यवाही करने के लिये सुझाव है।

लोक प्रशासन पर श्री गोरवाला का प्रतिवेदन

*३५२. **श्री यू० सी० पटनायक:** (क) क्या गृहकार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या अब लोक प्रशासन सम्बन्धी श्री ए० डी० गोरवाला के प्रतिवेदन की योजना आयोग द्वारा परीक्षा कर ली गई

है और क्या उस पर अन्तिम सिफ़ारिशें की जा चुकी हैं ?

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो सरकार ने शासन-तंत्र में परिवार पोषण, और भ्रष्टाचार दूर करने और कार्यक्षमता बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की है या सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

(ग) क्या इस प्रतिवेदन के रचयिता की योजना आयोग द्वारा परीक्षा की गई है और क्या उन के द्वारा उद्धृत उदाहरणों का यथाविधि परीक्षण किया गया है ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) तथा (ग) । लोक प्रशासन सम्बन्धी श्री ए० डी० गोरवाला का प्रति वेदन योजना आयोग के परीक्षाधीन है । इसके प्रस्तुत किये जाने के कुछ देर बाद, आयोग ने प्रतिवेदन पर श्री गोरवाला से चर्चा की थी । आयोग आशा करता है कि वह पंच-वर्षीय योजना सम्बन्धी अपने अन्तिम प्रतिवेदन में, शासन-तंत्र में सुधार करने और इस को सुदृढ़ बनाने के लिये, विशेषतया योजना कार्यक्रमों के परिपालन के सम्बन्ध में, कुछ सम्बन्धित मामलों पर सिफ़ारिशें करेगा ।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता, किन्तु भ्रष्टाचार को रोकने के सम्बन्ध में, डा० बख्शी टेकचन्द की समिति द्वारा की गई सिफारिशें सक्रिय विचाराधीन हैं ।

श्री यू० सी० पटनायक: मैं जान सकता हूं कि क्या परिवार पोषण तथा भ्रष्टाचार के उन मामलों की, जिनका श्री गोरवाला ने निर्देश किया है, योजना आयोग या गृह विभाग द्वारा परीक्षा की गई है ?

डा० काटजू: मैं ने अभी कहा कि भ्रष्टाचार को रोकने के सारे प्रश्न की—मैं परिवार पोषण के बारे में नहीं कह रहा हूं, यह एक पृथक् मामला है—एक समिति द्वारा, जिसके अध्यक्ष डा० बख्शी टेकचन्द हैं, सविस्तार परीक्षा की गई है । यह प्रतिवेदन गृह विभाग के सक्रिय परीक्षाधीन है ।

परिवार पोषण के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि जब आप मुझे परिवार पोषण का दोषी होने से रोकेंगे, तो एक सदस्य के नाते मैं भी यह आशा करता हूं कि संसद् के सभी सदस्य परिवार पोषण के दोषी नहीं होंगे ।

श्री यू० सी० पटनायक: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वास्तव में निर्दिष्ट मामलों की परीक्षा की गई है ?

अध्यक्ष महोदय: भ्रष्टाचार के मामलों की या परिवार पोषण के मामलों की ?

श्री यू० सी० पटनायक: दोनों के ।

डा० काटजू: मैं नहीं जानता कि कोई विशिष्ट मामले हैं भी ।

खाद्य आवश्यकतायें

*३५३. **पंडित एम० बी० भार्गव**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतालने की कृपा करेंगे

(क) वर्ष १९५२-५३ के लिये खाद्यान्न की प्राक्कलित आवश्यकतायें क्या होंगी; तथा

(ख) कमी कितनी होगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) तथा (ख) । खाद्यान्न के समाहार तथा वितरण की मूल योजना वित्तीय वर्ष के अनुसार नहीं बल्कि पत्री वर्ष के अनुसार बनाई जाती है। वर्तमान योजना में—बदलती हुई स्थितियों को ध्यान में रखने के लिये, समय समय पर संशोधन किया जाता है—सरकार द्वारा ७०·६५ लाख टन खाद्यान्न के वितरण की व्यवस्था की गई है । इस में

से ३०·६५ लाख टन का आन्तरिक रूप से समाहार किये जाने की आशा है, शेष ४० लाख टन की कमी आयातों द्वारा पूरी की जायेगी ।

पंडित एम० बी० भार्गव: वर्ष १९५२-५३ के शुरू में विभिन्न सरकारी गोदामों में शेष कुल कितना संग्रह होगा ?

श्री किदवई: मैं माननीय सदस्य को, या सभी माननीय सदस्यों को, किसी विशिष्ट तिथि पर की संग्रह स्थिति बतला सकता हूं, किन्तु आंकड़े मेरे पास नहीं हैं ।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें पूर्वसूचना चाहिये । उन के पास आंकड़े नहीं हैं ।

पंडित एम० बी० भार्गव : मैं जान सकता हूं कि क्या सन् १९५२-५३ के लिये खाद्यान्नों के आयात का कोई कार्यक्रम निर्धारित किया गया है और बाहर से कितना खाद्यान्न आयात किया जायेगा ?

श्री किदवई: यह जानकारी सदन को प्रत्येक प्रश्न दिवस को दी जाती है और आज भी दी गई है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं जान सकती हूं कि क्या निजी कम्पनियों को भारत में खाद्यान्न आयात किये जाने की आज्ञा दी जायेगी और मूल्यों पर इस का क्या प्रभाव पड़ेगा ? हम ने समाचारपत्रों में पढ़ा है कि माननीय मंत्री कमी को पूरा करने के लिये खाद्यान्न की व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री किदवई: मैं ने कई स्थानों पर कहा है कि यदि मुझे यह दिखाई दिया कि निजी आयातकर्ता अधिक अच्छी शर्तें प्राप्त कर सकते हैं या कम व्यय पर अधिक अच्छा संग्रह ले सकते हैं, तो मैं इस प्रश्न पर विचार करूंगा ।

श्री बी० एस० मूर्ति: मैं जान सकता हूं कि क्या मंत्री महोदय को विदित है कि मद्रास में कुछ व्यापारियों ने यह प्रस्ताव किया था कि वह अधिक अनुकूल शर्तों पर चावल का आयात कर सकेंगे और उन को क्यों कोई सुविधायें नहीं दी गई थीं ?

श्री किदवई: मद्रास के कुछ व्यापारियों ने कहा था कि वह **ब्रह्मा** से अधिक सस्ते दामों पर चावल प्राप्त कर सकते हैं, किन्तु उन्हें **ब्रह्मा** में विद्यमान दशाओं का ज्ञात नहीं था । हमारे अन्तिम समझौते में यह प्रावधान था कि **ब्रह्मा** से २५० टन सरकार द्वारा आयात किया जायेगा और १३० टन निजी आयात कर्ताओं के लिये होगा और हम ने परिणाम देख लिया है । हमें सस्ते दरों पर मिला है, ब्रह्मा से भारत को निर्यात करने वालों को अधिक मूल्य देना पड़ा था और अतः हमारे मूल्य बढ़ गये थे ।

श्री बी० एस० मूर्ति: मैं जान सकता हूं कि मंत्री महोदय ने यह राय कैसे कायम की, जब कि मद्रास के व्यापारियों ने **ब्रह्मा** की स्थिति को जानते हुये सस्ती दरों पर चावल देने का प्रस्ताव किया था ?

श्री किदवई: मद्रास विधान सभा में इस की ओर निर्देश किया गया था और मैं ने भी सुना था कि मद्रास के कुछ व्यापारी चावल आयात करने के लिये तैयार हैं और इस का अभ्यंश लेना चाहते हैं । भारत सरकार ने तत्काल मद्रास सरकार को लिखा था कि यदि कोई आयात करने के लिये तैयार हो, तो उचित मूल्यों के होते हुये, उसे सुविधायें दी जायें ।

अध्यक्ष महोदय: अगला प्रश्न ।

कृषि उपकरण

*३५५. **श्री के० सुब्रह्मण्यम:** खाद्य तथा **कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि बम्बई उच्च न्यायालय के एक सेवा-निवृत्त न्यायाधीश, श्री

एच० वी० डिवाटिया ने, जिन्हें भारत सरकार द्वारा कृषि उपकरणों के निर्माण के सम्बन्ध में, खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा किये गये हानिपूर्ण घोटाले की जांच करने के लिये कहा गया था, तीन सम्बन्धित मंत्रालयों में बहुत सी अनियमतायें पाई थीं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): श्री एच० वी० डिवाटिया ने, जिन्हें भारत सरकार की ओर से, कृषि उपकरणों के लिये एक भारतीय फर्म को दिये गये आर्डर के सम्बन्ध में परिस्थितियों की जांच करने के लिये नियुक्त किया गया था, हाल ही में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है । उन का प्रतिवेदन सरकार के विचाराधीन है । इस सम्बन्ध में, अधिक जानकारी मैं किसी अन्य तिथि पर दे सकूंगा ।

श्री के० सुब्रह्मण्यम: मैं जान सकता हूं कि यह प्रतिवेदन सरकार को कब प्रस्तुत किया गया था ? इसे कितना समय हुआ है ?

श्री किदवई : मेरे विचार से यह गत मास के तीसरे सप्ताह में प्राप्त हुआ था ।

श्री के० सुब्रह्मण्यम: इस पर विचार करने में कितना समय लगेगा ?

श्री किदवई: मेरे विचार से अधिक समय नहीं लगेगा, क्योंकि इसे गृह तथा विधि मंत्रालयों की राय जानने के लिये उन के पास भेजा जा रहा है और सत्र के समाप्त होने से पूर्व, मैं सरकार की विचारित राय सदन के समक्ष रख दूंगा ।

श्री के० सुब्रह्मण्यम: मैं जान सकता हूं कि यदि भूतपूर्व पदधारी—मंत्री—अनियमता के दोषी पाये गये, तो क्या उन के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । इस अवस्था में यह प्रश्न समय से पूर्व की बात है ?

परिवार आयोजन

*३५६. **श्री के० सुब्रह्मण्यम:** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतालने की कृपा करेंगी कि सरकार द्वारा वर्ष १९५२-५३ में विश्व स्वास्थ्य संस्था की जनसंख्या नियंत्रण सम्बन्धी परियोजनाओं के लिये कितना धन निर्धारित किया गया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): जनसंख्या नियंत्रण के लिये विश्व स्वास्थ्य संस्था की कोई परियोजनायें नहीं हैं । भारत सरकार ने वर्ष १९५२-५३ के आय-व्ययक में, परिवार आयोजन के प्रयोगात्मक अध्ययन के लिये तीन लाख रुपये की रक़म का प्रावधान किया है । इस रक़म का कुछ भाग विशेषज्ञों के, जो कि इन योजनाओं के सम्बन्ध में आये हैं स्थानीय व्यय को पूरा करने में व्यय किया जायेगा ।

श्री के० सुब्रह्मण्यम : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने डा० स्टोन की प्रणाली को जारी करने से पूर्व उस की उपयुक्तता के बारे में देश के चिकित्सकों से भी परामर्श किया था ?

राजकुमारी अमृत कौर: जी हां श्रीमान् । डाक्टरों की राय हमें उपलब्ध थी ।

श्री के० सुब्रह्मण्यम : चिकित्सा विशषज्ञों ने क्या राय दी थी ?

राजकुमारी अमृत कौर: अनुकूल राय दी थी ।

श्री ए० एम० टामस: मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को विदित है कि कुछ सम्प्रदाय सब प्रकार के परिवार आयोजनों के अत्यधिक विरोधी हैं ?

राजकुमारी अमृत कौर : सरकार को विदित है कि यह एक वाद प्रतिवाद का विषय बना हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय: यह तो एक प्रकार से राय देना ही होगा । अगला प्रश्न ।

रेलवेज का पुनर्वर्गीकरण (छंटनी)

*३५७. **श्री के० सुब्रह्मण्यम:** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या रेलवेज के पुनर्वर्गीकरण के फलस्वरूप रेल कर्मचारियों की कोई छंटनी हुई है; तथा

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो क्या प्रभावित कर्मचारियों को अन्य नौकरियां दी जा रही हैं ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता ।

श्री के० सुब्रह्मण्यम: क्या बेकारी की कोई सम्भावना है ?

श्री एल० बी० शास्त्री: जी नहीं । मेरे विचार से नहीं है

श्री नम्बियार: मैं जान सकता हूं कि क्या कर्मचारियों के स्थानान्तरण से और इस पुनर्वर्गीकरण की योजना के अन्तर्गत कार्य भार बढ़ाने से छंटनी करना सम्भव है ?

श्री एल० बी० शास्त्री: जहां तक इन रेलों—उत्तर पश्चिमी रेलवे और उत्तर पूर्वी रेलवे—का सम्बन्ध है, सदन को ज्ञात ही है कि एक आश्वासन दिया गया था कि कोई छंटनी नहीं होगी ।

सारन-सोनपुर में रेलवे लाइनों का निर्माण

*३५८. **श्री झूलन सिन्हा:** (क) रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या ओ० टी० आर० (जो कि अब उत्तर पूर्वी रेलवे है) के अधीन जिला सारन (बिहार) में और जिला सोनपुर में रेलवे लाइनों को बढ़ाने की या नई लाइनें बनाने की कोई योजना है ?

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो इसे कार्यान्वित करने में क्या प्रगति की गई है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): (क) तथा (ख) । रेलवे परियोजना के एक छोटे से भाग चकिया—अलवालिया—सिधवालिया को छोड़ कर जो कि जिला सारन में से गुजरता है, उत्तर पूर्वी रेलवे के अधीन जिला सारन (बिहार) में रेलवे लाइनों को बढ़ाने की या नई लाइनें बनाने की कोई योजना नहीं है । इस परियोजना की मुख्य बात गंडक नदी पर पुल बनाना है जिसके लिये दो स्थानों का एक बगाहा और दूसरा सिधवालिया में निरीक्षण कार्य किया जा रहा है । पुल बनाये जाने का स्थान अन्तिम रूप से निश्चित कर लिये जाने तक इस परियोजना पर विचार इस समय स्थगित कर दिया गया है ।

श्री झूलन सिन्हा: मैं जान सकता हूं कि क्या तावे-कटेया से भटनी तक एक नई लाइन बनाने की क्या कोई अन्य परियोजना है ?

श्री एल० बी० शास्त्री: इस प्रकार की कोई लाइन विचाराधीन नहीं है ।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

अध्यक्ष महोदय: अल्पसूचना प्रश्न; डा० राम सुभग सिंह

डा० राम सुभग सिंह: यह कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि.....

अध्यक्ष महोदय: शान्ति शान्ति । इस विषय पर अन्य माननीय सदस्यों के कुछ अन्य प्रश्न भी हैं । पुनरावृत्ति होने के कारण

स्वाभाविकतः उन की आज्ञा नहीं दी जायेगी किन्तु मैं प्रत्येक को अनपूरक प्रश्न पूछने का अवसर देना चाहता हूं। अब वह अपना प्रश्न पूछ सकते हैं।

२६ मई, १९५२ को दिल्ली में हुआ दंगा

डा० राम सुभग सिंह : क्या गृहकार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे

(क) क्या यह सत्य है कि २६ मई १९५२ सोमवार को दिल्ली में दंगा हो गया था ;

(ख) इस दंगे में कितने व्यक्ति घायल हुये ;

(ग) कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ; तथा

(घ) क्या तनाव अब भी है ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : श्रीमान्, आप की आज्ञा से, क्या मैं उत्तर में एक वक्तव्य पढ़ सकता हूं, जिस में लगभग सभी प्रश्न जो पूछे गये हैं, आ जाते हैं।

इस वर्ष ६ मई को, विवाह पंजीयक, दिल्ली को, सिकन्दर बख्त नाम के एक व्यक्ति के हस्ताक्षरों से इस आशय की एक सूचना प्राप्त हुई कि वह विशेष विवाह अधिनियम, १८७२ के अन्तर्गत, एक लड़की राज शर्मा से विवाह करना चाहता है। सूचना में, वर की आयु ३३ वर्ष और वधु की आयु २२ वर्ष बतलाई गई थी। अधिनियम में निर्धारित १४ दिनों की अवधि में, विवाह के विरुद्ध कोई आपत्ति नहीं प्राप्त हुई और २४ मई, १९५२ सायं विवाह की तिथि निश्चित हुई जो कि कान्स्टीट्यूशन क्लब, नई दिल्ली में होना था। २४ मई को ३ बजे सायं लड़की के पिता राम नारायण ने पंजीयक को इन तीन आधारों पर आपत्ति पेश की कि :

(१) लड़की की आयु २० वर्ष से कम है और उस की सहमति नहीं ली गई है ;

(२) चूंकि वह धर्म से हिन्दू है और सिकन्दर बख्त मुसलमान है, अतः इस अधिनियम के अन्तर्गत यह विवाह नहीं हो सकता ; तथा

(३) अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित १४ दिनों की सूचना नहीं दी गई।

पंजीयक ने इन आधारों पर, कि अपेक्षित सूचना दे दी गई है, कि १४ दिनों की अवधि, जिसके अन्दर आपत्ति उठाई जा सकती थी, २१ मई को समाप्त हो चुकी है, विवाह की सूचना में लड़की की आयु २२ वर्ष बतलाई गई है और यह कि दोनों पक्षों ने घोषणा की है कि वह किसी धर्म को नहीं मानते हैं इस प्रार्थना-पत्र को अस्वीकार कर दिया। तत्पश्चात् राम नारायण ने वरिष्ट उपन्यायाधीश, दिल्ली से प्रार्थना की और उन से इस आशय की एक अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली कि सिकन्दर बख्त और राज शर्मा २६ मई तक विधिवत विवाह नहीं कर सकते। इस निषेधाज्ञा की सूचना उसी दिन कुछ समय बाद ज़िला पंजीयक को प्राप्त हो गई।

२. इस बीच, प्रस्तावित विवाह का कुछ प्रचार किया गया था और नगर में कुछ तनाव फैल गया था। जब विवाह करने वाले कान्स्टीट्यूशन क्लब में आये, तो कुछ व्यक्तियों द्वारा, जिन में वधु का पिता और भाई भी थे, एक प्रदर्शन किया गया। चूंकि न्यायालय की निषेधाज्ञा की तामील सिकन्दर बख्त पर हो चुकी थी, अतः विवाह संस्कार न हो सका। पंजीयक स्वयं उपस्थित नहीं हुआ क्योंकि उसे निषेधाज्ञा की सूचना पहले ही मिल चुकी थी। सभी अतिथि तथा

प्रदर्शनकारी वापस चले गये और २४ की शाम को अन्य कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं हुई ।

३. २५ तारीख को नगर में तनाव बढ़ गया । दीवान हाल में एक सार्वजनिक सभा हुई जिस में ऐसे भाषण दिये गये जिन के फलस्वरूप श्रोताओं में उत्तेजना फैल गई । सभा के अन्त में, श्रोता एक जलूस के रूप में नगर में हो कर निकले और कांग्रेस कार्यालय के सामने तथा श्रीमती सुभद्रा जोशी के निवास स्थान के सामने, जो २४ को आयोजित समारोह में अतिथियों का स्वागत कर रही थीं, प्रदर्शन किये ।

४. नगर में यह ज्ञात था कि निषेधाज्ञा जारी करने का प्रश्न न्यायालय द्वारा २६ तारीख को सुना जायेगा । प्रातः काल से ही नगर के भिन्न भिन्न भागों से लोगों के छोटे छोटे दल न्यायालय के अहाते में एकत्रित होने लगे । लोगों में बहुत उत्तेजना थी और उन्होंने न्यायालय के कमरे की कुछ खिड़कियों के शीशे तोड़ डाले और गांधी टोपियों को जलाया । इस बात को ध्यान में रखते हुये कि भीड़ में प्रदर्शनकारियों के अतिरिक्त कुछ मुक़दमा लड़ने वाले भी थे, जो कि उचित कार्य के लिये कचहरी आये हुये थे और इसलिये कि हिंसा भावना अपने आप ही समाप्त हो गई थी, स्थानीय प्राधिकारियों ने भीड़ को तितर बितर करने के लिये बल का प्रयोग न करने का निश्चय किया । न्यायालय ने एक आदेश द्वारा ९ जून तक की निषेधाज्ञा दे दी और प्रतिवादियों को कहा गया कि वह उस दिन उपस्थित हो कर कारण बतलायें कि मुक़दमे का निर्णय होने तक निषेधाज्ञा को निश्चयात्मक क्यों न बना दिया जाये । न्यायालय द्वारा इस आदेश के दिये जाने के बाद, लोग छोटे छोटे दलों में बंट कर नगर में फैल गये । इस बीच सारे नगर में दंगे की योजना फैलाई जा चुकी थी और पुलिस के दस्ते गश्त पर आ गये थे । फिर भी इक्का दुक्का हमले हुये, जिस के फलस्वरूप सात मुसलमानों को हल्की चोटें पहुंची और दो को गम्भीर चोटें पहुंची, जिन में से, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है, एक घातक सिद्ध हुई । स्थिति पर शीघ्र क़ाबू पा लिया गया था और उस दिन १ बजे के बाद कोई घटना नहीं हुई । तत्पश्चात् महासभा और जनसंघ के नेताओं ने गांधी ग्राउण्ड में शाम को एक आम सभा करने की घोषणा की । नगर में फैले हुये तनाव को और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि दो व्यक्ति पहले ही गम्भीर रूप से आहत हो चुके थे, स्थानीय प्राधिकारियों ने आम सभा पर प्रतिबन्ध लगा दिया । किन्तु यह सभा दीवान हाल में की गई । इस सभा में फिर जो भाषण दिये गये, उन से हाल के अन्दर तथा बाहर एकत्रित हुये लोगों में बहुत उत्तेजना फैल गई । सभा के समाप्त होने के बाद, वहां एकत्रित लोगों ने जलूस निकालना चाहा, परन्तु पुलिस ने उन्हें तित्तर बित्तर करने के लिये बार बार लाठी चलाई, भीड़ के जमाव को सफलतापूर्वक तोड़ दिया गया और रात को कोई घटना नहीं हुई । किन्तु इस उद्देश्य से कि स्थिति और अधिक न बिगड़ जाये, दिल्ली प्राधिकारियों ने उन लोगों को जिन्होंने २५ और २६ तारीख़ को दिल्ली में आपत्तिजनक भाषण दिये थे, निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत नज़रबन्द करने का निश्चय किया । अतः २७ तारीख को प्रातः ऐसा किया गया ।

५. मैं यह भी बतला देना चाहूंगा कि २६ तारीख़ को नगर में बड़े पैमाने पर हड़ताल हुई, किन्तु यह सारी हड़ताल स्वेच्छा से नहीं हुई थी और कई स्थानों पर धमकियों से काम लिया गया था । २६ तारीख को दोपहर बाद दिल्ली के मुख्य मंत्री और श्री

ओंकार नाथ, संसद् सदस्य भी जो कि लोगों को शान्त कर रहे थे, पत्थरों से घायल हुये और उन की कार को काफ़ी नुक़सान पहुंचा ।

६. सब मिला कर, ११ व्यक्ति निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत नज़रबन्द किये गये और २१ साधारण विधि के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये । जैसा कि सदन को सम्भवतः विदित होगा, निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत नज़रबन्द किये गये सब व्यक्तियों को ३० तारीख़ को दोपहर बाद छोड़ दिया गया था । अन्य व्यक्तियों के बारे में साधारण विधि के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

७. राज शर्मा, जो कि दिल्ली से बाहर चली गई थी, ३१ तारीख़ को प्रातः लौट आई और अब उसे अपने सम्बन्धियों के हवाले कर दिया गया है और वह उन के पास रह रही है ।

८. नगर में तनाव बहुत हद तक कम हो गया है और कारोबार सामन्य रूप से हो रहा है । मैं आशा करता हूं कि इस मामले से उत्पन्न होने वाले वाद पद—ऐसे वाद पद जिन से उत्तेजना उत्पन्न हुई है—साधारण तरीक़े से सुलझाये जायेंगे और सार्वजनिक शान्ति को फिर भंग होने नहीं दिया जायेगा और हिंसा या धमकियों का भी प्रयोग नहीं किया जायेगा ।

डा० राम सुभग सिंह : मैं जान सकता हूं कि श्रीमती सुभद्रा जोशी किस हैसियत से अतिथियों का स्वागत कर रही थीं, क्या उन का वर या वधु से कोई सम्बन्ध था या उन्होंने दोनों को या किसी एक को गोद ले लिया था ?

डा० काटजू : जहां तक मुझे ज्ञात है श्रीमती सुभद्रा जोशी अपनी निजी हैसियत से ऐसा कर रही थीं । आप उन से पूछ सकते हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : मैं उन सम्बन्धियों के नाम जान सकता हूं जिन्हें कुमारी राज शर्मा को सौंपा गया है ?

डा० काटजू : उसे उसकी चाची और उस के भाइयों को सौंप दिया गया है । क्योंकि उसे काफ़ी भय था —उसने स्वयं उपआयुक्त से ज़ा कर कहा कि उसे मारपीट का भय था—अतः उपआयुक्त ने उस के निवास का प्रबन्ध एक ऐसे मकान में किया है जहां पर उसे पुलिस का संरक्षण दिया गया है । उस की चाची उसके साथ रह रही है । उस के भाइयों को उस से मिलने दिया जाता है । उस के पिता तथा अन्य सब सम्बन्धियों को उस से मिलने दिया जाता है और वह पूर्णतः स्वतन्त्र है ।

डा० राम सुभग सिंह : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या माननीय मंत्री जानते हैं कि कुमारी राज शर्मा, ३१ मई से पहले कहां रह रही थीं ?

डा० काटजू : मुझे ज्ञात नहीं है ।

डा० राम सुभग सिंह : श्री मान्, मैं जान सकता हूं कि क्या दिल्ली राज्य सरकार तथा कांग्रेस से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्तियों का किसी प्रकार से इन घटनाओं में, जिन के कारण दंगा हुआ कोई हाथ था ?

अध्यक्ष महोदय : हम उन बातों की चर्चा नहीं कर सकते । यह सम्भवतः न्यायिक जांच का विषय है ।

डा० राम सुभग सिंह : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि उन विधान सभा के सदस्यों और संसद् सदस्यों की संख्या क्या है, जिन्हें गत सप्ताह हुये दंगे के सम्बन्ध में गिरफ्तार किया गया था ?

डा० काटजू : उन की जिन्हें निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था ?

डा० राम सुभग सिंह: चाहे कोई भी अधिनियम हो ।

डा० काटजू: यदि मैं ग़लत नहीं कह रहा हूं तो एक हमारे सहयोगी और एक दिल्ली विधान सभा के सदस्य को गिरफ्तार किया गया था ।

डा० राम सुभग सिंह: श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि उन का दंगे से क्या सम्बन्ध था ?

अध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति । माननीय सदस्य को स्मरण होगा कि अन्य लोगों के सम्बन्ध में क़ानूनी कार्यवाही विचाराधीन है और सदन की विशेषाधिकार समिति की बैठक हो रही है और वह इस मामले की जांच कर रही है । इस अवस्था में किसी चीज़ का पहले से ही अनुमान लगाना या किसी बात का सुझाव देना और इस प्रकार विशेषाधिकार समिति के विचार-विमर्श को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करना, उचित नहीं होगा ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी: श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि कान्स्टीट्यूशन क्लब में विवाहोत्सव से पहले ही पुलिस क्यों भेज दी गई थी ?

डा० काटजू: मेरे विचार से वह अपने साधारण कर्तव्य पालन के सिलसिले में इस बात का ध्यान रखने के लिये कि कोई गड़बड़ न हो, वहां गये होंगे ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी: उनकी संख्या क्या थी ?

डा० काटजू: मेरे पास इस समय ठीक टीक जानकारी नहीं है । वह सम्भवतः ५० से या १०० थे, मुझे ज्ञान नहीं है ।

श्री एम० एच० रहमान: मैं यह जानना चाहता हूं कि पच्चीस तारीख को जब दीवान हाल में इश्तयाल अगज तक़रीरें (उत्तेजनात्मक भाषण) की गई और वहां से एक हुजूम (भीड़) मुश्तैल (उत्तेजित) हो कर लाल कुआं की तरफ़ गया और उस ने दो तीन आदमियों को पीटा और वहां के अस्पताल के क़रीब मिट्टी के बर्तनों की जो दुकान थी उस को तोड़ा फोड़ा और छब्बीस तारीख की सुबह को दस, पन्द्रह, बीस आदमियों की शक्ल में शहर में घूम घूम कर हड़ताल कराने की कोशिश की और इस बात की कोशिश की कि दुपहर को सब को कोर्ट (न्यायालय) में चलना चाहिये, इन तमाम वाक़यात (सब घटनाओं) के बाद भी पुलिस का ऐसा नाक़िस इन्तज़ाम (त्रुटिपूर्ण प्रबन्ध) क्यों रहा कि एक आदमी जान से मार डाला गया और बहुत काफ़ी लोग ज़ख्मी हुये ?

डा० काटजू: श्रीमान्, क्या आप इस प्रश्न की आज्ञा देते हैं ?

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न के साथ निस्सन्देह एक लम्बी प्रस्तावना है । उन का प्रश्न यह है कि पुलिस ने शुरू में ही कड़ी कार्यवाही क्यों नहीं की ?

डा० काटजू: जैसा मैंने अपने जवाब में अर्ज (निवेदन) किया है पुलिस ने जहां तक उस से बन पड़ा कोशिश की । मगर मेहरबानी (कृपा) कर के आप याद रक्खें कि देहली में अब कोई बारह लाख या तेरह लाख की आबादी है और पुलिस की तादाद (संख्या) कुछ ज्यादा नहीं है और इस बात का भरोसा है कि यहां के जो नागरिक हैं, वह जरा ऐहितयात (सावधानी) और सब्र (धैर्य) और अकल (बुद्धि) से काम लेंगे । लेकिन अगर वह खुद (स्वयं) ही पागल हो जायें तो कोई पुलिस भले ही बाद में उस को चेक (रोक) कर सके, मगर पहले नहीं कर सकती । पुलिस ने अमन (शान्ति) क़ायम (स्थापित) रखने के लिये हत्तउलइमकान (यथा सम्भव) कोशिश

की और रायट स्कीम (दंगा योजना) भी लगा दी ।

श्री एम० एच० रहमान: मैं यह जानना चाहता हूं कि आप को मालूम होगा कि मुसलमान मजहब के एतबार से इस तरह की सिविल मैरिज (कानूनी विवाह) को पसन्द नहीं करते और उसको जायज़ नहीं समझते तो फिर ऐसी सूरत में मुसलमान अवाम (जनसाधारण) के साथ ऐसी कार्यवाही क्यों की गई और क्या आप ने यह तहक़ीकात (जांच) की कि यह जो उन के साथ सलूक किया गया वह किस तहरीक़ का नतीजा है ?

डा० काटजू: इस बात का जवाब देना मुश्किल होता है और आप इस को ज्यादा समझ सकते हैं, इस वास्ते कि जहां कोई मामला फ़िरक़ेवाराना (साम्प्रदायिक) शक्ल अख्तियार कर लेता है तो ऐसे लोग जिन्होंने कि कुछ भी नहीं किया होता है, क्या हिन्दू और क्या मुसलमान, उन पर बे जा हमले होते हैं, हालांकि (यद्यपि) यह चीज बिलकुल नाकिस है ।

डा० राम सुभग सिंह: श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या वर पहले से विवाहित था ?

अध्यक्ष महोदय: यह सब प्रश्न बिल्कुल असंगत हैं । सदन अब अगली कार्यवाही प्रारम्भ करेगा । मैं देखता हूं कि कुछ माननीय सदस्य और प्रश्न पूछने के लिये खड़े हुये हैं । जहां तक जानकारी का सम्बन्ध है, इस पर काफ़ी चर्चा हो चुकी है । हमें इस विवाह के विस्तार में या इस के गुण-दोष में जाने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री आर० के० चौधरी: श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि बंगले में रहने का खर्च कौन दे रहा है, क्योंकि यह बंगला उप आयुक्त द्वारा अधिग्रहण किया गया था और उस के पुलिस संरक्षण का ख़र्च कौन दे रहा है । विधि के अनुसार इस के लिये क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिये ।

डा० काटजू: विधि के अनुसार तथा नैतिक रूप से भी, पुलिस का यह कर्तव्य है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को, धर्म, लिंग या मत के भेदभाव के बिना, संरक्षण दे । जहां तक मकान के किराये का सम्बन्ध है, मुझे इस समय इस का कोई ज्ञान नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति । मैं और प्रश्नों की आज्ञा नहीं देता ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

टैपियोका

***३५०. पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय:** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि टैपियोका में खाद्य तत्व कितना होता है और भारत के किन भागों में इस का खाद्य के रूप में उपयोग किया जाता है ?

(ख) इस का उत्पादन किन राज्यों में होता है और इस समय लगभग कितने एकड़ भूमि में इस की कृषि की जा रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) टैपियोका में ३८·७ प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट, ०·७ प्रतिशत प्रोटीन, ०·२ प्रतिशत चर्बी, १ प्रति शत खनिज पदार्थ और ५९·४ प्रतिशत पानी होता है । इस के एक औंस से ४५ कैलोरीज़ पैदा होती हैं और इस में विटामिनों की कमी है ।

त्रावनकोर और मद्रास के मालाबार ज़िले में इस का मुख्यतः एक अनुपूरक खाद्य के रूप में उपयोग किया जाता है ।

(ख) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३०]**

सहरसा उप-ज़िला के लिये तार घर

*३५४. **श्री एल० एन० मिश्र**: (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि बिहार सरकार और बिहार की कुछ सार्वजनिक संस्थाओं ने भारत सरकार से सहरसा उप-ज़िला में गरपतगंज, प्रतापगंज तथा बसर पट्टी स्थानों पर तार घर खोलने के लिये प्रार्थना की थी ?

(ख) क्या यह सत्य है कि बिहार सरकार ने भी उक्त तार घरों के कार्यकरण में होने वाले घाटे को, यदि कोई घाटा हुआ तो, पूरा करने का वचन दिया था ?

(ग) क्या यह सत्य है कि भारत सरकार ने भी प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था और उनको खोलने की मंजूरी दे दी थी ?

(घ) यदि हां तो, क्या सरकार बतलायेगी कि उन तार घरों के अभी तक न खोले जाने के कारण क्या हैं ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) से (ग) । जी हां ।

(घ) धन और माल की कमी के कारण यह कार्य समाप्त नहीं हो सका । आशा है कि यह कार्यालय लगभग चार मासों में खोल दिये जायेंगे ।

उड़ीसा में डाक घर

*३५९. **श्री संगण्णा**: क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) उड़ीसा राज्य के प्रत्येक ज़िले में सब क़िस्म के डाक घरों की संख्या क्या है ;

(ख) क्या सभी डाकघर सरकारी भवनों में स्थित हैं, तथा

(ग) यदि कोई डाक घर निजी भवनों में स्थित हैं, तो उन का कितना वार्षिक किराया दिया जाता है ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३१**]

(ख) जी नहीं ।

(ग) उड़ीसा में किराये के भवनों में स्थित डाक घरों के लिये कुल ३४,६०७-३-० रुपये वार्षिक किराया दिया जाता है ।

खोवांग-नुमालीगढ़ राष्ट्रीय राजपथ

*३६०. **श्री बैली राम दास**: (क) क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय राजपथ का कितना भाग आसाम के राज्य में पड़ता है ?

(ख) क्या सरकार को विदित है कि आसाम राज्य में राष्ट्रीय राजपथ का खोवांग से नुमालीगढ़ तक का भाग, जो कि लगभग १०० मील का है, गत भीषण भूकम्प से खराब हो गया है और सड़क के इस भाग की मरम्मत करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): (क) लगभग छै प्रतिशत ।

(ख) जहां तक मुझे विदित है, इस भाग को सन् १९५० के भीषण भूकम्प से कोई क्षति नहीं पहुंची थी, और ऐसी कोई बात नहीं है जिस से यह पता लगता हो कि इसकी पर्याप्त रूप से देखभाल नहीं की जा रही है ।

विशेष पुलिस संस्था

*३६१. **श्री एन० सी० चटर्जी**: क्या **गृहकार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) भारत सरकार की विशेष पुलिस संस्था पर सन् १९४७ से ले कर प्रति वर्ष कुल कितना व्यय हुआ ; तथा

(ख) उन मामलों में, जिन की उक्त संस्था द्वारा जांच की गई थी, कुल कितना जुर्माना वसूल किया गया ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) तथा (ख) । एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३२**]

डाक घर

*३६२. **श्री आर० एस० तिवारी** : क्या **संचरण** मंत्री उन बड़े और छोटे नय डाक-घरों की संख्या बतलाने की कृपा करेंगे जो पिछले वर्ष सारे भारत में खोले गये ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : उप-कार्यालय—९७ । शाखा कार्यालय—५,१९२ ।

बोबिली–सलूर रेलवे

*३६३. **श्री रामशेषय्या** : क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) बोबिली-सलूर रेलवे लाइन का निर्माण कब आरम्भ किया जायेगा ; तथा

(ख) क्या सन १९५२-५३ के आय-व्ययक में इस योजना के लिये कुछ धन देने का विचार है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) सन् १९५२–५३ में ।

(ख) जी हां, प्रारम्भिक कार्यों के लिये १ लाख रुपया दिया गया है ।

कृषिसारों का क्रय

*३६४. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) कृषिसारों के सरकारी धन पर क्रय किये जाने के बारे में की गई जांच सम्बन्धी प्रतिवेदन सरकार कब तक सदन पटल पर रख सकेगी ;

(ख) उन लोगों के विरुद्ध जिन्हें क्रय के बारे में अनियमतायें करने का दोषी पाया गया है, अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; तथा

(ग) इस जांच को करने में इतना विलम्ब क्यों हुआ ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) इस मामले में अभी पुलिस की जांच जारी है और सामग्री को समय से पूर्व प्रकाशित कर देने से जांच पर बुरा प्रभाव पड़ने की सम्भावना है । अतः यह कहना सम्भव नहीं है कि सरकार कब इस विषय पर एक वक्तव्य दे सकेगी ।

(ख) यथाविधि विभागीय जांच के बाद एक पदाधिकारी को पहले ही सरकारी सेवा से निकाल दिया गया है । उस के विरुद्ध और अन्य लोगों के विरुद्ध जिन का क्रय से सम्बन्ध था, अग्रेतर जांच करने की आज्ञा दे दी गई है ।

(ग) इस विषय में कोई अधिक विलम्ब नहीं हुआ है, । सरकार राजाध्यक्ष समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रही थी और उस ने इस प्रतिवेदन के आधार पर अग्रेतर पुलिस जांच की आज्ञा दी है ।

ट्रैक्टरों का क्रय

*३६५. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत सरकार ने हाल में किसी भारतीय सार्थ के द्वारा कुछ ट्रैक्टरों के लिये आर्डर दिया था ;

(ख) वह सार्थ कौन सा था ?

(ग) क्या यह ट्रैक्टर हमारे देश की दशाओं के अनुकूल पाये गये थे और यदि नहीं, तो कितना नुक़सान उठाना पड़ा था ;

(घ) क्या इस सौदे के बारे में सरकार को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है और यदि हां, तो उस की सिपारिशें क्या हैं; तथा

(ङ) इन सिपारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मत्री (श्री किदवई): (क) तथा (ख)। भारत सरकार ने हाल ही में किन्हीं ट्रैक्टरों के लिये आर्डर नहीं दिये हैं। तथापि भूमि को कृषि योग्य बनाने की योजना के सम्बन्ध में सन् १९४९ से निम्न ट्रैक्टर प्राप्त किये गये हैं:—

पाशाभाई पटेल ऐंड कम्पनी लिमिटेड से ९० नं० के ऐलिस चामर्स ट्रैक्टर्ज माडल एच० डी०—१९।

विलियम जैक्स ऐंड कम्पनी लिमिटेड से ९० नं० के ओलिवर क्लैट्रैक ट्रैक्टर माडल एफ० डी० ई०।

ट्रैक्टर ऐंड इक्विपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड से ३० नं० के कैटरपिलर ट्रैक्टर माडल डी० ८।

वोलकर्ट ब्रदर्ज से ३० नं० के इन्टरनैशनल हारवैस्टर ट्रैक्टर माडल टी० डी०–२४।

(ग) प्रत्येक ट्रैक्टर की अपनी कुछ विशेषतायें हैं, जो उपयोगी हैं और उन की कुछ विशेषतायें ऐसी हैं जिन से हानि होती है। परन्तु सब संगत पहलुओं को ध्यान में रखते हुये, सभी ट्रैक्टर हमारे देश की दशाओं के अनुकूल पाये गये हैं।

(घ) तथा (ङ)। प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होते हैं।

भाग ग में के राज्यों के लिये ट्रैक्टर

***३६६. श्री आर० एस० तिवारी:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) भूमि सुधार के हेतु तकावी के आधार पर उपयोग किये जाने के लिये, सरकार द्वारा भाग 'ग' में के राज्यों को (प्रति राज्य) अब तक कितने ट्रैक्टर मांगे दिये गये हैं; तथा

(ख) अब तक इन ट्रैक्टरों द्वारा कितनी भूमि (प्रति राज्य) का सुधार किया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) केन्द्रीय सरकार राज्यों को ट्रैक्टर नहीं देती है और न ही उधार देती है। वह उन्हें धन के अनुदान या ऋण देती है, ताकि वह कृषकों को ट्रैक्टर खरीदने के लिये तकावी दे सकें या राज्य चालित ट्रैक्टर यूनिट स्थापित कर सकें। तक़ावी के लिये दिये गये ऋण इस प्रकार हैं:

	रुपये
अजमेर	९०,०००
भोपाल	९,००,०००
विन्ध्य प्रदेश	२,५०,०००

(ख) जानकारी तुरन्त उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध हो जाने पर यह सदन पटल पर रख दी जायेगी।

गन्ने का उत्पादन

***३६७. प्रो० अग्रवाल:** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि खुली चीनी के विक्रय के सम्बन्ध मे सरकार की नीति के फलस्वरूप, बिहार और उत्तर प्रदेश में कुल कितने क्षेत्र में अनाज के स्थान पर गन्ना उगाया गया है ?

(ख) इस बात का सुनिश्चयन करने के लिये कि गन्ने की खेती न्यूनतम राष्ट्रीय आवश्यकताओं से अधिक न हो, सरकार अब क्या कार्यवाही कर रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) सन् १९५०-५१ में उत्तर प्रदेश और

बिहार में जो कि मुख्य चीनी उत्पादक राज्य हैं,क्रमशः २४,९५,००० एकड़ और ४,११,००० एकड़ भूमि में गन्ना उगाया गया जब कि सन् १९५१-५२ में इस भूमि के प्राक्कलित आंकड़े २६,९०,००० एकड़ और ३,५४,००० एकड़ थे। उत्तर प्रदेश में जो वृद्धि हुई है उस से पता चलता है कि कितने एकड़ भूमि में अनाज के स्थान पर गन्ना उगाया गया है, किन्तु यह इस कारण नहीं हुई कि खुले बाज़ार की चीनी के लिये कृषकों को गने के अधिक मूल्य दिये गये, बल्कि इस कारण कि कृषकों को गुड़ के अधिक मूल्य मिल सकते थे।

(ख) इस बात की ठीक ठीक व्यवस्था करना कि किसी वर्ष विशेष में उत्पादन उस वर्ष की आवश्यकताओं से अधिक न हो, सम्भव नहीं है, क्योंकि कृषि भूमि तो घटाई या बढ़ाई जा सकती है, किन्तु उपज मौसम के हालात पर निर्भर करती है और एक वर्ष पहले से इस के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। गुड़ के भाव इस वर्ष गिर गये हैं और इस से संतुलन हो जायेगा ? अगले वर्ष के लिये गन्ने के मूल्यों पर पुनर्विचार करने का भी मेरा इरादा है, ताकि सन्तुलन को बिगड़ने से यथा सम्भव रोका जाये।

—

पाकिस्तानी गुप्तचर

*३६८. **श्री धूसिया:** (क) क्या **गृहकार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अब तक पश्चिमी बंगाल, आसाम, बिहार, और उत्तर प्रदेश में क्रमशः कितने पाकिस्तानी गुप्तचरों का पता लगाया गया है और उन को निरुद्ध किया गया है ?

(ख) उन में से कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्रियां हैं ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) तथा (ख) इस प्रश्न का उत्तर देना लोकहित में नहीं होगा।

जर्मनी से इंजनों का आयात

*३६९. **श्री विट्टल राव:** (क) क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उन १३५ इंजनों में से, जिन के लिये सन् १९५१ में पश्चिम जर्मनी की फ़र्म क्रांस हाफ़ेल को आर्डर दिया गया था, अब तक कितने प्राप्त हो चुके हैं ?

(ख) प्रत्येक इंजन का मूल्य क्या है ?

(ग) अन्य विदेशों से मंगाये गये इंजनों के मूल्य की तुलना में, क्या यह मूल्य अनुकूल हैं ?

(घ) यदि भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक हो, तो सरकार ने किन कारणों से प्रभावित हो कर यह आर्डर दिया था ?

(ङ) क्या सरकार का विचार समझौते की एक प्रतिलिपि सदन पटल पर रखने का है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): (क) १० 'बी वाई पी' इंजन

(ख) उन इंजनों के नाम तथा मूल्य, जिन के लिये भारत सरकार ने सन् १९५१ में मैसर्ज़ क्रांस मैफी को आर्डर दिया था यह हैं:—

० वाई० पी० श्रेणी (मीटर गेज)— १७,८५० पौण्ड की दर से ऐफ० ओ० बी० (जहाज़ का भाड़ा सहित)।

१५ ज़ैड० ई० श्रेणी नैरो गेज— १४,१८० पौण्ड की दर से एफ० ओ० बी० (जहाज़ का भाड़ा सहित)।

५ ज़ैड० बी० श्रेणी नैरो गेज़— ११,२१५ पौण्ड की दर से एफ० ओ० बी० (जहाज़ का भाड़ा सहित)।

५ ज़ैड० ऐफ़० श्रेणी नैरों गेज़—
१०,३५८ पौण्ड की दर से एफ़० ओ० बी० (जहाज़ का भाड़ा सहित)

(ग) जी हां ।

(घ) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

(ङ) जी नहीं, किन्तु यदि माननीय सदस्य संविदा को प्रतिलिपि देखना चाहें, तो इस के लिये प्रबन्ध किया जायेगा ।

पश्चिमी बंगाल को खाद्यान्न की प्रदाय

*३७०. **श्री एन० बी० चौधरी:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) पश्चमी बंगाल सरकार ने भारत सरकार से सन् १९५२ के लिये कितना अनाज मांगा है ;

(ख) क्या उस राज्य के लिये कोई अनाज आवंटित किया जा चुका है ; तथा

(ग) सन् १९५२ में पश्चिमी बंगाल को कितना चावल दिया जायेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) फ़रवरी १९५२ में पश्चिमी बंगाल की सरकार ने घोषणा की थी कि सन् १९५२ में ८·५५ लाख टन अनाज का घाटा रहेगा ;

(ख) मई तक ३·५१ लाख टन अनाज पश्चिमी बंगाल को वास्तविकतया आवंटित किया जा चुका है ।

(ग) इस समय यह निश्चित रूप से नहीं बतलाया जा सकता ।

मंगलौर-हसन रेलवे लाईन

*३७१. **श्री बी० शिवा राव :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या कोई ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिन में सरकार से मंगलौर-हसन रेलवे बनाने के लिये अनुरोध किया गया हो; तथा

(ख) क्या निकट भविष्य में इस प्रकार का कोई निर्माण कार्य आरम्भ किये जाने की आशा है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): (क) जी हां ।

(ख) इस परियोजना पर जनवरी, १९५० में केन्द्रीय यातायात पर्षद् द्वारा विचार किया गया था और इसे इस समय स्थगित रखने का निर्णय किया गया था । प्रस्ताव पर केवल केन्द्रीय यातायात पर्षद् के अनुमोदन के बाद ही विचार किया जा सकता है ।

मुख्य पत्तन

*३७२. **श्री बी० शिवा राव:** क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या बम्बई और कोचीन के मध्य पश्चिमी तट पर कोई मुख्य पत्तन बनाने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय किया गया है, तथा

(ख) यदि नहीं, तो ऐसा निर्णय कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): (क) जी नहीं श्रीमान् ।

(ख) वर्तमान आर्थिक तंगी को और माल्पे के बारे में प्रत्यावेदन में जो कमियां बतलाई गई हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुये, मारमुगांव और कोचीन के मध्य एक मुख्य पत्तन होने की आवश्यकता तथा उसके लिये स्थान चुनने के प्रश्न पर विचार इस समय स्थगित कर दिया गया है । पारयोजना के आर्थिक तथा इंजीनियरिंग पहलुओं की ओर अच्छी तरह जांच करने के प्रश्न पर, आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाने के बाद विचार

किया जायेगा । इस बीच मद्रास की सरकार को मंगलौर के छोटे पत्तन में सुधार करने की सम्भाव्यता पर विचार करने की सलाह दी गई है । इस उद्देश्य के लिये पूना के अनुसन्धान केन्द्र में नमूने के प्रयोग किये जा रहे हैं ।

अखिल भारतीय महिला खाद्य परिषद्

*३७३. **श्रीमती ए० काले:** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अखिल भारतीय महिला खाद्य परिषद् के कार्यों में सहायता देने के लिये सरकार द्वारा अब तक कितनी धन राशि व्यय की गई है ?

(ख) इससे देश में अनाज की कमी को दूर करने में कितनी सहायता मिली है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) (क) अखिल भारतीय महिला खाद्य परिषद् के कार्यों पर सरकार ने इतना धन व्यय किया है :—

	रुपये
१९५०-५१	६८,७१४–७–९
१९५१-५२	१,४९,५२२–८–०
१९५२-५३ (१ अप्रैल, १९५२ से २१ मई, १९५२ तक)	२२,९१६–५–६
रुपये	२,४१,१५३–५–३

(ख) जो कैफेटरिया चलाये गये हैं, वह बहुत लोक-प्रिय सिद्ध हो रहे हैं और वहां भोजन करने से अनाज की बचत होती है ।

टिड्डियां

*३७४. **श्री जे० एन० हज़ारिका :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या टिड्डियों का मुकाबला करने में सहायता देने के लिये हैलीकापटर ख़रीदे गये हैं और यदि हां, तो कितनी लागत पर;

(ख) क्या विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुसार टिड्डियों का मुकाबला करने के लिये, राज्यों ने अब तक किसी अप्रत्याशित व्यय को वहन करना स्वीकार किया है; तथा

(ग) क्या उस समय से विभिन्न राज्यों में टिड्डियों की रोकथाम करने वाली संस्थायें स्थापित की गई हैं और क्या उन्हें आपात काल का सामना करने के लिये आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित किया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) जी नहीं ।

(ख) पचिश्मी बंगाल, कुर्ग, दिल्ली और भोपाल ने, सन् १९५२-५३ की उस समायोजित टिड्डी योजना की, जिसकी सिफारिश मार्च १९५२ में विशेषज्ञ टिड्डी समिति ने की थी, लागत के अपने अपने अंशदानों का दायित्व स्वीकार कर लिया है । मद्रास और मध्य भारत ने अपने अंशदान देना स्वीकार नहीं किया है । अन्य राज्य अभी इस मामले पर विचार कर रहे हैं ।

(ग) टिड्डियों की रोकथाम करने वाली संस्थायें लगभग सभी राज्यों में हैं; उपरोक्त विशेषज्ञ समिति और अन्तर्राज्यीय टिड्डी रोकथाम सम्मेलन, जिस की बैठक मार्च, १९५२ में हुई थी, की सिफारिशों पर उन्हें अधिक सशक्त बनाया जा रहा है ।

जम्मू और काश्मीर में डाकघर

*३७५. **सूफ़ी मुहम्मद अकबर:** (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जम्मू और काश्मीर राज्य के विभिन्न भागों में कितने डाक और तार घर हैं ?

(ख) इन में से कितने गत चार वर्षों में खोले गये हैं और उन स्थानों के नाम क्या हैं, जहां यह खोले गये थे ?

(ग) सन् १९५२-५३ में इस राज्य में और कितने डाक और तार घर खोलने का, यदि कोई खोले जाने हैं, विचार है ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) तथा (ख) जानकारी देने वाला एक विवरण, मैं सदन पटल पर रखता हूं। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३३**]

(ग) कोई डाक और तार घर नहीं खोले जाने हैं।

चावल (आवश्यकतायें)

*३७६. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रति व्यक्ति १६ औंस प्रति दिन उपभोग के आधार पर सारे भारत की चावल की कुल आवश्यकता क्या है ?

(ख) क्या हमारी उपज की कमी को पूरा करने और चावल खाने वाले राज्यों की मांगों को पूरा करने के लिये, चीन, थाइलैण्ड, ब्रह्मा और सुदूर पूर्व जैसे देशों से चावल प्राप्त करने के लिये क्या कोई विशेष प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) हमारी जनसंख्या का केवल एक भाग ही मुख्यतः चावल खाने वाला है, अतः सारी जनसंख्या के लिये १६ औंस चावल प्रति व्यक्ति के आधार पर आवश्यकता की गणना करना ठीक नहीं होगा। संभवतः माननीय सदस्या यह जानना चाहती होंगी कि यदि चावल खाने वालों को प्रति व्यक्ति १६ औंस की दर से चावल मिले तथा चावल, गेहूं और ज्वार बाजरा सब अनाज खाने वालों को उन के अनाज के प्रति व्यक्ति १६ औंस के कुल राशन के अनुपात से चावल मिलें, जैसा कि उन्हें मिलता है, तो चावल की कुल आवश्यकता कितनी होगी। उस दशा में यह २८० लाख टन होगी।

(ख) जी हां।

उन्नाव-माधोगंज रेलवे लाइन

*३७७. **श्री वी० डी० त्रिपाठी** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या उन्नाव-माधोगंज-वालामऊ रेलवे लाइन के बनाने का काम आरम्भ कर दिया गया है या नहीं ?

(ख) यदि निर्माण कार्य पहले ही शुरू हो चुका है, तो इसमें कितनी प्रगति हुई है ?

(ग) यदि शुरू नहीं हुआ है तो इस के कब शुरू होने की सम्भावना है; तथा

(घ) कथित निर्माण कार्य के पूरा होने में कितना समय लगेगा और इसके कब तक पूरा होने की आशा है।

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): (क) जी हां।

(ख) प्रारम्भिक कार्य, जैसे, रेल मार्ग की सामग्री को इकट्ठा करना और गार्डरों की व्यवस्था करना, प्रारम्भ कर दिये गये हैं।

(ग) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(घ) निर्माण के सन् १९५४ में पूरा हो जाने की आशा है।

इन्दौर-उज्जैन रेलवे लाइन

*३७८. **श्री एन० एल० जोशी** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार इन्दौर से उज्जैन तक एक बड़ी लाईन (ब्रौड गेज) बिछाने की किसी योजना पर विचार कर रही है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): जी हां।

बोनम नदी पर रेल का पुल

*३७९. **डा० नटवर पांडे** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या बंगाल नागपुर रेलवे की झाड़-सुगुडा-सम्बलपुर ब्रांच लाइन पर झाड़सुगुडा

और लपंगा स्टेशनों के बीच बोनम नदी पर रेल के पुल के कमजोर होने के कारण गाड़ी को सन् १९३१ से पुल के दोनों सिरों पर रुकना पड़ रहा है; तथा

(ख) यदि भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो रेल के पुल की मरम्मत न किये जाने के कारण क्या हैं ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) यह सत्य है कि कुछ वर्षों से बोनम पुल पर 'बिल्कुल रुक जाओ' और '५ मील प्रति घंटा की रफतार रखो' के प्रतिबन्ध लागू रहे हैं ।

(ख) इस विभाग पर, जिस में यह पुल स्थित है, यातायात बहुत कम होता है और भाग (क) में उल्लिखित प्रतिबन्ध अनुचित रूप से यातायात में बाधा नहीं डालते हैं । तथापि इस विभाग पर अन्य कुछ पुलों के साथ साथ इस पुल को मज़बूत करने का निर्णय किया गया है और आशा है कि अगले दो वर्षों में यह काम पूरा हो जायगा ।

कम्पोस्ट खाद योजना

***३८०. डा० सत्यवादी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कम्पोस्ट खाद्य योजना के सम्बन्ध में सन् १९५०-५१ और सन् १९५१-५२ में भारत सरकार ने पंजाब सरकार को क्या सहायता दी है और इसे किस प्रकार काम में लाया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : कम्पोस्ट खाद के उत्पादन के विकास के लिये सन १९५०-५१ और सन् १९५१-१९५२ में भारत सरकार ने पंजाब सरकार को इन अनुदानों तथा ऋणों की मंजूरी दी :

वर्ष	अनुदान	ऋण
	रुपये	रुपये
१९५०-५१	२६,०००	४,००,०००
१९५१-५२	१४,०००	शून्य

यह ऋण राज्य सरकारों को इस लिये दिया गया था ताकि वह नगर पालिकाओं को कूड़ा करकट खाइयों में पहुंचाने के लिये ट्रक खरीदने और कृषिकों में कम्पोस्ट वितरित करने में सहायता देने के योग्य हो सकें । अनुदान इसलिये दिया गया था ताकि राज्य सरकार खाइयों को खोदने के लिये आर्थिक सहायता दे सकें और यातायात से होने वाले घाटे को पूरा कर सकें ।

सन् १९५०-५१ और १९५१-५२ में पंजाब राज्य में उत्पादित तथा वितरित कम्पोस्ट खाद का परिमाण यह है :

वर्ष	उत्पादन	वितरण
	टन	टन
१९५०-५१	२२,०२,३०६	१२,१०,७४०
१९५१-५२	१६,२१,१५२	१२,०६,०८३

दिल्ली की नगर पालिकाओं का एकीकरण

***३८१. श्री एन० प्रभाकर** : (क) क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी कि क्या सरकार दिल्ली में वर्तमान नगर पालिकाओं को मिला कर एक नगर निगम बनाने का विचार कर रही है; तथा

(ख) यदि कर रही है, तो क्या उस के लिये कोई विधेयक तैयार किया जा रहा है और यह कब तक सदन के सामने आ सकेगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) तथा (ख) एक विधेयक तैयार किया गया था, किन्तु दिल्ली की बदली हुई परिस्थितियों के कारण यह प्रश्न अब दिल्ली राज्य सरकार के परामर्श के साथ विचाराधीन है ।

मक्खन

५२. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में कितना मक्खन आयात किया गया; तथा

(ख) भारत से कितना मक्खन निर्यात किया गया ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) सन् १९४८-४९ से समुद्र के रास्ते आयात किये गये मक्खन का परिमाण इस प्रकार है :

१९४८-४९ . . .	२५२ टन
१९४९-५० . . .	६३८ टन
१९५०-५१ . . .	५७३ टन
१९५१-५२ . . .	८९७ टन
(अप्रैल १९५१ से फरवरी १९५२ तक के ११ मासों में)	

(ख) सन् १९४८-४९ से समुद्र के रास्ते भारत से कोई मक्खन निर्यात नहीं किया गया ।

भूमि के रास्ते आयात तथा निर्यात किये गये मक्खन के बारे में जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है ।

खाद्यान्न का रक्षित संग्रह

५३. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार के पास खाद्यान्न का कितना रक्षित संग्रह है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : २३-५-५२ को विभिन्न केन्द्रीय रक्षित डिपोज़ में कुल २,७३,००० टन खाद्यान्न था । यह उस ३० लाख टन खाद्यान्न के जो कि राज्य सरकारों के पास है, अतिरिक्त है ।

नडियार-कपाडवंज रेलवे लाईन

५४. **श्री दाभी** : क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि सरकार का विचार पश्चिमी रेलवे की नैरोगेज नडियार-कपाडवंज रेलवे लाइन को ब्रोड गेज रेलवे लाइन में परिवर्तित करने का है और यदि हां, तो कब ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

दरवाह-पुसेल मीटर गेज लाइन

५५. **श्री जी० बी० खेड़कर** : (क) **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि दरवाह-पुसेल मीटर गेज लाइन को, जिसे युद्ध काल में हटा दिया गया था, उस क्षेत्र के निवासियों के बार बार आग्रह किये जाने पर भी पुनः नहीं बिछाया गया ?

(ख) क्या सरकार का विचार इस लाईन को सन् १९५२ में पुनः बिछाने का काम आरम्भ करने का है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) दरवाह-पुसेल रेलवे लाइन को पुनः बिछाने के प्रश्न पर केन्द्रीय यातायात पर्षद ने अपनी २९ अगस्त, १९५० की बैठक में पुनर्विचार किया था, किन्तु, सब बातों को ध्यान में रखते हुए जिन में जनता की मांगें भी सम्मिलित हैं, लाइन को पुनः बिछाना स्वीकार नहीं किया गया था । अतः यह पुनः नहीं बिछाई गई ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

कृषि उपज (देशनांक)

५६. **डा० राम सुभग सिंह**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५०-५१ और १९५१-५२ में कृषि उपज का सामान्य देशनांक क्या था ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): सन् १९४८-४९ को आधार मानते हुए सन् १९५०-५१ में देशनांक १०४.४ था। सन् १९५१-५२ का देशनांक अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ। क्योंकि सन् १९५१-५२ की फस्लों के अन्तिम प्राक्कलन अभी तैयार नहीं हुये हैं।

डाक घर

५७. **श्री एस० एन० दास**: क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५०-५१ और १९५१-५२ में, ग्रामीण तथा नागरिक क्षेत्रों में डाक घर खोलने की योजना को कार्यान्वित करने में सरकार को कुल कितनी हानि हुई ;

(ख) प्रत्येक इलाके में कुल कितने डाक घर ऐसे हैं, जो आत्म-निर्भर नहीं बन सके हैं; तथा

(ग) प्रत्येक इलाके में कितने डाक घर अब भी घाटे पर चलाये जा रहे हैं ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क)

१९५०-५१ में घाटा

(१) नागरिक ३३,८६७ रुपये

(२) ग्रामीण १७,३४,५८३ रुपये

१९५१-५२ में घाटा

(१) नागरिक २८,८०२ रुपये

(२) ग्रामीण १९,६२,७७० रुपये

(ख) तथा (ग) एक विवरण संलग्न है।

इलाके का नाम	१-४-१९५२ को घाटे पर चलने वाले ग्रामीण डाक घरों की संख्या	१-४-१९५२ को घाटे पर चलने वाले नागरिक डाक घरों की संख्या
आसाम	२१७	१८
बम्बई	७०७	—
बिहार	१५३६	—
केन्द्रीय	१२०१	२८
दिल्ली	१७	—
हैदराबाद	४६६	२
मद्रास	३०४४	७
उड़ीसा	४०५	४
पंजाब	९५६	२
उत्तर प्रदेश	२,०९७	१३
पश्चिमी बंगाल	६५९	—
योग	११,३०५	७४

हवाई अड्डे

५८. **श्री एस० सी० सामन्त**: क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९४७ से आज तक (प्रत्येक वर्ष) भारत में कितने हवाई अड्डे बनाये गये हैं और किन किन स्थानों पर;

(ख) सन् १९५२-५३ में कितने नये हवाई अड्डे बनाये जायेंगे ;

(ग) सन् १९४७ से कितने छोड़े हुए सैनिक हवाई अड्डों का नागरिक प्रयोजनों के लिये पुनःनिर्माण किया गया था; तथा

(घ) सन् १९४७ से प्रतिवर्ष वर्तमान हवाई अड्डों में क्या सुधार किया गया है ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सन् १९४७ से असैनिक नभश्चरण विभाग द्वारा १० नये असैनिक हवाई अड्डे बनाये गये हैं। इन में से ४ त्रिपुरा राज्य में कैलाशहर, कमलापुर, खोवाई, और बैलोनिया के स्थानों पर सन् १९५०-५१ में बनाये गये थे और ४ आसाम में उत्तर लखीमपुर, पासीघाट, सदिया तथा शैला के स्थानों पर सन् १९५१-५२ में बनाये गये थे; गौहाटी और मंगलौर में एक एक विमान पथ अभी बनाया गया है।

(ख) तीन नये हवाई अड्डों के बनाने के बारे में प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ग) १७।

(घ) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३४**]

कलकत्ता पत्तन (यान्त्रिक अधिष्ठापन)

५९. **डा० एम० एम० दास** : क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि कोयला और धातु प्रस्तरों को उतारने चढ़ाने के लिये कलकत्ता पत्तन में यन्त्र लगाये जा रहे हैं; तथा

(ख) यदि हां, तो

(१) इस प्रकार के यन्त्रों की संख्या क्या है;

(२) प्रत्येक यन्त्र की लागत क्या है, तथा

(३) इन यंत्रों की कब तक लगाये जाने की आशा है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) जी हां, कोयला उतारने चढ़ाने के लिये।

(ख) (१) संख्या १८ कोयला वर्थ पर एक कोयला लादने का यन्त्र।

(२) प्राक्कलित लागत ३५ लाख रुपये।

(३) आशा है कि कोयला लादने का संयन्त्र जिसे अब लगाया जा रहा है, सितम्बर १९५२ तक अस्थायी लादने वाले यंत्रों की सहायता से काम करने के लिये तैयार हो जायेगी। स्थायी लादने वाले यंत्रों के जिन्हें लगाने में लगभग ६ मास लगेंगे, मार्च १९५३ तक आ जाने की आशा है।

चीनी

६०. **डा० पी० एस० देशमुख** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५० और १९५१ में उपभोग के लिये प्रत्येक राज्य को कुल कितनी राशन की दाने दार चीनी की मंजूरी दी गई थी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) :

एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है [**देखिय परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३५**]

यांत्रिक साधनों द्वारा भूमि पर कृषि

६१. **डा० पी० एस० देशमुख** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गत चार वर्षों में कितने एकड कृषि योग्य भूमि में राज्य सरकारों ने यांत्रिक साधनों द्वारा खेती आरम्भ की ?

(ख) कृषकों द्वारा कितने एकड़ भूमि में खेती की गई ?

(ग) क्या कोई भूमि ऐसी भी है, जो कि जुताई के बाद भी ऊसर पड़ी रही हो और यदि है, तो प्रत्येक राज्य में कितनी है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के अन्तर्गत क्षेत्रों के सम्बन्ध में यांत्रिक साधनों द्वारा कृषि योग्य बनाई गई तथा जोती गई भूमि के प्राक्कलन उपलब्ध हैं। यह भूमि सन् १९४८-४९, १९४९-५० और १९५०-५१ में क्रमशः २·७ लाख एकड़ और ६·० लाख एकड़ और ८·१ लाख एकड़ थी। जलाई

१९५१ स मार्च १९५२ तक इस प्रकार जोती हुई भूमि ४·२ लाख एकड़ थी ।

(ख) उपलब्ध नहीं है ।

(ग) उपलब्ध नहीं है ।

परिनियत तथा अपरिनियत राशनिंग

६२. पंडित एम० बी० भार्गव : (क) क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९४९, १९५० और १९५१ में भारत में कुल कितनी जनसंख्या को (१) परिनियत राशनिंग पद्धति; तथा (२) अनौपचारिक राशनिंग पद्धति के अन्तर्गत राशन दिया जाता था ?

(ख) इन वर्षों में प्रत्येक पद्धति के अन्तर्गत कुल कितना खाद्यान्न संभरित किया गया ?

(ग) राशनिंग की प्रत्येक पद्धति के अन्तर्गत आई जनसंख्या भारत की समस्त जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है ?

(घ) प्रत्येक पद्धति के अन्तर्गत संभरित खाद्यान्न भारत की कुल उपज का कितना प्रतिशत है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) भारत में परिनियत राशनिंग के अन्तर्गत कुल जन संख्या सन् १९४९ के अन्त में लगभग ४४१ लाख थी, सन् १९५० के अन्त में ४५० लाख थी और सन् १९५१ के अन्त में ४६८ लाख थी । अनौपचारिक राशनिंग के अन्तर्गत जनसंख्या सन् १९४९ के अन्त में ७५५ लाख थी, सन् १९५० के अन्त में ७८८ लाख थी और सन् १९५१ के अन्त में ७५२ लाख थी ।

(ख) परिनियत राशनिंग के अन्तर्गत सन् १९४९, १९५० और १९५१ में क्रमशः कुल लगभग ३२ लाख टन, ३९ लाख टन और ३८ लाख टन खाद्यान्न दिया गया । अनौपचारिक राशनिंग के अन्तर्गत सन् १९४९; १९५० और १९५१ में क्रमशः ३१ लाख टन, २८ लाख टन और २९ लाख टन खाद्यान्न दिया गया ।

(ग) सन् १९४९, १९५० और १९५१ में परिनियत राशनिंग के अन्तर्गत कुल जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या की क्रमशः लगभग १२·२ १२·६ और १२·९ प्रतिशत थी । सन् १९४९, १९५० और १९५१ में अनौपचारिक राशनिंग के अन्तर्गत जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या की क्रमशः लगभग २०·८, २१·८ और २०·८ प्रतिशत थी ।

(घ) सन् १९४९, १९५० और १९५१ में परिनियत राशनिंग के अन्तर्गत दिया गया खाद्यान्न भारत की अनाज की कुल उपज का क्रमशः लगभग ७·४, ८·४ और ९·० प्रतिशत था । सन् १९४९, १९५०और १९५१ में अनौपचारिक राशनिंग के अन्तर्गत दिया गया खाद्यान्न भारत की कुल उपज का क्रमशः लगभग ७.२, ६.० और ७.० प्रतिशत था :

डाकघर बचत बैंक जांच समिति

६३. श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या संचरण मंत्री सब डाकघरों में बचत बैंक सुविधाओं को देने के सम्बन्ध में ५ मार्च, १९५१ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १९०४ के भाग (ग) के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर की ओर निर्देश करके यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस विषय में कोई कार्यवाही की गई है या की जा रही है ।

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : समिति की सिफारिशों पर विचार किया गया है । अतिरिक्त विभागीय ब्रांच पोस्ट मास्टरों के पदों पर नियुक्त किये जाने के लिये उपयुक्त व्यक्तियों के उपलब्ध होने पर ग्रामीण क्षेत्रों में सब डाकघरों में बचत बैंक की सुविधायें दी जाती हैं । उम्मेदवारों की उपयुक्तता उन के ऋण से मुक्त होने और उनकी अच्छी आर्थिक अवस्था पर निर्भर है ।

नकली औषधियां

६४. **डा० राम सुभग सिंह : स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी :

(क) क्या सरकार को विदित है कि भारत में नकली औषधियां बेची जाती हैं; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार नकली औषधियां बेचने वालों की गतिविधियों को समाप्त करने का है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) तथा (ख) जी हां, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को इस समस्या का ज्ञान है । सन् १९४० के औषधि अधिनियम का उद्देश्य नकली औषधियों के बनाये जाने तथा विक्रय को रोकना है । राज्य सरकारें औषधि अधिनियम लागू कर रही हैं इस प्रकार के अपराधों के लिये अधिक कड़ा दंड देने की व्यवस्था करने के हेतु औषधि अधिनियम में संशोधन करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

दक्षिणी रेलवे द्वारा रायल सीमा को पानी दिया जाना

६५. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि दक्षिणी रेलवे प्राधिकारियों ने रायल सीमा में अकाल पीड़ित तथा सूखे से मारी जनता को पीने का पानी देने का प्रबन्ध किया है; तथा

(ख) यदि हां, तो किन स्टेशनों पर लोगों को पानी उपलब्ध किया गया ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) जी हां ।

(ख) गिडालूर, मरकापुर, कुम्बम, रजामपट, यैरागुटंला, गुन्टकल, नरासारावपेट पर और टिरुपट्टर और कटपादी स्टेशनों पर भी ।

सोमवार,
२ जून, १९५२

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

पहला सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

संसदीय वाद विवाद

(भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही)

शासकीय वृत्तान्त

लोक सभा

सोमवार, २ जून १९५२

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

९-३३ म० पू०

स्थगन प्रस्ताव

इन्दौर में मिलों का बन्द होना

अध्यक्ष महोदय: मुझे श्री गोपालन से एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है, जो कि इस प्रकार है:

> "विषय: इन्दौर में जहां मिलों के बन्द हो जाने के कारण २५,००० मज़दूर हड़ताल पर हैं, दंड प्रणाली संहिता की धारा १४४ लागू कर दी गई है और बहुत से मज़दूरों की, जिन में उनके नेता भी हैं, गिरफ़तारी के कारण उत्पन्न हुई स्थिति"

तथ्यों के संबन्ध में स्वयं मुझे भी पूरा ज्ञान नहीं है। संभवतः माननीय श्रम मंत्री हमें जानकारी दे सकेंगे। किन्तु मेरा अपना विचार यह है कि चूंकि यह मज़दूरों और प्रबन्धकों के मध्य झगड़े का मामला है और इस का सम्बन्ध विधान और सुव्यवस्था से है, अतः यह सम्बन्धित राज्य का मामला है। माननीय मंत्री से तथ्य लेने के बाद मैं इस मामले पर अग्रेतर विचार करूंगा।

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम): मैं कहता हूं कि यह स्थगन-प्रस्ताव गलत जानकारी पर आधारित है। इन्दौर की किसी मिल में न कोई हड़ताल है और न ही तालाबंदी है। तथ्य यह है कि राजकुमार मिल्ज़ नाम की एक मिल २ मई को आर्थिक कारणों से बन्द कर दी गई थी, जिसके फल-स्वरूप उस में काम करने वाले ३००० मज़दूर बेकार हो गये हैं। कुछ प्रदर्शन किये गये थे और मज़दूरों की हिंसात्मक कार्यवाहियों को देख कर राज्य सरकार ने धारा १४४ लगा दी थी और कुछ मज़दूरों और उन के कुछ नेताओं को गिरफ़तार कर लिया था।

उसके बाद उद्योग (विकास तथा नियमन) अधिनियम की धारा १५ के अन्तर्गत, मामले को जांच के लिये निर्दिष्ट किया गया है। अतः मेरे विचार से इस स्थगन प्रस्ताव की अनुमति दिये जाने का कोई कारण नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: मुझे भय है कि इस प्रस्ताव की आज्ञा नहीं दे सकता, क्योंकि इस से केन्द्र का उत्तरदायित्व प्रमाणित नहीं हो सका।

389PSD

सदन पटल पर रखे गये पत्र

वायुयान नियमों में संशोधन

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम): मैं संचरण मंत्रालय की प्रत्येक अधिसूचना की एक प्रतिलिपि, जिन में भारतीय वायुयान अधिनियम, १९३४ की धारा ५ की उपधारा (३) के अन्तर्गत, भारतीय वायुयान नियम १९३७ में कुछ अग्रेतर संशोधन किये गये हैं, पटल पर रखता हूं:

(१) अधिसूचना संख्या १०—ए/४८-५१, तिथि २३ अप्रैल १९५२। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या पी—१२/५२]

(२) अधिसूचना संख्या १०-ए/८-५०, तिथि ३१ मार्च, १९५२। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या पी—१३/५२].

दंड प्रणाली संहिता (द्वितीय संशोधन) विधेयक

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): मैं प्रस्ताव करता हूं कि दंड प्रणाली संहिता १८९८ में अग्रेतर संशोधन करने के हेतु एक विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा स्वीकृत हुआ।

डा० काटजू: मैं विधेयक को पुरः-स्थापित करता हूं।

सामान्य—आय-व्ययक—साधारण चर्चा—जारी

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों को विदित है कि प्रत्येक सदस्य के लिये समया-विधि १५ मिनट है और माननीय वित्त मंत्री के लिये अन्तिम उत्तर देने के लिये एक घंटा या इस से अधिक है।

श्री पी० टी० चाको (मीनाचिल): मेरे राज्य की भौगोलिक स्थिति के कारण यह संभव नहीं है कि वहां पर्याप्त खाद्य पैदा किया जा सके किन्तु यदि उचित प्रोत्साहन दिया जाये तो हम निर्यात की जाने वाली वस्तुएं पहले से बहुत अधिक पैदा कर सकते हैं। ये वस्तुएं मुख्यतया बागों की फस्लें हैं, जैसा कि चाय, काली मिर्च, इलायची, नारियल की जटा, सोंठ, सुपारी आदि। हमारे राज्य में खनिज पदार्थ और ईमारती लकड़ी भी बहुत पाई जाती है। निर्यात उन्नति समिति के प्रतिवेदन के अनुसार यदि इन वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन दिया जाये, तो विदेशी मुद्रा सरलता से प्राप्त की जा सकती है। परन्तु इस बात के अतिरिक्त, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अधिक अन्न उगाओ के सब प्रयत्नों तथा प्रचार के होते हुए भी, हमारे लिये भविष्य में भी खाद्य के विषय में आत्म-निर्भर होना संभव नहीं है। अतः हमारे लिये व्यवस्था करनी ही होगी। मुझे यह जान कर बहुत हर्ष हुआ है कि १५ करोड़ रुपये की पिंड राशि में से लगभग ३ करोड़ रुपये मेरे राज्य को साहाय्य के रूप में दिये जायेंगे। किन्तु मेरा निवेदन है कि राज्य को प्रति वर्ष घाटा होता है और जो घाटा इस वर्ष हुआ है वह पहले से कहीं अधिक है। खाद्य के मामले में हम किन्हीं आश्वासनों से संतुष्ट नहीं होंगे।

खाद्य के बारे में, सन् १९५० में हमें कुछ भाग क के राज्यों से खाद्य खरीदने के लिये कहा गया था और हमें उत्तर प्रदेश से चावल के लिए २२-२-२ रुपये प्रतिमन देने पड़े थे जब कि नियन्त्रित मूल्य रुपये ११-८-० से अधिक नहीं था। यदि यह चोर बाज़ारी नहीं है, तो और क्या है? इस वर्ष हमें उत्तर प्रदेश से कोई चावल नहीं दिया जायेगा बल्कि मध्य प्रदेश से दिया जायेगा, और इसके लये हमें १५ रुपये प्रति मन देने पड़ेंगे, जबकि

हमारे राज्य के अपने कृषकों को प्रति मन केवल १० रुपये मिलते हैं।

एक शब्द मैं बाग़ों के उद्योग के बारे में कहना चाहूंगा। यह एक बहुत महत्वपूर्ण उद्योग है। भारत के सारे निर्यात का लगभग २३ प्रतिशत भाग बाग़ उद्योग पर निर्भर है और दुर्लभ मुद्रा की आय का ३५ प्रतिशत भाग इस उद्योग द्वारा होता है। आजकल समस्त बाग़ उद्योग को संकट का सामना है। श्री बासु ने दारजलिंग में चाय उद्योग की स्थिति का वर्णन किया है। त्रावनकोर-कोचीन में स्थिति इस से भिन्न नहीं है। मेरा निवेदन केवल यह है कि सरकार को बाग़ उद्योग में अधिक रुचि लेनी चाहिये और इसे प्रोत्साहन देना चाहिये। एक बात और मैं कहूंगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और जो उन राष्ट्र निर्माण के कार्यों के बारे में है, जिनका इस वर्ष आयव्ययक में विचार किया गया है। मेरा निवेदन यह है कि सरकार को राष्ट्रनिर्माण के कार्यों के लिये अधिक धन देना चाहिये और यह ध्यान रखना चाहिये कि सामाजिक परिवर्तनकारी शक्तियों के द्वारा जो क्रांति शुरू हुई है उसे पूरा किया जाये।

श्री खर्डेकर (कोल्हापुर व सतारा): चूंकि चर्चा के लिए बहुत कम समय रखा गया है, इस लिये मैं अपना भाषण केवल तीन महत्वपूर्ण विषयों—खाद्य, रक्षा तथा शिक्षा—तक ही सीमित रखूंगा।

आय-व्ययक के बारे में, मैं सामान्य रूप से यह कहना चाहूंगा कि यह सच्चा तो है किन्तु इसे तैयार करने में साहस या कल्पना से काम नहीं लिया गया है। श्री गोपालन ने एक सुझाव दिया था कि आय-व्ययक की एक तिहाई की जगह आधी राशि रक्षा के लिए होनी चाहिये। मैं समझता हूं कि ऐसा सुझाव देना लगभग गैरजिम्मेदारी का प्रमाण देना है।

खाद्य के प्रश्न के बारे में, वित्त मंत्री ने कहा है कि उन का विचार मिलों के लिये साहाय्य देने का विचार है। मैं नहीं जानता कि यह मिलो है क्या? यह वास्तव में अनुसंधान के प्रयोजन के लिये एक खाद्य है और मनुष्य या पशु का खाद्य नहीं है। निर्धन व्यक्ति यदि मिलो खायेंगे तो शीघ्र ही वे 'मेलो' हो जायेंगे (मर जायेंगे)। अतः यदि उन्हों ने भूखों मरना है तो उन्हें मरने दीजिये किन्तु उन का अपमान तो न कीजिये। जब हम यह कहते हैं कि हम खाद्य के लिये साहाय्य देना चाहते हैं, तो हमें एक अत्यधिक महत्वपूर्ण बात को ध्यान में रखना चाहिये। क्या हम केवल नगरीय क्षेत्रों के लिये साहाय्य देना चाहते हैं या ग्रामीण क्षेत्रों के लिये भी? यदि हमें साहाय्य देना है, तो यह दोनों क्षेत्रों के लिये देना चाहिये क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, ग्रामीण व्यक्ति नगरीय व्यक्ति की अपेक्षा अधिक निर्धन होता है और सामान्यतः उस से दुगना खाता है। यदि ग्रामीण क्षेत्रों को साहाय्य नहीं दिया जा सकता तो इस को बिल्कुल ही उड़ा देना चाहिये।

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे।

१० म० पू०

इस समस्या को हल करने के लिये कुछ एक सुझाव दिये गये हैं। एक तो यह है कि हमें घाटे की वित्त नीति अपनानी चाहिये किन्तु मैं यह समझता हूं कि यह असंभव ही है। दूसरा यह है कि विदेशों से सहायता ली जाये। मैं इसके भी विरुद्ध हूं। यदि आप ऋण लेना शुरू करदें तो इस से भी मुद्रास्फीति का खतरा पैदा होगा। माननीय मंत्री ने केवल एक वैज्ञानिक की तरह खाद्य समस्या पर विचार दिया है। उन के भाषण में मानवीय सहानुभूति का आभाव है। तो यदि हमें खाद्य साहाय्य देने हैं, इसका वास्तविक अर्थ

[श्री खर्डेकर]

यह है कि हमें लगभग ९० करोड़ रुपये इकट्ठा करना होगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि उन्हों ने १५ करोड़ रुपये के लिये व्यवस्था कर दी है। तो इस प्रयोजन के लिये उन राज्यों को जो कि अपने राजस्वों का उचित उपयोग नहीं कर रहे, इस बात के लिये तैयार करना होगा कि वे भी कुछ अन्य राज्यों की तरह प्राप्य राजस्वों से पूरा लाभ उठायें। कुछ राज्य ऐसे हैं, खासकर बम्बई और मद्रास के राज्य जो कि मद्य-निषेध जैसी झूठी नैतिकता के कारण टनों धन समुद्र में फेंक रहे हैं। सरकार का यह कर्तव्य है कि वह इस प्रकार के राज्यों को उस रास्ते पर लायें जिस पर अन्य राज्य चल रहे हैं। मेरा निवेदन यह है कि चूंकि मद्रास और बम्बई में कांग्रेस दल का शासन है, इस लिये उन पर दबाव डाल कर उन्हें मद्य-निषेध को हटाने पर बाध्य करना चाहिये। यदि यह नहीं हो सकता, तो संविधान में संशोधन करना चाहिये। यह उचित नहीं है कि लोगों को इस लिये कष्ट देना चाहिये क्योंकि कुछ व्यक्ति नैतिकता के पुजारी हैं।

श्री गाडगिल (पूना–मध्य): मुझे इस बात का हर्ष है कि मुझे आय-व्ययक की चर्चा में भाग लेने का अवसर मिला है। मैं आयव्ययक को आंकड़ों के एक खेल मात्र के रूप में नहीं देखता हूं। मैं तो यह जानना चाहता हूं कि यह हमें संविधान के निदेशक तत्वों में दिये गये आदर्शों को प्राप्त करने में कहां तक सहायता देता है। यदि यह आय-व्ययक इस कसौटी पर पूरा उतरेगा, तो मैं इसका पूर्ण समर्थन करूंगा। सरकार के दृढ़ संकल्प और जनता के सहयोग से, अगले पांच से दस वर्षों में खाद्य, गृह-निर्माण और कपड़े के बारे में लोगों की प्राथमिक आवश्यकतायें पूरी की जा सकती हैं और गरीबी दूर की जा सकती है।

हमारी खाद्य समस्या का क्या कारण है और यह कैसे सुलझाई जा सकती है? मेरा विचार है कि इस का हल दो प्रकार से हो सकता है––एक तो अल्प-कालीन दृष्टिकोण अपनाने से और दूसरे दीर्घ-कालीन दृष्टिकोण अपनाने से। पहली अवस्था में, यदि सरकार साहस से काम ले और समाहार तथा वितरण की एक समनुरूप नीति निर्धारित करे, तो स्थिति निश्चित रूप से सुधर जायेगी। सरकार द्वारा प्रकाशित आंकड़ों से पता चलता है कि फालतू अनाज वाले राज्यों का रवैया ठीक नहीं है। खाद्य समस्या अखिल-भारतीय आधार पर ही हल हो सकती है और इन राज्यों को वितरण की उस योजना में सम्मिलित होना चाहिये, जिस से कि प्रत्येक को अपना उचित हिस्सा मिल सके। उदाहरण के लिये मध्य प्रदेश, आसाम और उड़ीसा में खाद्य का समाहार बढ़ा कर कमी वाले राज्यों को तुरन्त सहायता दी जा सकती है। जैसे कि सरकार ने नमक के वितरण के सम्बन्ध में समस्त देश को कुछ खंडों में बांट दिया है, उसी तरह खाद्य के सम्बन्ध में भी देश को खंडों में बांट देना चाहिये और जहां तक बम्बई का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि बम्बई और मध्य प्रदेश एक ही खंड में होने चाहियें, ताकि बम्बई के लोगों की व्यथा कम की जा सके।

साहय्य के बारे में सदन के अन्दर तथा बाहर बहुत कुछ कहा गया है। आय-व्ययक को पढ़कर मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में वित्त मंत्री का निर्णय ठीक है और देश के प्रति सहानुभूतिपूर्ण और इस के लिये हितकर है। यह साहय्य २५ करोड़ रुपये है और छोटी सिंचाई की योजनाओं के लिये १० करोड़ रुपये इस के अतिरिक्त है। मैं तो यह कहना चाहूंगा कि यदि हमें इस से कुछ कम भी मिले, तो हमें तैयार रहना चाहिये

किन्तु साथ ही मैं उन लोगों से सहमत हूं जो कहते हैं कि किसी विशेष क्षेत्र के साथ अन्याय न हो और किसी में कमी और किसी में आधिक्य न हो।

मेरे एक माननीय मित्र ने अभी कहा है कि कुछ क्षेत्रों में विशिष्ट फसलें नहीं उगाई जा सकती हैं। मैं उन से सहमत हूं। अतः यह आवश्यक है कि स्वतंत्र अर्थव्यवस्था न रहने दी जाये। आज यह अत्यावश्यक है कि न केवल कृषि के क्षेत्र में अपितु उद्योग के क्षेत्र में भी, उत्पादन, वितरण और उपभोग तीनों विषयों के सम्बन्ध में आरम्भ से ही योजना बनाई जानी चाहिये। मुझे यह देखकर हर्ष हुआ है कि गत सामान्य चुनावों से निर्वाचक समूह ने यह मत दिया है कि अब देश में स्वतंत्र अर्थ-व्यवस्था नहीं रह सकती है।

मुझे यह बतलाया गया है कि इस आय-व्ययक में कोई नये कर नहीं लगाये हैं। किन्तु मैं जानता हूं कि परिस्थितियां वित्त मंत्री को अपनी करारोपण नीति को शीघ्र ही बदलने पर बाध्य कर देंगी। मेरी राय अब भी यह है कि विनियोग या उपयोग की हानि पहुंचाये बिना अधिक धनवान व्यक्तियों पर और कर लगाये जा सकते हैं। मृत्यु-कर का मामला सन् १९४६ से खटाई में पड़ा हुआ है। सन् १९४६ से आज तक बहुत से धनवान लोग मरे होंगे और उन्होंने अपने बच्चों के लिये जो सम्पत्ति छोड़ी होगी उसके एक उचित भाग से हम वंचित रह गये हैं। अतः मैं सरकार से कहूंगा कि वह इस विषय में शीघ्र कार्यवाही करे। इसके अमल में लाने में अवश्य कठिनाइयां उत्पन्न होंगी, जैसा कि हर एक विधि को लागू किये जाने से होती हैं। किन्तु एक धनवान व्यक्ति को अपनी सारी सम्पत्ति अपने लड़कों या पोतों के लिये, जिनकी योग्यता या चालचलन के बारे में संदेह हो सकता है, छोड़ जाने का क्या अधिकार है? मृत्यु कर लगाना आर्थिक क्षेत्र में असमानतायें तथा विषमतायें दूर करने का एक तरीका है।

पंच वर्षीय योजना एक ऐसी चीज़ है जिस में हर एक व्यक्ति को रुचि लेनी चाहिये। केवल इस में दोष निकालने से लोगों का जीवन स्तर ऊंचा नहीं होगा, और इसे ऊंचा करना ही हम सब का कर्तव्य है। जन-साधारण मूल्य का सीमान्त सिद्धान्त नहीं समझ सकता, वह तो अधिक खाद्यान्न, अधिक कपड़ा और अच्छे मकान चाहता है। आनुषंगिक रूप से मैं यह नहीं समझता कि भारत अपनी जनसंख्या के लिये पर्याप्त कपड़ा नहीं पैदा कर सकता। मैं सदन को और सरकार को यह बतलाना चाहता हूं कि चूंकि योजना-बद्ध अर्थव्यवस्था अपनाने के बारे में एक मुख्य निर्णय कर लिया गया है, यह योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था एक उचित प्रणाली के बिना नियंत्रण नहीं कर सकती। यदि आज नियंत्रण ठीक प्रकार से नहीं चल रहा है, तो इसका विकल्प यह नहीं कि इसे बिल्कुल ही हटा दिया जाये, बल्कि यह है कि उसके बदले अधिक अच्छा नियंत्रण रखा जाये, क्योंकि जब तक नियंत्रण नहीं होगा, वस्तुओं की कमी से बहुत गड़बड़ी पैदा होगी। जब तक कि उत्पादन के मुख्य साधन सरकार अपने हाथ में नहीं लेगी, तब तक प्रत्येक व्यक्ति उचित मजदूरी और उचित जीवनस्तर नहीं पा सकता। मैं पूछता हूं कि क्या सरकार के लिये इस देश में ४०० मिलों का प्रबन्ध करना कठिन है? बिल्कुल नहीं। मैं चाहता हूं कि सदन इस बात पर भी गम्भीरता से विचार करे कि क्या काश्तकारी अधिनियमों में ऐसा उपबन्ध करने की आवश्यकता नहीं है जिसके अन्तर्गत उस काश्तकार की भूमि, जो कि इस का ठीक प्रबन्ध न कर रहा हो, ले ली जाये और से सामूहिक कृषि का आधार बना दिया जाये। और काश्तकारों को एक

[श्री गाडगिल]

योजना के अनुसार ही कृषि करनी चाहिय । ये सब चीज़ें पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत की जा सकती हैं । अतः मैं इस आय-व्ययक का समर्थन करता हूं क्योंकि इस में सब परियोजनाओं के लिये उपबन्ध किया गया है । किन्तु मैं माननीय वित्त मंत्री को यह सुझाव दूंगा कि यदि अभी नहीं तो कुछ समय बाद वे एक पृथक ज्ञापन तैयार करवाएं जिस में, जहां तक योजना बद्ध अर्थ-व्यवस्था या पंच वर्षीय योजना के मामलों का सम्बन्ध है चालू वर्ष के आय-व्ययक के वित्तीय पहलू का वर्णन दिया जाये ।

मैं अपने मित्रों से पुनः अपील करता हूं कि यदि वे हृदय से सहयोग दें तो लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है । मेरे विचार से पंचवर्षीय योजना को केवल इसलिये असफल बनाना कि यह कांग्रेस सरकार द्वारा बनाई गई है, कोई लोकतंत्रात्मक रवैया नहीं है । हमारा महान उद्देश्य निर्धनों की सेवा करना है और यह केवल सहयोग द्वारा ही प्राप्त हो सकता है ।

श्रीमती खोंगमन (स्वायत्त जिले—रक्षित-अनुसूचित जनजातियां): माननीय वित्त मंत्री का कहना है कि यह एक ऐसा आय-व्ययक है जिसकी अच्छाई बुराई परिणाम दख कर बतलाई जा सकती है और मैं समझती हूं कि उनका कहना सत्य है । किन्तु परिणामों की प्रतीक्षा करते हुए हमें यह ज्ञात होना चाहिये कि इस से जनसाधारण की दशा पर क्या प्रभाव पड़ेगा । इस में कोई संदेह नहीं कि पंच वर्षीय विकास योजना में जो परियोजनाएं हैं, यदि उन्हे संतोषजनक रूप से क्रियान्वित और पूरा किया जाये, तो हमारे देश के लोगों के औसत जीवन स्तर में काफ़ी सुधार हो जायेगा और उन का भार काफ़ी हलका हो जायेगा । किन्तु मुझे यह अवश्य कहना पड़ेगा कि गत चार वर्षों में केन्द्र तथा राज्यों में राष्ट्रनिर्माण की जो अच्छी अच्छी योजनाएं चालू की गई थीं उन में से कई एक में सफलता नहीं मिली है । उदाहरण के लिये आप अधिक अन्न उपजाओ आंदोलन और लोक प्रशासन में भ्रष्टाचार को कम करने के प्रयत्न को लीजिये । इन की पर्याप्त सफलता में बहुत से लोगों को संदेह होगा । मेरा अनुरोध यह है कि इस का कारण ढूंढना चाहिये और उचित समय पर इन के सम्बन्ध में कार्यवाही करनी चाहिये ।

इतना कहकर अब मैं अपना भाषण दो विषयों — उत्तर पूर्वी सीमान्त की आदिम जातियों की समस्या और हमारी जनसंख्या के आधे भाग अर्थात् नारियों की उन्नति —तक सीमित रखूंगी । उत्तर पूर्वी सीमान्त की समस्या आदिम जातियों को समस्या है । यदि इस दिशा से भारत की किसी विदेशी आक्रमण से रक्षा करनी है, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पहाड़ी आदिम जातियों की समस्या को बड़ी सावधानी और कुशलता से सुलझाना पडेगा । जब से अंग्रेज़ों ने आसाम पर अधिकार जमाया उन्होंने पहाड़ी जनजातियों को मैदानी लोगों से अलग अलग करने के लिये सावधानी से सोची हुई कार्यवाहीयां कीं । इस पृथक् करण और इस के साथ मैदानी लोगों के विरूद्ध हानिकर राजनैतिक प्रचार का परिणाम यह निकला है कि आज आदिम जातियां पूर्ण अन्धकार में हैं । वे नितांत निर्धन हैं और उन्हें मैदानी लोगों पर अत्यधिक संदेह है । उस समय के शासकों ने उनके कल्याण और उन्नति पर कभी ध्यान नहीं दिया । अंग्रेज़ी शासन के १२० वर्ष बाद भी उन में नंगे रहने वाले और नृत्यम

के शिकारी पाये जाते हैं। प्रतीत होता है कि अंग्रेजों के जाने के बाद भी इन पहाड़ी लोगों के साथ उचित बर्ताव नहीं किया गया। यदि इन स्वाभिमानी और स्वतंत्रता-प्रिय नागाओं के साथ व्यवहार करने में सूझबूझ और सहानुभूति से काम लिया गया होता, तो ये आज आन्दोलन न कर रहे होते। समय आ गया है जब कि हमारे प्रधान मंत्री इन की समस्याओं पर प्रेम की भावना से विचार करें।

संचरण, शिक्षा और स्वास्थ्य सम्बन्धी मामलों पर तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता है। केवल केन्द्र द्वारा धन दे देना काफ़ी नहीं है। पहाडों में सेवा के लिये पदों पर नियुक्ति के लिये व्यक्ति बहुत सावधानी से चुनने चाहिये, क्योंकि पहाड़ी लोगों के साथ व्यवहार करना सरल नहीं है। आसाम के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में पानी की कमी है। पानी के संभरण की व्यवस्था होनी चाहिये। सब से अधिक आवश्यक बात यह है कि एक ऐसी योजना बनानी चाहिये जिस के द्वारा पहाड़ी जनजातियां, खास कर वे लोग जो कि पाकिस्तान की सीमा पर रहते हैं, खाद्य के विषय में आत्मनिर्भर हो जायें।

मैं यह पूछना चाहूंगी कि भारत में कितने प्रतिशत नारियां साक्षर हैं और कितना प्रतिशत धन उन की शिक्षा पर खर्च किया जाता है। मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि राज्य लड़कों की शिक्षा पर जितना खर्च करता है, उसका छटा भाग भी महिलाओं के स्कूलों और कालेजों पर खर्च नहीं करता। यह खेद की बात है कि पंच वर्षीय योजना में महिलाओं की उन्नति के लिये कोई विशेष उपबन्ध नहीं है। मेरी सानुरोध प्रार्थना है कि सरकार स्त्री शिक्षा पर गम्भीरता से ध्यान दे।

श्री चट्टोपाध्याय (विजयवाड़ा): मैं ने कांग्रेस के प्रति वफ़ादार रहने की प्रतिज्ञा की है, किन्तु मैं समझता हूं कि उस ने जनता से विश्वासघात किया है। वर्तमान आय-व्ययक के सिवा इस से अधिक प्रणाम क्या हो सकता है। इस आय-व्ययक में क्या लिखा है? खाद्य के बारे में यह कहा गया है कि यदि इस वर्ष लोगों के पास खाने को नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे प्रधान मंत्री ने केवल दो वर्ष पूर्व चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि हम सन् १९५२ में आत्म-निर्भर हो जायेंगे। परन्तु अब स्थिति क्या है? हमारे साथ ग़रीबी, दुख और भुखमरी के जारी रखने के वादे किये जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया गया है? आय-व्ययक का कितना अंश शिक्षा और स्वास्थ्य के लिये है? केवल १·६ प्रतिशत। शिक्षा की बिल्कुल उपेक्षा की गई है। स्कूल बहुत कम हैं। विद्यार्थियों की दुर्दशा हो रही है और अध्यापकों को बहुत कम वेतन दिया जा रहा है। कला और संस्कृति की जो उपेक्षा हो रही है, मैं उसे निन्दनीय समझता हूं। कलाकारों की दशा पर दृष्टि तो डालिये। जिन परिस्थितियों में वे रहते हैं, वे करुणा-जनक हैं। न उन के लिये सुरक्षा और न ही उन्हें कोई प्रोत्साहन दिया जाता है। यदि कोई अनुदान दिया भी जाता है तो केवल उन संस्थाओं को दिया जाता है जो कि नीरस और प्रतिक्रियावादी शक्तियों और विचारों का प्रचार करती हैं। मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि हमें सांस्कृतिक स्तर पर राष्ट्र का निर्माण करने में अधिक रुचि लेनी चाहिये। भारत में कोई नाट्यशालायें नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि इस देश में राष्ट्रीय नाट्यशालाओं के निर्माण पर अधिक ध्यान दिया जाये और उन्हें अधिक सहायता दी जाय, क्योंकि नाट्यशाल राष्ट्री सुशा को एक महत्वपूर्ण माध्यम ह।

[श्री चट्टोपाध्याय]

कुछ चीजों की ओर अभी हाल में मेरा ध्यान आकर्षित हुआ है। हम तटस्थता के बारे में बहुत बातें बनाते हैं और कहते हैं कि हम सब राष्ट्रों के मित्र हैं। मेरी इच्छा है कि ऐसा ही हो। किन्तु आप तो दिखावे की मित्रता प्रदर्शित करने की चेष्टा कर रहे हैं। मैं देखता हूं कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन से तटस्थता का आभास होता है। परन्तु मैं पूछना चाहता हूं कि इस देश में विचार नियन्त्रण क्यों है? अमेरिका के साहित्य पर, जिस में लाखों डालर पूंजी लगी हुई होती है कोई प्रतिबन्ध नहीं है किन्तु चीनी या रूसी साहित्य पर है। कलकत्ता के एक बंगाली दैनिक 'स्वाधीनता' में एक समाचार में कहा गया है कि भारत सरकार के रेलवे विभाग ने विभिन्न रेलवे बुक स्टालों पर रूसी साहित्य के विक्रय को निरुत्साहित करने की नीति शुरू कर दी है। यह पग उस समय उठाया गया है जब कि रूसी तथा चीनी साहित्य लोकप्रिय होता जा रहा है। टाइम, लाइफ़, रीडर्ज़, डाइजेस्ट आदि को तो आप प्रोत्साहन देते हैं, किन्तु रूस के उन पत्रों को नहीं जो कि रूसी लोगों की शान्तिपूर्ण रचनात्मक कार्यों के बारे में लिखते हैं। क्या विचार नियंत्रण रखना आवश्यक है? मैं कहता हूं कि आप व्यक्तियों को तो गोली मार सकते हैं किन्तु विचारों को नहीं, और मैं सरकारी सदस्यों (मंत्रियों) को चेतावनी देता हूं कि हमें अपनी पसन्द का साहित्य पढ़ने की और अपनी पसन्द की फ़िल्में देखने की पूरी आज़ादी होनी चाहिये। फ़िल्मों के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि फ़िल्म-नियन्त्रण पर्षद् के अधिकांश सदस्य ऐसे हैं, जिन्हें फ़िल्म-निर्माण या फ़िल्म उद्योग का उतना ही ज्ञान है जितना कि मुझे ग्रीक का है। मैं इस बात का अर्थ नहीं समझता कि एक ओर तो यह कहा जाता है कि किसी ऐसी भारतीय फ़िल्म के प्रदर्शन की आज्ञा नहीं दी जायेगी जो मद्यपान और डाके के बारे में हो किन्तु दूसरी ओर बाहर से ऐसी फ़िल्में आने दी जाती हैं जो कि नव युवकों को युद्ध के लिये भड़काती हैं। मेरा सुझाव यह है कि हमें इस देश में शांति के प्रचार पर अधिक ध्यान देना चाहिये और हमें तटस्थ रहते हुए सारे विश्व के साथ सम्बन्ध स्थापित करने देना चाहिये।

हम आयव्ययक का आधा भाग रक्षा पर खर्च कर रहे हैं किन्तु मैं पूछ सकता हूं कि किस से रक्षा के लिये? क्या यह किसी विदेशी शक्ति के विरुद्ध है? क्या यह पाकिस्तान के विरुद्ध है? नहीं। मैं जानता हूं कि रक्षा पर हमारा इतना धन क्यों खर्च किया जाता है। यह देश में सम्भावित विद्रोह के विरुद्ध है। जब लोग उठ खड़े होंगे और कहेंगे कि हम अधिक कष्ट नहीं सहेंगे तो इस रक्षा सेना से उन्हें मौत के घाट उतार देने का काम लिया जायगा। इतिहास अपने आप को दोहराता है। अन्य देशों में जहां जनता का दमन करने के लिये इस प्रकार की सेनायें रखी गई हैं, वहां समय आने पर ये लोगों के साथ मिल जाती हैं और इस तरह एक लोक सेना बन जाती है। यह नहीं भूलना चाहिये कि सेना भी आम जनता में से बनाई जाती है।

श्री दामोर मेनन (कोझिकोडि): श्री गाडगिल ने जो बातें कही हैं, मैं उन में से अधिकांश से सहमत हूं। हम भी उनका समर्थन करते हैं जब उन्होंने कहा कि देश में समान रूप से धन का वितरण होना चाहिये। सब वर्गों के लोगों को समान रूप से करों का भार उठाना चाहिये और भविष्य का निर्माण इस तरह करना चाहिये कि सब

नागरिकों की गरीबी दूर हो जाये। परन्तु दुख तो यह है कि हमारे कांग्रेसी मंत्री और नेता बातें तो बहुत बनाते हैं काम कुछ नहीं करते। आज बहुत से आदर्श जिन्हें कांग्रेस ने अपनाया था ठुकराये जा चुके हैं। उन्हें उस भावना से क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है, जिस भावना से उन्हें पहले अपनाया गया था।

एक बात जिस की ओर मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं यह है कि इतिहास में बड़े बड़े काम स्वार्थ की दृष्टि से नहीं किये जाते हैं। हम जानते हैं कि आज देश में जितनी बुराइयां हैं वह आप की एक-पक्षीय आर्थिक नीति और स्वार्थ के उद्देश्य से उत्पन्न हुई हैं। अब जबकि हम एक नये भारत का निर्माण कर रहे हैं, क्या हम स्वार्थ के प्रचलित भाव को हटा कर लोगों में निस्वार्थ सेवा के भाव को जागृत कर सके हैं? इस प्रयोजन के लिये सरकार को बहुत सख्त कदम उठाने होंगे और राष्ट्र के नेताओं को ही आदर्श स्थापित करने होंगे। जब तक जन संख्या का प्रत्येक वर्ग जिन में राष्ट्र के नेता भी सम्मिलित हैं एक सामान्य उद्देश्य के लिये मिलकर कष्ट और दुख न सहेंगे, मैं कह सकता हूं कि आप की योजनाएं सफल नहीं हो सकेंगी।

एक और बात यह है कि हम बड़ी बड़ी योजनाओं पर बहुत रुपया व्यर्थ नष्ट कर रहे हैं, क्योंकि आंक समिति के अनुसार उन योजनाओं का कार्य निर्धारित समय के अनुसार नहीं हो रहा। जब हम भावी पीढ़ी के हित में बाहर से धन उधार ले रहे हैं तो मितव्ययता से काम लेना और यह ध्यान रखना कि एक पाई भी नष्ट न होने पाये हमारा पहला कर्तव्य है। हमारी बड़ी बड़ी राष्ट्रीय प्रयोगशालायें हैं जिन्हें हम विदेशी यात्रियों को बड़े शौक से दिखाते हैं। किन्तु आप कितना रुपया इन के भवनों पर खर्च कर रहे हैं और कितना अनुसन्धान के साधनों पर? इन प्रयोगशालाओं में आवश्यक सामान नहीं है। क्या यह नहीं हो सकता कि हम छोटे पैमाने पर काम आरम्भ करें और शानदार भवनों को प्राथमिकता न देते हुए अपने वैज्ञानिकों को अनुसंधान के लिये आवश्यक सामान दें? आप कहते हैं कि हम कुटीर उद्योगों के विकेन्द्रित उद्योगों के पक्ष में हैं परन्तु आप ने इस सम्बन्ध में क्या योजना बनाई है? क्या आप ने कोई ऐसी योजना बनाई है जिस के अन्तर्गत उद्योगों का उचित आयोजन किया जाये और प्रत्येक उद्योग का अलग अलग स्थान नियत किया जाये? हमारी अर्थ व्यवस्था के लिये यह आवश्यक है कि देश के लोग ही हमारे कुटीर उद्योग की चीजों का उपयोग करें।

यह सत्य है कि भारत में लोग पूंजी लगाने से हिचकते हैं किन्तु इस के होते हुए भविष्य निर्माण का और लोगों में रचनात्मक कार्य करने के लिये उत्साह पैदा करने का क्या तरीका है? हमारे देश में जन-शक्ति बहुत है और यह हमारी सब से बड़ी सम्पत्ति है। हमें इस का उचित प्रयोग करना है। अतः उद्योगों का आयोजन पूंजी को नहीं बल्कि श्रम को ध्यान में रख कर करना होगा और इसका अर्थ यह है कि छोटे २ उद्योगों पर ही ध्यान देना होगा। भविष्य का निर्माण करते हुए जब तक आप भूमि पर जनसंख्या का दबाव कम नहीं करेंगे, कोई प्रगति नहीं हो सकेगी और सब लोगों को रोजगार नहीं मिल सकेगा।

मेरे माननीय मित्र श्री शिवराव ने वित्त मंत्री के इस निर्णय की सराहना की है कि खाद्य साहाय्य बन्द कर दिया जायेगा। परन्तु मैं समझता हूं कि उन का यह निर्णय बिल्कुल निर्दयता पूर्ण है क्योंकि इस का प्रभाव यह होगा कि कम आय वाले वर्गों और श्रमिकों के लिये खाद्यान्न खरीद सकना

[श्री दामोदर मेनन]

असम्भव हो जायेगा । मैं जानता हूं कि इस का उत्तर यह दिया जायेगा कि हम खाद्य का संचय कर रहे हैं। परन्तु इस का क्या लाभ है जब उपलब्ध खाद्य खरीदने के लिये श्रमिकों तथा बेकार लोगों की क्रय शक्ति ही न हो ।

यह मांग की गई है कि ग्रामीण क्षेत्रों को भी अब साहाय्य देना चाहिये और उन में भी राशनिंग शुरू की जाये । इस के लिये हमें कम से कम ९० करोड़ या ६० करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी । मैं अवश्य चाहता हूं कि ग्रामीण लोग भी साहाय्य से लाभ उठायें । किन्तु इस बात को ध्यान में रखना चाहिये कि औद्योगिक क्षेत्रों और अत्यधिक कमी वाले क्षेत्रों में एक विशेष आर्थिक कारण से साहाय्य देना शुरू किया गया था। अत: यह कोई नई समस्या नहीं है। हमें बर्तमान धन का इस प्रकार बटवारा करना चाहिये कि एक दम साहाय्य बन्द करने से लोगों को जो धक्का लगेगा वह कुछ अवधि के लिये अनुभव न किया जाये । मुझे विश्वास है कि यदि हम १५ या २० करोड़ रुपया खाद्य साहाय्य के लिये अलग रख दें तो इन क्षेत्रों में खाद्य का मूल्य घटाना सम्भव हो जायेगा और अन्त में हमें इस उपाय का लाभ ही होगा, क्योंकि इसी प्रकार ही हम देश को संतुष्ट रख सकते हैं और श्रमिकों तथा जनसंख्या के अंन्य वर्गों से अनुरोध कर सकते हैं कि वे भविष्य के निर्माण के लिये कुछ बलिदान दें। आज कल बम्बई और अन्य स्थानों पर खाद्य का मूल्य कम करवाने के लिये जो आंदोलन हो रहे हैं, सरकार उन से आंखें नहीं मूंद सकती । जब तक आप लोगों को अन्न नहीं देंगे, आप को शासन करने का कोई अधिकार नहीं ।

श्री दातार (बेलगांव उत्तर) : आय-व्ययक का सब से पहला और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह यथार्थवादी है। स्वतन्त्रता के बाद के पांच वर्षों में यह जिन बड़ी बड़ी कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ा है उन्हें ध्यान में रखते हुए इस बात का श्रेय केन्द्रीय सरकार और वित्त मंत्री को है कि उन्होंने बहुत हद तक अव्यवस्था को सुव्यवस्था में परिवर्तन कर दिया है। हम देखते हैं कि आय-व्ययक की नींव बहुत पक्की है। अत: मैं इस का समर्थन करता हूं ।

अब में संक्षिप्त रूप से दो तीन बातों का उल्लेख करूंगा । पहली बात यह है कि राज्यों के——भाग क, ख और ग राज्यों के—— वर्गीकरण को समाप्त करना आवश्यक है । जहां तक भाग ख और भाग ग राज्यों का सम्बन्ध है, राज्यों में विभेद करना हृदय को बहुत कष्ट पहुचाने वाला मामला है । आप जानते हैं कि यह वर्गीकरण किन्हीं प्रगति या विकास के विचारों पर आधारित नहीं है । भाग क राज्यों में भी पिछड़े हुए क्षेत्र हैं और मैसूर और त्रावनकोर-कोचीन में जो कि भाग ख में के राज्य हैं प्रशासन कुशल है। इस का कोई कारण नहीं कि भाग ख राज्यों में मत्रिमंडलों को मंत्रणा देने के लिये उपदेष्टा नियुक्त किये जायें और भाग ग में के राज्यों में आयुक्त नियुक्त किये जायें । इस समस्या का सर्वोत्तम हल यह है कि सारा वर्गीकरण समाप्त कर दिया जाये और सब राज्यों को एक ही प्रकार के प्रशासन के अधीन लाया जाये ।

सब से छोटा राज्य कुर्ग है और सब से बड़ा उत्तर प्रदेश है जिस में ५१ ज़िले हैं । इन असमानताओं को धीरे धीरे दूर करना चाहिये और हमें सुसंहत राज्य बनाने चाहिएं ऐसा करने के लिये दक्षिण में वर्तमान विभिन्न जातीय राज्यों को एक उचित आधार पर पुनर्संगठित

करना होगा और यह पुनर्गठन भाषा के आधार पर ही हो सकता है। अब जो बात आवश्यक है वह यह है कि सरकार तत्काल संविधान के अनुच्छेद ३ के अन्तर्गत आवश्यक प्रारंभिक पग उठाये। सरकार को सीमान्त आयोग नियुक्त करने चाहियें और सीमान्तों का समुचित निश्चय कर के ऐसे राज्य बनाने चाहियें जिन्हें कि आसानी से संभाला जा सके। मुझे विश्वास है कि सब राज्यों के प्रशासन अधिक ऊंचे स्तर पर पहुंच सकेंगे। अन्यथा बम्बई जैसे बहुभाषी राज्य बने रहेंगे।

अब में बम्बई से सम्बन्धित कुछ मामलों की ओर निर्देश करूंगा। बम्बई राज्य में एक बहुत बड़ी तटीय पट्टी है जिसे कोंकण कहा जाता है और जो कि उत्तर में बम्बई से दक्षिण में त्रावनकोर तक चली जाती है। इस क्षेत्र में ऐसे संसाधन हैं जिनका विकास हो सकता है किन्तु उन से बिल्कुल लाभ नहीं उठाया जा रहा है और संचार के साधन बहुत खराब हैं। योजना आयोग के इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए कि भारत के सब भागों का समान रूप से विकास होना चाहिये क्या यह भारत सरकार का कर्तव्य नहीं है कि वह सारे कोंकण क्षेत्र को विकसित करे? तटीय पट्टी के पास कुछ क्षेत्र हैं जिन्हें मलनाद क्षेत्र कहा जाता है। पूर्ववर्ती सरकार ने एक मलनाद विकास समिति नियुक्त की थी परन्तु सरकार ने उसका प्रतिवेदन स्वीकार नहीं किया था और समिति को समाप्त कर दिया था। मेरा सुझाव यह है कि इस समिति को पुनः नियुक्त किया जाये और बम्बई, मद्रास, मैसूर और कुर्ग के मलनाद वाले भागों को अधिक विकसित किया जाये।

योजना आयोग ने पांच वर्षों में सिंचाई पर ४५० करोड़ रुपये खर्च करने का निर्णय किया है। इस राशि में से बम्बई राज्य को केवल ३९ करोड़ रुपये दिये गये हैं। गत १०० वर्षों से बम्बई के दक्षिणी ज़िलों में सिंचाई की कोई परियोजना नहीं है। करनाटक में केवल १४ लाख रुपये सिंचाई पर खर्च किये गये थे और बम्बई राज्य से शेष क्षेत्र में २० करोड़ रुपये। इन परिस्थितियों में मैं वर्तमान सरकार तथा योजना आयोग से अनुरोध करूंगा कि सिंचाई की उन बड़ी योजनाओं के लिये जिन्हें आयोग द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है अधिक धन दिया जाये। मैं घटप्रभा सिंचाई परियोजना की ओर ध्यान दिलाता हूं। इस के लिये कुल ३० करोड़ रुपये की आवश्यकता है। किन्तु आप को यह जान कर आश्चर्य होगा कि अगले पांच वर्षों में योजना आयोग ने इस के लिये ४·५० करोड़ रूपये देने का वचन दिया है। अतः अगले पांच वर्षों में इस योजना के किसी बडे भाग को चालू करना सम्भव नहीं होगा। सिंचाई को सब से अधिक प्राथमिकता दी गई है। अतः इस घटप्रभा योजना को आगामी पांच वर्षों में क्रियान्वित कर देना चाहिये क्योंकि इस से खाद्य की पैदावार १० लाख टन बढ़ जायेगी।

जहां तक वायु-पथों का सम्बन्ध है हमारे पास इस वायु-पथ के सिवाय जो कि बम्बई से बंगलौर तक जाता है और कोई वायु-पथ नहीं है। वायुयान बेलगांव में रुकते हैं किन्तु वहां कोई असैनिक हवाई अड्डा नहीं है। केवल सेना विभाग का एक अवतरण स्थान है। अतः यह अत्यावश्यक है कि हुबली में एक अच्छा हवाई अड्डा बनाया जाय। हुबली को विकसित करने के लिए इसे पंच-वर्षीय योजना में सम्मिलित करना चाहिये।

मैं शिक्षा सम्बन्धी दो प्रश्नों का उल्लेख करूंगा। पहला प्रश्न भारत में शुरू किये गये विश्वविद्यालयों के अनुदानों के बारे में है। बम्बई में केवल एक विश्वविद्यालय था परन्तु पिछले पांच वर्षों में कांग्रेस सरकार

[श्री दातार]

की कृपा से वहां अब संविधि के अनुसार स्थापित ६ विश्वविद्यालय हो गये हैं और बम्बई सरकार इन सब को वित्तीय सहायता नहीं दे सकती। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि केन्द्रीय सरकार एक अनुदान समिति नियुक्त करने वाली है और मुझे आशा है कि इन सब विश्वविद्यालयों को पहले से अधिक अनुदान दिये जायेंगे। दूसरा प्रश्न उस्मानिया विश्वविद्यालय के बारे में है। हमें ज्ञात हुआ है कि इसे एक हिन्दी विश्वविद्यालय बनाया जायेगा और इसे केन्द्रीय सरकार अपने हाथ में ले लेगी। जहां तक इस दूसरी बात का सम्बन्ध है हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं किन्तु जहां तक इसे एक हिन्दी विश्वविद्यालय बनाने का सम्बन्ध है इस बात पर भी हमें कोई आपत्ति नहीं है परन्तु शर्त यह है कि तेलगू, मराठी और कन्नड़, तीनों प्रादेशिक भाषाओं के विकास के लिये उचित सुविधाएं दी जायें। इसके हिन्दी विश्वविद्यालय बन जाने के बाद भी प्रादेशिक भाषाओं के हितों की रक्षा की जानी चाहिये।

डा० अन्सारी (बीदर) मेरा निवेदन है कि केन्द्रीय आय-व्ययक खास कर पूंजी आय-व्ययक आयोजन का प्रत्यक्ष साधन है। विभिन्न परियोजनाओं तथा योजनाओं पर १२१ करोड़ रुपये का पूंजी व्यय स्वयं एक प्रशंसनीय सफलता है। इस से सिन्दरी, दामोदर घाटी, चित्तरंजन की बड़ी बड़ी योजनाएं तथा अन्य विभिन्न परियोजनायें क्रियान्वित हो सकेंगी। किन्तु इनके लिये हमें मूल्य अदा करना पड़ेगा। या तो यह मूल्य हम अभी अदा कर के अपने देश का भविष्य उज्ज्वल कर सकते हैं या तुरन्त छोटे छोटे लाभ प्राप्त करने के लिये इन्हें छोड सकते हैं। दूसरी अवस्था में भविष्य निर्माण की सब आशाओं का अन्त हो जायेगा ऐसा करने वाले इतिहास में नष्ट हो गये हैं। अतः हमें यह गलती नहीं करनी चाहिये। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हमारी राष्ट्रीय सरकार का पहला काम देश का राजनैतिक एकीकरण करना और आर्थिक विवरण से बचना था। राष्ट्रपति के भाषण पर वाद-विवाद के दौरान में सदन के नेता ने पिछले पांच वर्षों की सब घटनाओं और कठिनाइयों का वर्णन किया था। मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार ने इन सब कठिनाइयों का सफलता से मुकाबला किया है और देश की राजनैतिक तथा आर्थिक एकता की समस्या को हल कर लिया है। क्या यह गर्व की बात नहीं कि जिस कार्य को फ्रांस और रूस ने १० या १२ वर्षों में किया हम ने उसे पांच वर्षों के अन्दर ही कर लिया है?

पंज वर्षीय योजना बनाने में देश के चोटी के वित्तीय विशेषज्ञों और अर्थ-शास्त्रियों ने हाथ बटाया है। उन्होंने लोकप्रियता की अपेक्षा यथार्थता पर अधिक ध्यान दिया है। न इतिहास और न ही आलोचक योजना आयोग के सदस्यों पर यह दोष लगा सकते हैं कि उन्होंने सुनहरे स्वप्न लिये हैं। उन्होंने यथार्थता का तरीका अपनाया है और उन की स्थिति बहुत सुदृढ़ है। पंच वर्षीय योजना न केवल एक महत्वपूर्ण प्रलेख है बल्कि एक बहुत महत्वपूर्ण घटना भी है। इसे लोगों के प्रयत्नों द्वारा उन के हित के लिये ही क्रियान्वित किया जाना है। लोगों का पूरा पूरा सहयोग प्राप्त करने के के लिये सरकार को स्वाभाविकतया उन की महत्वाकांक्षाओं का आदर करना चाहिये जिन में से सर्वप्रथम यह है कि एक नया सामाजिक ढांचा बनाया जाये और उनके जीवन को नया रूप दिया जाये।

अब में विदेशी सहायता के बारे में कुछ शब्द कहूंगा। योजना में व्यवस्था की गई

है कि इस देश में लगाने के लिये विदेशी पूंजी आमंत्रित की जायेगी। विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने भारत में विदेशी पूंजी आमंत्रित करने की नीति की आलोचना की है और कहा है कि वर्तमान विदेशी विनियोगों को जब्त कर लेना चाहिये। मैं समझता हूं कि इस से अधिक हानिकारक और कोई चीज़ नहीं हो सकती क्योंकि देश के अन्दर से इतनी कम पूंजी इकट्ठी होती है कि विदेशी वित्त के बिना हमारी आर्थिक प्रगति की रफ्तार बहुत कम हो जायेगी। मैं सरकार को यह सुझाव देना चाहूंगा कि चाहे विदेशी सहायता हमें मिले या न मिले, चाहे हमारे संसाधन पर्याप्त हैं या नहीं यह योजना स्वयं लोगों के द्वारा ही क्रियान्वित की जा सकती है। उन्हें अपनी आवश्यकतायें सरकार को बतलानी चाहियें और सरकार को भी अपने फैसले और कार्यवाहियां एक विश्वसनीय अभिकरण द्वारा लोगों तक पहुंचानी चाहियें। सामूहिक परियोजनाओं का जारी किया जाना ठीक दिशा में एक पग है। लोकतंत्रात्मक आयोजन केवल लोगों को लोकतंत्र की शिक्षा दे कर ही हो सकता है।

श्री वी० जी० देशपांडे (गुना) मुझे यह कहना पड़ेगा कि मैं अपने सुविख्यात वित्त मंत्री को उनके आय-व्ययक के लिये बधाई नहीं दे सकता। भुखमरी से पीड़ित भारत के लाखों लोगों के लिये उनका पहला उपहार यह है कि उन्होंने खाद्य सहायकों को घटा दिया है। मैं पूछता हूं कि क्या हमें इसलिये भूखों मरने के लिये कहा जाता है कि हमारे लड़के और पोते सुख भोग सकें या इसलिये कि एक ही दल सत्तारूढ़ रहे और इसके स्वामियों, पूंजीपतियों और उद्योग पतियों पर हाथ न डाला जा सके? मैं कांग्रेस सरकार से पूछता हूं कि इस पहले आय-व्ययक में नये कर क्यों नहीं लगाये? मैं कांग्रेस दल को चुनौती देता हूं कि क्या वह विरोधी दल के साथ मिल कर सब निजी थैलियों को समाप्त करने के लिये तैयार है? अपने दल की ओर से मैं कांग्रेस को चुनौती देता हूं कि वह प्रशासन व्यय को कम करने का साहस करे। मैं वित्त मंत्री को आय-व्ययक सन्तुलित कर दिखाने पर बधाई नहीं दे सकता। उन्होंने भारत सरकार के आय-व्ययक को संतुलित तो कर दिया है परन्तु खाद्य सहाय्य घटा कर उन्होंने नगरों में रहने वाले बहुत से परिवारों के आय-व्ययकों को असंतुलित और अव्यवस्थित कर दिया है। मैं तो उस आय-व्ययक को अच्छा समझता हूं जिस में सारे समाज के कल्याण और आर्थिक प्रगति का ध्यान रखा गया हो और जो केवल सरकार के राजस्व और व्यय तक ही सीमित न हो।

मूल्यों में जो कमी हुई है उसकी बहुत सराहना की गई है। किन्तु हम देखते हैं कि खाद्यान्नों के मूल्य बढ़ते जा रहे हैं। मैं जानता हूं कि मूल्यों में कमी के कारण बरार, मध्य प्रदेश के ज़िलों में कृषकों को कितनी हानि उठानी पड़ी है। वहां की रुई की मण्डियां कई सप्ताह तक बन्द रहीं परन्तु हमारी केन्द्रीय सरकार ने उन को कोई सहायता नहीं दी। मैं बहुत से ऐसे उदाहरण दे सकता हूं जिन में हमारी सरकार ने देश के आर्थिक हित का ध्यान नहीं रखा।

मध्य भारत में राजधानी के चुनाव का प्रश्न विवाद का विषय बना रहा है और यह झगड़ा ग्वालियर और इन्दौर के बीच था। लोग आपस में कोई समझौता न कर सके तो प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास आये। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसी एक नगर के पक्ष में अपना निर्णय देने के बजाये यह पंचाट दिया कि दोनों नगरों को राजधानी बनाया जाये। एक

[श्री वी० जी० देशपांडे]

साढ़े चार मासों के लिये और दूसरा साढ़े सात मासों के लिये । उन्होंने यह सोचने का प्रयत्न ही नहीं किया कि मध्य भारत के बेचारे करदाताओं पर कितना बोझ पड़ेगा । मुझे ज्ञात हुआ कि इस के लिये उन्हें लगभग सात लाख रुपया देना पड़ेगा और बेचारे कलर्कों को इन्दोर और ग्वालियर दोनों स्थानों पर घर बनाना पड़ेगा। राजधानी निश्चित करने के बारे में एक और बात जिस की ओर मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं यह है कि पंचाट देने से पूर्व ग्वालियर के प्रतिनिधियों से, जो कि हिन्दू महासभा टिकट पर चुने गये थे, परामर्श नहीं लिया गया था । प्रशासनीय नीति के विषय में लोगों के आर्थिक हित को बिल्कुल ही ध्यान में नहीं रखा जाता ।

सम्भवतः वित्त मंत्री ने यह ठीक कहा है कि रक्षा के व्यय को कम नहीं किया जा सकता । मैं उन लोगों में नहीं हूं जो रक्षा के व्यय को घटाना चाहते हैं मैं तो चाहता हूं कि हमारी सेना, नौसेना और विमान बल को इस प्रकार विकसित किया जाये कि वे विश्व की बड़ी बड़ी शक्तियों की सशस्त्र सेनाओं का मुकाबला कर सकें । किन्तु यहां सेना इसलिये रखी जाती है क्योंकि उन्हें काश्मीर में लड़ाई होने का डर है । पिछले चार वर्षों में हम काश्मीर पर लाखों रुपया खर्च कर चुके हैं। और इसका परिणाम क्या निकला है ? चार वर्षों के बाद शेख अब्दुल्ला हमें कहते हैं कि इस संसद् का काश्मीर पर कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। काश्मीर पर वादविवाद के समय मैं उपस्थित नहीं था परन्तु प्रतीत होता है कि हम लोगों को एक चुनौती दी गई थी कि हम काश्मीर में संपीड़न का एक उदाहरण तो देने का साहस करें। मैं इस प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं । संपीड़न का एक उदाहरण नहीं, कई उदाहरण दिये जा सकते हैं और यह संपीड़न साम्प्रदायिक आधार पर हुआ है । जम्मू और काश्मीर प्रजा परिषद् के सचिव श्री सन्त राम ने एक समाचार पत्र में एक लेख में कहा था कि १३ व्यक्ति भूख से मर गये हैं। इस पर उन्हें गिरफ्तार करके अभियोग चलाया गया था । परन्तु न्यायाधीश ने अपने निर्णय में यह कहा कि मौतें वस्तुतः भुखमरी के कारण हुई हैं। सत्य तो यह है कि सत्तारूढ़ दल कोई विरोध नहीं सह सकता है ।

पंडित मखनलाल पिछले ६ मासों से निरुद्ध हैं। उनके निरोध की अवधि और बढ़ा दी गई है परन्तु उन्हें निरोध के कारण नहीं बतलाये गये हैं। यही आरोप हमारे गृह विभाग पर भी लगाया जा सकता है। हम पुलिस पर अत्यधिक रुपया खर्च कर रहे हैं परन्तु इस का लाभ क्या है ? जीवन पहले की तरह सुरक्षित नहीं रहा।

मैं जानता हूं कि पिछले चार वर्षों में एक लाख से अधिक व्यक्ति बिना अभियोग चलाये कारागारों में निरुद्ध किये गये हैं और यह बात किसी भी सरकार के लिये और खास कर भारत की स्वतन्त्र सरकार के लिये, जिस ने वीर सावरकर जैसे देश भक्त को भी निरुद्ध कर लिया था लज्जा और अपमान की बात है ।

काश्मीर में हमारी सरकार को इस बात का बड़ा गर्व है कि लोगों को अपने भविष्य का निर्णय करने का अधिकार दिया गया है । मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि यदि वह उन राज्य क्षेत्रों को जो कि भाग ख राज्यों के लिये प्रवेश लिखित पर हस्ताक्षर करने के बाद अवाप्त किये गये हैं, आत्म-निर्णय का अधिकार देने के लिये तैयार है, तो वही सिद्धांत हैदराबाद राज्य के सम्बन्ध में क्यों लागू

नहीं किया जाता है। यदि काश्मीर के लोगों की इच्छा यह है कि महाराजा हरि सिंह वहां न रहें और वहां का शासन किसी विशेष तरीके से चलाया जाये, तो भारत सरकार को यह भी अच्छी तरह ज्ञात है कि हैदराबाद के लोगों की निश्चित और स्पष्ट राय यह है कि निज़ाम को पदच्युत कर दिया जाय और हैदराबाद राज्य को भाषा के आधार पर तीन क्षेत्रों में बांट दिया जाये। हमारी सरकार यह सिद्धांत हैदराबाद पर लागू नहीं करती क्योंकि उसे ज्ञात है कि इस से कुछ जातियां और समुदाय नाराज़ हो जायेंगे।

मेरे कुछ कांग्रेसी मित्रों ने बतलाया है कि वे किस तरह से निर्वाचित हुए हैं। मेरा कहना यह है कि वे न तो अपनी सेवाओं के आधार पर निर्वाचित हुए हैं और न अपने नेताओं की ख्याति के आधार पर। वे इसलिये निर्वाचित हो सके हैं क्योंकि वे सत्तारुढ़ थे और कुछ अल्पसंख्यक वर्गों के मत उनके हाथ में थे।

पिछले निर्वाचनों में कांग्रेस को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से इतना लाभ प्राप्त नहीं हुआ जितना कि उन की प्रधान मंत्री की पदवी से प्राप्त हुआ है। आम चुनावों के तुरन्त पूर्व ही उन्हें भारतीय नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष क्यों चुना गया था? भारत सरकार का एक वायुयान, जिस में उन्होंने सारे भारत का दौरा किया, क्यों उन के प्रयोग के लिये अलग रख दिया गया था? मैं जानता हूं किस तरह मंत्रियों ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। मैं जानता हूं कि सरकारी दबाव और पूंजीपतियों के धन के बावजूद, पिछले निर्वाचनों में कांग्रेस ४४ प्रतिशत से अधिक मत नहीं ले सकी। यह सरकार हर दिशा में असफल रही है और जब तक वह सब समस्याओं को सुलझाने के लिये अपनी नीति में अतिमौलिक परिवर्तन करेगी, देश का भविष्य अन्धकारमय रहेगा।

श्री गोपाल राव (गडिवाडा) : मैं लोगों का दृष्टिकोण इस सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। पहली बार अब एक जनता द्वारा निर्वाचित संसद् बनी है और इस का आयव्ययक सत्र अब जारी है। अतः देश के लाखों लोग हमारी चर्चाओं से अपने लिये एक अधिक अच्छे भविष्य की आशा करते हैं।

हमें यह देखना है कि क्या यह आयव्ययक देश में आर्थिक उन्नति तथा समृद्धि का साधन बन सकता है, क्या यह बेकारी की समस्या और देश की आर्थिक समस्या को हल कर सकता है और लोगों के भार को कम कर सकता है, क्या यह धनवानों पर अधिक कर लगाता है, और जन साधारण की क्रय-शक्ति बढ़ाता है?

मोटे तौर पर यह आयव्ययक पुराने शासनों के आयव्ययकों से किसी प्रकार भिन्न नहीं है। लोगों का खाद्य-साहाय्य कम कर दिया गया है, आयव्ययक का ५० प्रतिशत भाग सेना के लिए रखा गया है, धनी लोगों पर कोई कर नहीं लगाया गया है और आम जनता को कोई राहत नहीं दी गई है। उद्योगों के उचित विकास या उत्पादन में सुधार की कोई व्यवस्था नहीं है। जहां तक पंचवर्षीय योजना का सम्बन्ध है, यह योजना देश के विकास या लोगों के जीवन में सुधार करने के लिये नहीं है, बल्कि देश की वर्तमान कृषि सम्बन्धी अर्थ व्यवस्था के ढांचे को एक अनिश्चित समय तक जारी रखने के लिये है। यह आयव्ययक मुख्यतः विदेशी पूंजी पर ही निर्भर है और पूंजीपतियों ने इस बात का प्रबन्ध कर रखा है कि कृषकीय अर्थव्यवस्था में कोई परिवर्तन न आने पाये ताकि वे देश का शोषण करते रहें।

इसीलिये मैं कहता हूं कि आर्थिक ढांचे में मौलिक परिवर्तन किये बिना इस पंच--

[श्री गोपाल राव]

वर्षीय योजना को सफल बनाने की कोई आशा नहीं । यह योजना पूर्णतया विदेशी पूंजी के पक्ष में है और देश की आर्थिक व्यवस्था में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं लाती । इस का उद्देश्य साम्राज्यवादियों की सहायता करना है । कृषकीय आधार पर आधारित होते हुए यह हमारी अर्थ-व्यवस्था में सुधार नहीं कर सकती । अतः यदि इसे उचित रूप से और लोगों के हित में क्रियान्वित करना है तो उन का सहयोग प्राप्त करना चाहिये । इस सहयोग का बिल्कुल अभाव है । सरकार तो केवल ब्रिटिश हितों को सुरक्षित रख रही है और सामन्तवादी एकतन्त्र को जारी रख रही है । ग्रामों में अब भी ज़मींदारों का राज है । मैं पूछता हूं कि इन परिस्थितियों में पंचवर्षीय योजना कैसे सफल बनाई जा सकती है ।

मैं भाषावार प्रान्तों के मामले की ओर भी सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं । आंध्र के लाखों लोग पिछले तीस वर्षों से एक पृथक भाषावार प्रान्त के लिये प्रयत्न कर रहे हैं और अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने भाषावार प्रान्तों का मौलिक सिद्धान्त स्वीकार भी कर लिया था और सब प्रान्तीय कांग्रेस समितियां भाषावार प्रान्तों के सरल सिद्धान्त के अनुसार ही बनाई गई थीं । लोग इस सरकार से यह आशा करते थे कि उन की यह अभिलाषा पूरी हो जायेगी किन्तु दुर्भाग्य से कांग्रेस के सत्तारूढ़ होने के बाद लोगों को घोर निराशा हुई । कांग्रेस ने अपना वचन पूरा नहीं किया । कुछ उत्तरदायी नेता यह कहते हैं कि पृथक प्रान्त की मांग संकुचित प्रान्तीयता पर आधारित है और राष्ट्रीयता विरोधी है । यह बड़े दुर्भाग्य की बात है । क्या कोई उत्तरदायी व्यक्ति यह कह सकता है कि उन लोगों की यह मांग जो कि ३० वर्षों से देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे हैं, संकुचित प्रान्तीयता पर आधारित है । राष्ट्रीय आन्दोलन में ये सदा सब से आगे रहे हैं और इन्होंने सब प्रगतिवादी पगों का समर्थन किया है । इस से पता चलता है कि ये प्रान्तीयता को ध्यान में भी लाते । अतः मैं कहता हूं कि पृथक प्रान्त के लिये ३०० लाख लोगों की मांग को आप ठुकरा नहीं सकेंगे । कुछ लोग कहते हैं कि वे भाषावार प्रान्तों के सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं परन्तु जब कोई कार्यवाही करने का समय आता है तो वे पीछे हट जाते हैं । मैं कहता हूं कि अखंड भारत केवल भाषावार प्रान्तों के द्वारा ही बनाया जा सकता है । अब भारत २८ राज्यों में बंटा हुआ है । यदि वे भाषावार प्रान्तीय आधार पर इन राज्यों की सीमायें पुनःनिर्धारित की जायें, तो १५ या १६ प्रान्तीय राज्य रह जायेंगे, जिन की अपनी पृथक पृथक राष्ट्रीयता होगी । और जिन्हें अपनी संस्कृति, साहित्य, परम्परा आदि को विकसित करने का पूरा अवसर मिलेगा । इसी लिये मैं सदन प्रार्थना करता हूं कि वे स्थिति की गंभीरता को अनुभव करे । और ३० वर्ष पहले दिये गये वचनों को पूरा करे ताकि नई जातियां विशेषतः विशाल आंध्र, संयुक्त महाराष्ट्र, संयुक्त करनाटक, संयुक्त केरला अपना अपना उचित स्थान प्राप्त कर सकें । आयव्ययक में इस तथ्य की उपेक्षा की गई है और यह किसी अन्य आधार पर ही आधारित है ।

श्री आर० जी० दुबे (बीजापुर उत्तर) : मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत आय-व्ययक प्रस्थापनाओं का हार्दिक समर्थन करता हूं । मेरे विचार में कांग्रेस सरकार ने इन प्रस्थापनाओं के सम्बन्ध में मध्यम पथ अपना कर बहुत अच्छा किया है ।

विरोधी दल के सदस्यों ने अन्य दलों के साथ मिल कर कांग्रेस सरकार की कड़ी आलोचना की है । मैं उन से जानना चाहता हूं कि

क्या वेइस देश के लोगों के भावी कल्याणके लिये वस्तुतः उत्सुक हैं ? वे इस सम्बन्ध में क्या कार्य-वाही करना चाहते हैं ? क्या उन के कोई रचनात्मक सुझाव हैं ? उन का कहना है कि वे लोकतन्त्र को प्रिय मानते हैं किन्तु वास्तव में वे इसे अन्त करना चाहते हैं । मैं विरोधी दल के सदस्यों को बताना चाहता हूं कि जितनी स्वतंत्रता इस देश में है, कांग्रेस के सदस्य जितनी स्वतंत्रता से कांग्रेस दल के ढांचे में रहते हुए काम कर सकते हैं, वह रूस में नहीं पाई जाती ।

विरोधी दल के सदस्यों की आलोचना यह है कि यह आयव्ययक जन साधारण का आयव्ययक नहीं है, इस में करों से राहत देने के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई, कर का पुराना ढांचा रहने दिया गया है और इस में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं किया गया है । मैं इस आलोचना से सहमत हूं । किन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वर्तमान परिस्थितियों में कांग्रेस सरकार से करारोपण ढांचे में कोई मुख्य परिवर्तन करने की आशा की जा सकती थी ? हम कितने ही ऊंचे आदर्श या विचार देश के सामने क्यों न रखें, प्रश्न तो यह है कि क्या हम इन विचारों को, इन सिद्धान्तों को क्रियान्वित कर सकते हैं, जबकि देश की सामाजिक स्थितियां और आर्थिक स्थितियां पिछड़ी हुई हों ? पिछले चार या पांच वर्षों से हम चिल्ला रहे थे कि मूल्यों में कमी होनी चाहिये । अब वर्तमान वित्त मंत्री ने यह कर के दिखा दिया है । मैं कहता हूं कि श्री देशमुख पहले वित्त मंत्री हैं जिन्हों ने स्थिति का ठीक अध्ययन किया है और एक मध्यम पथ निकाला है । उन्हों ने देश की वित्तीय स्थिति को स्थिर कर दिया है और वे संतुलन बनाये रखने में सफल रहे हैं । आप नगरों के लिये सहाय्य मांगते हैं । किन्तु यह सहाय्य ग्रामीण क्षेत्रों को भी देना पड़ेगा और इस का अर्थ यह है कि और ९० करोड़ रुपयों की आवश्यकता होगी । हमारे आयव्ययक घाटे का है ही । यदि आप ९० करोड़ रुपये का सहाय्य देना चाहते हैं तो इतनी राशि के करैन्सी नोट छापने पड़ेंगे । परिणाम यह होगा कि मुद्रास्फीति फिर अपना सिर उठायेगी । हमारा सब से पहला और महत्वपूर्ण काम यह है कि मुद्रा-स्फीति को रोका जाये । मैं समझता हूं कि माननीय वित्त मंत्री ने स्थिति पर काबू पा लिया है और इस लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं । मैं जानता हूं कि उन के निर्णय के कारण देश के लोगों को कुछ समय के लिए कष्ट सहना पड़ेगा परन्तु हमें अपनी राष्ट्रीय सरकार को जो कि देश में उत्पादन बढ़ाने और अधिकाधिक भूमि में कृषि करने का यथा संभव प्रयत्न कर रही है सहयोग देना चाहिये और साहाय्य के प्रश्न को नहीं उठाना चाहिये ।

कुछ दिन पहले हमारे एक मित्र ने कहा था कि यह सरकार नौकरशाही सरकार है । क्या इस का कोई अर्थ है ? क्या यह वयस्क मताधिकार पर और लोगों के सन्निर्णय पर आधारित नहीं है ? आज भारत को पंडित नेहरू से अच्छा कोई और नेता मिल सकता है ? परन्तु आप उन की सरकार को हटाने की चेष्टा कर रहे हैं । लोकतन्त्र के सम्बन्ध में आप की बातों में मुझे संदेह है ।

मैं श्री गाडगिल के इस कथन से सहमत हूं कि योजना आयोग का प्रतिवेदन एक बहुत युक्तियुक्त प्रलेख है । हम स्वतन्त्र अर्थ-व्यवस्था नहीं चाहते बल्कि नियन्त्रित अर्थ-व्यवस्था चाहते हैं जिस का अर्थ यह है कि वस्तु अर्थ-व्यवस्था या पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था को त्याग करना होगा । इस दिशा में जो कि ठीक दिशा है, हम ने अभी पहला पग उठाया है ।

भूमि सुधारों के बारे में कुछ समाजवादी सदस्यों ने जो बातें कहीं हैं मुझे उन पर आश्चर्य होता है । आज उन्हें हमारी भूमि सुधार करने की नीयत पर संदेह है । किन्तु हम जानते हैं कि

[श्री आर० जी० दुबे]

जनता के प्रति हमारा कर्त्तव्य क्या है। मैं जानता हूं कि इस सम्बन्ध में जो कुछ किया जा रहा है वह काफी नहीं है। न्यायसंगत तथा युक्तिमूलक आधार पर भूमि का पुनः वितरण करना आवश्यक है और यह किया जायेगा। कांग्रेस कार्यकारिणी सहकारी आधार पर, कृषि-सम्बन्धी सुधार करने के प्रश्न पर गम्भीरता से विचार कर रही है।

भारत के राष्ट्रमंडल में रहने पर भी आपत्ति की गई है। परन्तु क्या हम ऐसा करने से अपनी अखंडता, स्वतंत्रता या प्रभुता खो बैठे हैं? किस प्रकार? सब विषयों के सम्बन्ध में हमारी नीति स्वतंत्र है। मैं नहीं समझ सकता कि भारत राष्ट्रमंडल में क्यों न रहे और इसका लाभ क्यों न उठाये।

अन्त में मैं अपने प्रान्त बम्बई करनाटक के बारे में एक दो बातें कहूंगा। श्री बी० एन० दातार ने करनाटक के बारे में जो कुछ कहा है, मैं उस से सहमत हूं। इस के साथ सौतेली मां जैसा सलूक किया जाता है। यह परिवहन, संचार के विषयों में और सब तरह से पिछड़ा हुआ है। कारबार में बहुत वन हैं परन्तु किसी ने इन से लाभ उठाने की चेष्टा नहीं की है। बीजापुर, जिस का कि मैं यहां प्रतिनिधि बन कर आया हूं, रायलसीमा की तरह अकालग्रस्त है। रायलसीमा, रायचूर ज़िला, बीजापुर और शोलापुर के कुछ भाग—यह सब क्षेत्र अकाल ग्रस्त खंड में हैं। योजना आयोग ने इस अकाल पीड़ित खंड पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। केवल बीजापुर ही जिस की मिट्टी बहु त उपजाऊ है और जिस में पांच नदियां हैं, बम्बई राज्य की अन्न की आवश्यकताओं का एक तिहाई भाग पूरा कर सकता है। मैं देखता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कर रही। मैं सरकार से कहूंगा कि वह आयोजन पर लगाया हुआ धन व्यर्थ न जाने दे। इधर उधर धन नष्ट करने के बजाय, उसे एक ऐसी योजना बनानी चाहिये जिस में सारा अकाल ग्रस्त क्षेत्र आ जाये और कार्यवाही दीर्घकालीन आधार पर करनी चाहिये।

श्री एम० पी० मिश्र (मुंगेर उत्तर-पश्चिम): कई दिनों से इस सदन में गरम गरम भाषणों की अच्छी आतिशबाज़ी देखने को मिली है। मुझे तो सब से अच्छी तकरीर अपने कवि मित्र श्री हरेन्द्र नाथ चट्टोपाध्याय की लगी। बड़े जोश के साथ उन्हों ने भाषण किया और मैं सोचता रहा कि अगर किसी कवि के हाथ में किसी मुल्क की किस्मत बनाने को सौंप दी जाये तो उस देश का भविष्य कैसा होगा। मुझे एक किस्सा याद आ गया। कवि की उपमाओं के सहारे किसी चित्रकार ने एक तस्वीर बनाई एक रूपसी की एक सुन्दरी की। तो उस ने उस में उस के बालों की जगह सांप लगा दिया। आँखों की जगह हिरन लगा दिया। तो मैं सोचता हूं कि मेरे मित्र श्री हरेन्द्र नाथ चट्टोपाध्याय के अनुसार अगर देश का भविष्य बनाया जाय तो वह भविष्य भी वैसा ही बनेगा।

मेरे दोस्तों ने, जो खास कर कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से यहां आये हैं, सरकार पर बड़े बड़े आरोप लगाये हैं। श्री गोपालन ने कहा कि सरकार सब कुछ करना चाहती है, लेकिन लोगों को रोटी देना नहीं चाहती। भोजन उन का एक हथियार है जिस के सहारे वह हमारी सरकार पर हमला करना चाहते हैं। ठीक है, देश में भोजन की कमी है ३६ करोड़ मुंह हैं और इतना अनाज नहीं है कि सब को खिलाया जा सके। लेकिन जब यह सवाल सामने आया और प्लानिंग कमीशन (योजना आयोग) ने अपने खर्चे का सब से अधिक हिस्सा खेती पर खर्च करने का फैसला किया —और यह प्लानिंग कमीशन ने बिल्कुल ठीक फैसला किया है कि इस देश में सब

से ज्यादा ज़रूरी चीज़ यह है कि देश की खेती को, देश की कृषि को आगे बढ़ाया जाये, और उस का विकास किया जाय–तो हमारे दोस्तों को इस बात की बड़ी शिकायत हुई कि जहां धन का सैंकड़े पीछे ३० रुपया खेती पर खर्च किया जा रहा है वहां १०० में से सिर्फ ६ रुपया उद्योगों के विकास पर खर्च किया जायेगा। लेकिन इस बात को भी सोचना है कि इस देश में उद्योगों के विकास से, औद्योगीकरण के ज़रिये से, देश की हालत कैसी होगी, जिन औद्योगीकरण के आधार पर संसार के और और मुल्कों का विकास और उद्धार हुआ है। देखने से तो ऐसा मालम होता है कि औद्योगीकरण का ख्याल, औद्योगीकरण का प्रोग्राम, बड़ा आधुनिक है। लेकिन आज इस सन् १९५२ में तो यह ख्याल, यह विचार बहुत पुराना पड़ चुका है। और जहां तक हिन्दुस्तान का सवाल है, औद्योगीकरण से तो इस देश का सवाल हल ही नहीं हो सकता। औद्योगीकरण के रास्ते से इस देश को इस दशा पर पहुंचने में १०-१५ वर्ष लगेंगे जहां कि आज ब्रिटेन और अमरीका हैं। और वह भी इस देश के रुपये से नहीं हो सकेगा। किसी विदेशी ताक़त के, किसी विदेशी हुकूमत के पैसे की मदद से इस देश का औद्योगीकरण हो सकता है, चाहे वह अमरीका का पैसा हो या सोवियट रूस या चीन का हो। और इतने समय तक इस देश के लोगों को बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ेगी और उस के बाद भी इंगलैंड के पैमाने का इस देश में औद्योगीकरण हो गया तो क्या होगा? जहां तक हिन्दुस्तान के लोगों का सवाल है १०० में से १५ को शायद उस औद्योगीकरण से रोज़गार मिल सकेगा। बाकी ८५ क्या करेंगे? यहां बड़ा मज़ाक उड़ाया जाता है पापुलेशन कन्ट्रोल (जनसंख्या नियन्त्रण) का। लेकिन तब तक तो इस देश में ६ करोड़ आदमी और बढ़ जायेंगे, एक पूरा जर्मनी आजायेगा। इसलिये औद्योगीकरण इस देश का कोई उद्धार नहीं कर सकता। यह ख्याल पुराना पड़ गया है। इसलिये हम प्लानिंग कमीशन को और किसी बात के लिये नहीं तो सिर्फ इसी बात के लिये बधाई देते हैं कि उस ने सही जगह पर, देश की ठीक नब्ज़ पर अपना हाथ रखा है और कहा है कि देश में हम सब से ज्यादा धन कृषि के विकास पर खर्च करेंगे। मेरी राय में इस देश में एक ही उद्योग को आगे बढ़ाया जा सकता है, इस देश का एक ही औद्योगीकरण हो सकता है और वह यह है कि इस देश की खेती को आगे बढ़ाया जाये।

भारत के लोग अपनी जीविका, अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति खेती से ही पैदा कर सकते हैं। और खेती को आधुनिक ढंग से ही उन्नत किया जा सकता है। इसी नाते जो बजट हमारे वित्त मंत्री ने पेश किया है उस का मैं स्वागत करता हूं। यह बजट हमारे प्लानिंग कमीशन के आधार पर बनाया गया है। यह ठीक है कि हमारी सरकार अपना अधिकांश धन खेती के विकास, और उत्तरोत्तर विकास पर खर्च करने जा रही है लेकिन इस के साथ साथ हमारी सरकार और चीजों को भी करने में लगी हुई है। और कई तरह की स्कीमें चला रही है। लेकिन मैं एक निवेदन अपनी सरकार से करना चाहता हूं और वह यह है कि इस देश का उद्धार खेती के विकास पर निर्भर है तो इस के लिये हमें गांवों की तरफ अपना ध्यान केन्द्रित करना होगा। गांवों का उद्धार करना होगा, क्योंकि यह खेतिहर देश है और यहां का मुख्य उद्यम खेती है। सिर्फ रुपये से ही खेती का उद्धार नहीं हो सकता है, और रुपये मात्र से ही खेती की उपज और पैदावार नहीं बढ़ाई जा सकती है और यह बनी बनाई योजनायें भी कुछ

[श्री एम० पी० मिश्र]

नहीं कर सकतीं । मेरी समझ में इस की उन्नति में जो सब से बड़ी बाधा है वह हमारी नौकरशाही है और आवश्यकता इस बात की है कि हमारी सरकार के लोगों को और नौकरशाही के लोगों को शहरों की मनोवृत्ति को छोड़ कर गांवों की मनोवृत्ति पैदा करनी होगी और यह जब तक नहीं होगा तब तक हमारी अवस्था नहीं सुधरेगी । हमारे सरकारी लोगों में गांवों की मनोवृत्ति पैदा होनी चाहिये । मेरे कहने का मतलब यह है कि जब तक हमारी सरकार के चलाने वाले, वह मिनिस्टर हों, या हमारे सरकारी अफसरान हों, गंवई नहीं बनते हैं, जब तक उन की मनोवृत्ति, रहन सहन, सब गांव वालों की तरह का नहीं हो जाता है, तब तक कुछ नहीं हो सकता है और हमारी खेती की उन्नति नहीं हो सकती है । इस के लिये सब से बड़ी ज़रूरत यह है कि हम लोगों में, जनता में, उत्साह पैदा करें । खेती और गांवों की उन्नति सिर्फ सेक्रेटेरियट (सचिवालय) के प्लानों (योजनाओं) से नहीं हो सकती है । पैदावार तब बढ़ेगी जब हम किसानों के मन में जी तोड़ कर काम करने का उत्साह पैदा करें । मेरे पहले कई दोस्तों ने ज़िक्र किया कि ज़मीनें किसानों में बांट दी जायें । वह तो ठीक है और अब तो ज़मींदारी प्रथा उठ रही है । लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं होगा । प्लानिंग कमीशन को जल्द फैसला करना होगा, सरकार को जल्द फैसला करना होगा कि हर बड़े किसान के पास ज्यादा से ज्यादा कितनी ज़मीन रह सकती है । मैं कहना चाहता हूं कि ३० बीघे से ज्यादा किसी के पास ज़मीन न रहे । बाकी ज़मीन को गरीब लोगों में, बेज़मीन लोगों में बांट देना चाहिये । लेकिन यह भी याद रखना है कि सिर्फ ज़मीन बांट देने से ही काम नहीं चलेगा । इस देश में जहां बीस करोड़ एकड़ ज़मीन है वहां छत्तीस करोड़ आदमी बसते हैं । और इस तरह एक आदमी पर एक एकड़ ज़मीन भी नहीं पड़ती है । हमें गांवों के भिन्न भिन्न उद्योगों को बढ़ाना होगा और खेती को सहयोग के आधार पर संगठित करना और आगे बढ़ाना होगा । यह नहीं कि हमारे अफसर दिन भर मोटर में सफर करें, बड़े बड़े महलों में रहें और सारी रात रोशनआरा क्लब में काट लें । ज़रूरत यह है कि हमारे मिनिस्टर और सरकारी अफसर गांवों में जायें और वहां पर कुछ काम करें जिस से किसानों में काम करने के लिये उत्साह पैदा हो । मैं अपने प्रधान मंत्री से भी बहुत अदब से कहना चाहता हूं कि वह उस महल में जिस में पहले अंग्रेज़ कमान्डर इन-चीफ रहता था, रहना छोड़ कर एक ऐसे छोटे से घर में रहें जहां एक खेत का टुकड़ा हो और जिस ज़मीन पर वह स्वयं कम से कम दो घंटा काम करें ताकि सारा देश उन के इस कार्य का अनुसरण कर सके और काम करने लग जाये ।

१ म० प०

हमारे कई दोस्तों ने विचारों की स्वाधीनता और नागरिक स्वतंत्रता पर बड़ा ज़ोर दिया है । और हमारे भाई श्री हरेन्द्र नाथ चट्टोपाध्याय ने बड़े ज़ोर से कहा कि इस देश में लोगों के स्वतंत्र विचारों पर नियंत्रण लगाये जा रहे हैं । यह ठीक है कि वह विदेशों में घूमे हैं और पन्द्रह हज़ार मील की यात्रा कर के लौटे हैं । लेकिन जहां तक स्वतंत्र विचारों का, नागरिक स्वाधीनता का, प्रश्न है, मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि सन् १९४७ से आज तक हमारे देश में जितनी नागरिक स्वतंत्रता रही है उतनी दुनिया के किसी भी देश में नहीं रही है ।

मुझ को इस बात की बड़ी खुशी है कि इस चुनाव से पहले और इस के बाद भी नज़रबन्दों को छोड़ने की नीति सरकार ने अपनाई है। उस का हम स्वागत करते हैं और वह सही नीति है। हम जनतंत्रात्मक प्रणाली को मानने वाले हैं। लोकराज में प्रीवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट (निवारक निरोध अधिनियम) कोई स्वागत योग्य चीज़ नहीं हो सकती। वह तो शर्म की चीज़ है। मुझे खुशी हुई यह जान कर कि नज़रबन्द छोड़े जा रहे हैं और मैं तो चाहता हूं कि हमारे देश में एक भी नजरबन्द न रहे। लेकिन लोग कहेंगे कि क्या किया जाय, स्थिति ऐसी है कि उस का प्रयोग सरकार को करना पड़ता है। हमारे अपने देश में एक ऐसा वर्ग है जिस का जनतन्त्र में विश्वास नहीं है और जो उसे मिटाने और खत्म करने के लिये दूसरे मुल्कों से मदद तक ले रहा है। लेकिन इस के बाद भी मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें ऐसी फासिस्ट ताकतों से जो दुनिया में तानाशाही कायम करना चाहती हैं लड़ने के लिये इस हथियार का प्रयोग नहीं करना चाहिये। और यह तरीका नहीं है तानाशाही ताकतों से लड़ने के लिये और उन को जवाब देने के लिये तानाशाही तरीकों, कानूनों और हथियारों को अपनायें। तानाशाही का जवाब हमें जनतन्त्रात्मक तरीकों और जनतंत्र से देना चाहिये। और इंगलैंड इस का बहुत बड़ा उदाहरण है। उस ने डैमोक्रेसी से इस का जवाब दिया। वहां के लोग पढ़े लिखे और शिक्षित हैं, और समझदार हैं। उन्हों ने डेमोक्रेसी के पक्ष का साथ दिया और सन् १९५० और १९५२ के चुनावों में पार्लियामेंट में एक भी कम्युनिस्ट नहीं पहुंचा। यह तानाशाही को डेमोक्रेसी का जवाब है। सोवियट रूस में—जिस के कारण बन कर यह हमारे कम्युनिस्ट मित्र आये हैं और बड़े फ़ख्र के साथ सोवियट रूस का जिक्र करते हैं—कितनी स्वाधीनता है, यह हम सब खूब जानते हैं। वास्तव में वहां कितनी स्वतंत्रता है और किस तरह वहां सरकार विरोधी तत्वों को दबाया करती है और उन का दमन किया जाता है यह भी हम जानते हैं। हम भी वैसा तरीका और रास्ता अख्तियार कर सकते हैं लकिन मैं तो अपनी सरकार से कहना चाहता हूं कि इन तानाशाही ताकतों को रोकने का हथियार जनतंत्र ही हो सकता है और मेरी तो यह मांग है कि एक भी नजरबन्द जेल में न रखा जाय, इस प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट को वापिस ले लेना चाहिये और हमें इन तत्वों का जनता के मोर्चे पर, राष्ट्रीय मोर्चे पर, और राजनीतिक मोर्चे पर मुक़ाबला करना चाहिये, जिस तरह से हम ने इन का मुक़ाबला पिछले आम चुनाव में किया और उन को हम ने शिक़स्त दी। अंग्रेज़ी सरकार से लड़ने में और आजादी प्राप्त करने में हमारा विश्वास जनता की ताक़त पर रहा है और आज भी जरूरत इस बात की है कि ऐसी प्रतिक्रियावादी ताक़तों से, जो समाज को बर्बाद करना चाती हैं, लड़ने के लिये हम को जनता की शक्ति में भरोसा रखना होगा। इसलिये हम चाहते हैं कि यह प्रवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट वापिस लिया जाय और सारे नजरबन्द छोड़े जायें और हम अपने विरोधियों को वाल्टेयर की आवाज में अपनी आवाज मिला कर कह सकें :

"मैं आप के प्रत्येक शब्द से असहमत हूं किन्तु मैं अपने प्राणों से आप के ऐसा कहने के अधिकार की रक्षा करूंगा।"

इसलिये हम अपनी सरकार से कहना चाहते हैं कि यह दमन की नीति प्रीवेन्टिव डिटेन्शन की नीति हमारे पक्ष को कमजोर करने वाली है और उस का जल्द अन्त होना चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं यह भी चाहता हूं कि यह जो प्रेस एक्ट बना है वह भी बाप

[श्री एम० पी० मिश्र]

ले लिया जाय । हमारी सरकार को जनता में पूरा विश्वास होना चाहिये और प्रजा की ताकत, डेमोक्रेसी में उस को विश्वास होना चाहिये । इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए, सरकार ने जो प्रेस कमीशन बिठान का निश्चय किया है, उस का स्वागत करता हूं । आज लोग नागरिक स्वाधीनता और पत्रों की स्वाधीनता के बारे में खूब चिल्लाते और शोर मचाते है । लेकिन विचारों की स्वतंत्रता और नागरिक स्वाधीनता तो उसी दिन खत्म हो गई जिस दिन कि देश के तमाम अखवार पूंजीपतियों के हाथ में पहुंचे बहुत थोड़े अखवार दूसरे लोगों के हाथ में हैं और पत्रकारों की क्या हालत है ? पत्रकार कहते हैं कि सरकार हमारी स्वाधीनता छीन रही है, लेकिन पूंजीपतियों नें उन की स्वाधीनता पहले ही छीन ली है । वह स्वतंत्रतापूर्वक लिख नहीं सकते और अपने दिल की बात चाहने पर भी नहीं कह सकते। चाहे कम्युनिस्ट अखबारों के मालिक हों या किसी और के, सब की हालत एक सी है और उन को मालिकों की मर्जी के मुताबिक लिखना पड़ता है । मैं चाहता हूं कि सरकार पत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों की हालत सुधारे ताकि ग़रीब पत्रकारों की हालत अच्छी हो और उन की स्वाधीनता उन को वापिस मिल जाय । और हमारे पत्र पूंजीपतियों के हाथ से निकल कर फिर स्वतंत्रतापूर्वक देश तथा समाज की सेवा कर सकें और जनता के हित की चीज बन जांये । और हमारे देश में सच्ची स्वाधीनता और विचारों की स्वतंत्रता तभी स्थापित होगी ।

इस के साथ साथ में एक बात और कहना चाहता हूं और वह है कि इस बजट के सम्बन्ध में हमारे भूतपूर्व मंत्री श्री गाडगिल ने कहा कि यहां अभी भी अमीरों पर और टैक्स लगाया जा सकता है । मैं गाडगिल साहब से सहमत हूं । जो टैक्स लगाये गये हैं उन में से सैकड़े पीछे पच्चीस ही ऐसे हैं जो साफ़ साफ़ डाइरेक्ट टैक्स (प्रत्यक्ष कर) कहे जा सकते हैं, बाक़ी सैकड़े पीछे पछत्तर टैक्स इन्डाइरेक्ट हैं और जिस का सारा भाग गरीब जनता पर पड़ता है । यह मानना होगा कि इस टैक्स का वितरण इस देश के लोगों पर बहुत ग़लत ढंग से जारी है । थोड़े दिनों से सरकार से यह मांग की जा रही है कि इस टैक्स की प्रणाली को बदला जाय और उस की जांच के लिये एक टैक्स एन्क्वायरी कमेटी (कर जांच समिति) बैठाई जाय । अभी तक इस के सम्बन्ध में यद्यपि सरकार ने कई दफा आश्वासन दिया लेकिन इस कमेटी के बैठाने की दिशा में कोई कदम उस ने नहीं उठाया । यह टैक्स लगाने की प्रणाली बिल्कुल पुरानी और रद्दी हो गई है वह प्रणाली हम ने अंग्रेजी राज्य से ली है ; इस को बदलने के लिये टैक्स एन्क्वांयरी कमेटी की बहुत जरूरत है जो वैज्ञानिक आधार पर टैक्स की पद्धति को लाये । हम मानते हैं कि इस देश में अमीरों पर और भी टैक्स लगाये जा सकते हैं । यह जरूरी है कि डेथ ड्यूटी (मृत्यु शुल्क) जितनी जल्दी हो सके लगाया जाय । उस के न लगाये जाने से हमारे देश में भ्रम पैदा हो रहा है कि हमारी सरकार हमेशा अमीरों का फ़ायदा ही सोचा करती है और ग़रीबों का कुछ खयाल नहीं करती ।

हमारे फ़ाइनेन्स मिनिस्टर ने अपील की है कि आने वाली पीढ़ियों के सुख के लिये हमारे ग़रीब लोग कुछ परेशानियां झेलें । हमारे देश के लोगों से यह कहना कि आप और भी त्याग कीजिये, बलिदान कीजिये, खास कर सैकड़े पीछे ८० आदमियों से जो जमीन से चिपके हैं, जो भूखे हैं, नंगे हैं, आठ दस आउंस हम जिनको राशन देते

हैं। यह चीज हमें बड़े मजाक़ जैसी मालूम होती है तो अपने अन्दर यह क्षमता लायें कि और त्याग कर सकें, इस के तो यही माने हैं कि वे भूखों मरें, वे बरबाद हो जायें। नये देश के बनाने के लिये मेहनत करना हमारे लिये जरूरी है। लेकिन जो महनत करेंगे उन को खाना नहीं मिलेगा तो वह कल क्या करेंगे। उन्हें भोजन चाहिये जिस में वह भरपूर मेहनत कर सकें। इसलिये ग़रीब जनता से मंत्री महोदय की अपील एक मजाक़ सी लगती है। मैं तो कहना चाहता हूं कि यह अपील तभी शोभा देती है जब यह त्याग करने के लिये उन से कहा जाय जो लोग सुखी हैं, जो टैक्स के सैकड़े पीछे पच्चीस रुपये भी देने को तैयार नहीं हैं। मैं पूछता हूं कि हमारी सरकार के हृदय में उन ऊंचे स्तर के लोगों के लिये दया क्यों है। वे थोड़े से लोग हैं जिन को सुख के सभी साधन उपलब्ध हैं। वे त्याग करें जिस में देश के करोड़ों लोग जी सकें। उन्हें यदि थोड़ी तंगी भी होती है तो उन की कोई विशेष हानि नहीं होगी। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इस देश को अच्छा बनाने के लिये जरूरी है कि वह जोश पैदा किया जाय, उस जोश को वापस लाया जाय, जिस उत्साह और जोश के साथ हम ने अंग्रेजों को भारत से हटाया, जिस उत्साह और जोश के साथ हम ने कंधे से कंधा मिला कर देश को आगे बढ़ाया। आज उसी उत्साह और जोश की जरूरत है। आज इस की जरूरत है कि सरकार की मनोवृत्ति में, सरकारी लोगों की मनोवृत्ति में, मंत्रियों की मनोवृत्ति में, और सरकारी अफ़सरों की मनोवृत्ति में आमूल परिवर्त्तन हों ताकि हम गांवों में जा सकें, हम गांवों में बैठ सकें। मैं तो चाहता हूं कि हमारे मिनिस्टरों के पास दो घर हों साल में छः महीने दिल्ली में रहें और छः महीने गांवों में, एक महीना दिल्ली में और एक महीना गांवों में या एक हफ्ता दिल्ली में तो एक हफ्ता गांवों में जा कर काम करें। वह इसलिये काम करें कि सारा देश काम करे। वह इसलिये काम गावों में करें कि सारे देश में उत्साह बढ़े।

मैं मनोवृत्ति बदलने के सम्बन्ध में एक और बात कहना चाहता हूं और वह है बड़ी बड़ी तनख्वाहों के सम्बन्ध में। जिस देश में आदमियों को पूरा भोजन नहीं मिलता वहां के राष्ट्रपति की तनख्वाह दस हजार हो या जिस देश के लोगों को पूरा कपड़ा नहीं मिलता वहां के मंत्रियों की तनख्वाह ३५०० और ४००० रुपया हो यह कहां का न्याय है। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे प्रधान मंत्री ने ब्यूक गाड़ी को हटाकर अब हिन्दुस्तान टैन ले ली है। जरूरत है कि यही प्रवृत्ति वह हर जगह लायें। हर पुरूष उस भावना से काम करे जिस भावना से कभी महात्मा गांधी अपने आश्रमों को चलाते थे।

राज्य परिषद् से संदेश

सचिव महोदय : श्री मान्, मुझे राज्य परिषद् के सचिव से प्राप्त दो संदेशों की सूचना देनी है :

"(१) राज्य परिषद में प्रक्रया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम १६२ के उपनियम (५) के उपबन्धों के अनुसार मुझे भारतीय तटकर अधिनियम १९३४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले इस विधेयक को जिसे लोक सभा ने अपनी २८ मई, १९५२ की बैठक में पारित किया था और राज्य परिषद की सिफ़ारिशों के लिये उस के पास भेजा था, लौटाने का तथा यह बताने का कि परिषद को उक्त विधेयक के

सम्बन्ध में लोक सभा से कोई सिफ़ारिशें नहीं करनी हैं, निदेश दिया गया है"; और

(२) "राज्य परिषद में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के नियम १२५ उपबन्धों के अनुसार मुझे आप को यह सूचना देने का निदेश दिया गया है कि राज्य परिषद् अपनी ३१ मई, १९५२ की बैठक में लोक सभा द्वारा उसकी २३ और २८ मई, १९५२ की बैठकों में पारित किये गये इन विधेयकों से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है, विधेयकों के नाम इस प्रकार हैं:

(१) सौराष्ट्र (स्थानीय समुद्री निराक्राम्य करों का समापन तथा पत्तन विकास कर आरोपण) अध्यादेश १९४६ को रद्द करने वाला विधेयक;

(२) विस्थापित व्यक्ति (दावे) अधिनियम, १९५० में संशोधन करने वाला विधेयक;

(३) कलकत्ता पत्तन अधिनियम, १८९० में अग्रेतर सशोधन करने वाला विधेयक"।

इसके पश्चात् सदन की बैठक मंगलवार, ३ जून १९५२ के सवा आठ बजे तक के लिए स्थगित हो गई।

GIPD—HS—389 PSD—6 7-53 235